खण्ड-175, अंक-3
बुधवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1878
(1 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
21 SEP1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)

टीकाराम, श्री (हरदोई)
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरद्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री

राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहांमखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुज़राम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय न खोलने के कारण

**१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि २४ अगस्त, सन् १९५५ ई० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के अनुसार कप्तानगंज में आयुर्वेदिक औषधालय किन कारणों से नहीं खुल सका ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—इस स्थान पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के प्रश्न पर अन्य स्थानों के साथ विचार हुआ था, परन्तु क्योंकि यहां की जन-संख्या केवल ६०० थी और इसके आस-पास के गांवों की जन-संख्या २०,००० थी और यहां एक सहायता प्राप्त वैद्य और एक हकीम कार्य कर रहे थे इसलिये इस स्थान के बजाय गत वर्ष रेंडा नामक स्थान पर एक औषधालय खोला गया जिसके आस-पास के गांवों की जन-संख्या ५०,००० थी और जहां कि एक बिना किराये की इमारत उपलब्ध थी। इस स्थान को जिला परामर्शदात्री समिति ने सिफारिश की थी। इस वर्ष भी इस जिले में चन्देसर नामक स्थान पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला जा रहा है, और जनता ने यहां औषधालय के लिये भवन बनवाने का आश्वासन दिया है, जिसका शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने किया है। जिला परामर्शदात्री समिति ने इस स्थान पर औषधालय खोलने की जोरदार सिफारिश की थी।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि रेंडा की स्वयं कितनी आबादी है और वह कहां है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—रेंडा और उसके आस-पास के क्षेत्र की आबादी ५०,००० बतायी जाती है।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कप्तानगंज मुकाम पर एक कालेज, एक मिडिल स्कूल, एक अपर प्राइमरी स्कूल, नहर विभाग के कर्मचारियों के ठहरने की जगह और तीनों तहसीलों का सेन्टर है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, यह तो मालूम है और उनकी जानकारी सही हो सकती है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि जिला परामर्शदात्री समिति ने अभी अपनी पिछली मीटिंग में मंजूर किया है कि कप्तानगंज में एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सूचना हमारे पास अभी नहीं आयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि रेंडा और मिहीनगर चन्द्रेसर से ३ मील की दूरी पर है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह तो हमें पता नहीं है कि वह कितनी दूरी पर है लेकिन चन्द्रेसर एक ऐसा स्थान है जिसको कुछ ख्याति मिल गई है क्योंकि वहां पर एक सज्जन ने स्कूल, पंचायतघर और कई संस्थायें आदि बनाई हैं और वह स्थान उत्तरोत्तर ख्याति प्राप्त करता जा रहा है ।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कप्तानगंज में चन्द्रेसर के मुकाबले में ज्यादा पब्लिक संस्थायें, सरकारी कर्मचारियों के ठहरने और आम जनता के ठहरने की जगहें बनी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे उस स्थान पर जाने का अवसर तो नहीं हुआ जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया लेकिन चन्द्रसेर मैं गया हूं और उसके सम्बन्ध में मुझे थोड़ा ज्ञान है, हो सकता है वहां भी सार्वजनिक संस्थायें काफी संख्या में हों जैसा कि अभी माननीय सदस्य महोदय ने बताया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सरकार ने कप्तानगंज में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का आश्वासन दिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार का तो विचार था कि कप्तानगंज में अस्पताल खुले परन्तु परामर्शदात्री समिति ने एक दूसरा सुझाव प्रस्तुत कर दिया और उसके सम्बन्ध में उसने आग्रह किया तो परामर्शदात्री समिति की जो आज्ञा थी उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया । इसके यह मानी नहीं कि कप्तानगंज के विषय में सरकार ने कतई नहीं का फैसला कर लिया हो ।

जियोलोजी विभाग के अन्तर्गत अनुसंधान का कार्यक्रम

**२—श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जियोलोजी विभाग का कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करके उसके अनुसार वह अनुसंधान का कार्य करा रही है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां ।

**३—श्री उमाशंकर—यदि हां, तो क्या उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—१९५६-५७ के सामयिक कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २११ पर)

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी जब से यह विभाग कायम हुआ है तब से जो इसकी कार्य प्रगति है उस पर कोई प्रकाश डालेंगे ?

श्री बनारसीदास--मई, सन् ५५ में डायरेक्टोरेट कायम किया गया लेकिन सही मानी में नवम्बर, ५५ से शुरू हुआ। ५ महीने के अर्से में आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही की गई। इस अर्से के अन्दर काफी खोज की गई है और उससे मालूम हुआ है कि काफी आवश्यक खनिज-पदार्थ हमारे यहां मिल सकेंगे। लेकिन अभी तक जो नतीजा निकला है उससे विशेष रूप से डूंगीघर के अन्दर ताम्बे की खानों का पता चला है जिसकी विस्तृत रूप से जांच की जायगी। टेहरी-गढ़वाल में महीपुर से सेरा तक नये जिप्सम का भी पता चला है जिसकी विस्तृत जांच करायी जायगी। बांसी, जिला बांदा के अन्दर एक तरह की मिट्टी पाई गई है और वहां पर प्योर लाइम स्टोन पाया गया है जो कि केमिकल्स बनाने के काम में आयेगा। मसूरी के नजदीक शीशा पाया गया है। टेहरी-गढ़वाल में महीपुर के नजदीक शीशा पहली मर्तबा मिला है और पौड़ी-गढ़वाल, धानपुर में कापर डिपोजिट्स मिले हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग के लिये क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है?

श्री बनारसीदास--यह सूचना वैसे तो श्रीमन् माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। यह इस प्रकार है देहरादून क्षेत्र में खनिज-पदार्थों का अनुसंधान--गढ़वाल जिलें में खनिज-पदार्थों का अनुसंधान-अल्मोड़े जिले में खनिज-पदार्थों का अनुसंधान, अल्मोड़े जिले में ग्रेफाइट तथा गंधक की खानों का अन्वेषण-- बांदा जिले में खनिज-पदार्थों का अनुसंधान--रेहन्द डैम क्षेत्र में खनिज-पदार्थों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण--मिर्जापुर जिले में कैराहाट लाइम स्टोन का अनुसंधान-- बुन्देलखंड तथा झांसी जिले में खनिज-पदार्थों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण-- हल्द्वानी काठ गोदामों में लाइम स्टोन का अनुसंधान-- मिर्जापुर जिले में कोयले की खानों का ड्रिलिंग।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुसंधान किसके संचालन में किया जाता है?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर मैं शुरू में दे चुका हूं कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर मई, ५५ में काम किया गया और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की तरफ से भी काम होता है लेकिन विशेष रूप से यह कार्य जल्दी हो यू० पी० गवर्नमेंट ने डायरेक्टोरेट कायम किया और इसके डायरेक्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिस्टर राक हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या इस विभाग की महत्ता को देखते हुये सरकार इस विभाग का प्रसार करने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जैसा इस वर्ष विचार है और विशेषज्ञ इसमें रक्खे जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस अनुसंधान कार्यक्रम के अनुसार कौन-कौन से अनुसंधान इस वर्ष तक समाप्त हो जायेंगे और कौन से अगले वर्ष समाप्त हो जायेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अनुसंधान का कार्य तो कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो कि समाप्त हो जाता है। वह कार्य तो चलता ही रहता है क्योंकि क्षेत्रों की जानकारी जहां जहां विभिन्न प्रकार की चीजें मिल सकती हैं उनकी जानकारी हमको बढ़ानी है और उस सम्बन्ध में किसी एक स्थान से हट कर वह दूसरे स्थान पर जाकर जानकारी करते हैं। तो इसलिये अनुसंधान का कार्य किसी एक स्थान के लिये एक वर्ष में खत्म नहीं होता।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मार्च और अप्रैल में जो जिओलोजिस्ट को पार्टी गई थी मिर्जापुर जिले में वहां पर कुछ सामान मिला है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब हमारे पास तो हर पन्द्रहवें दिन तो कोई खबर नहीं आती है। जब कोई उनके मतलब की चीज या ऐसी चीज मिल जाती है जिससे प्रदेश का फ़ायदा हो सकता है या प्रदेश के उद्योग धंधों में लगाया जा सकता है उसके विषय में कभी कभी वह सूचना देते हैं। उनसे ऐसी आशा की जाती है यदि किसी विशेष क्षेत्र के विषय में जानकारी के लिये वह भेजे जायं तो अवश्य ही वह उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही हमें दे देंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मन्त्री जी को पता है कि जो बैच वहां गया था वहां फ़ायर क्ले का बहुत बड़ा स्थान मिला है और उसकी रिपोर्ट उन्होंने की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं उस चीज़ की बात तो नहीं कह सकता जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की लेकिन अवश्य कोई चीज़ उन्हें मिली होगी। अभी उन्होंने कोई विशेष महत्व की चीज़ के विषय में जहां तक उस हिस्से का सम्बन्ध है हमारे पास रिपोर्ट नहीं भेजी?

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे इस समय कितने जिओलोजिस्ट इस विभाग में नियुक्त हैं और आइन्दा इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो एक डायरेक्टर महोदय हैं। उनके नीचे एक वह व्यक्ति हैं जो ज्योलोजिस्ट का काम कर रहे हैं और चार और टेक्नीकल असिस्टेंट्स उनके नीचे हैं। उनमें से एक आध ने इस वर्ष केन्द्रीय सरकार का जो जिओलोजिकल सर्वे है उसमें अर्जियां दे रखी हैं और वे छांट भी लिये गये हैं। अभी थोड़े दिन हुये डायरेक्टर महोदय ने मुझे बताया कि करीब करीब जितने व्यक्ति उनके तहत में काम कर रहे हैं उन सबको केन्द्र का जिओलोजिकल सर्वे चाहता है क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा तनख्वाह मिलती है और वह लोग भी वहां जाना चाहते हैं। उनमें से कई एक की अर्जियां हमने नामंजूर कर दीं; क्योंकि तनख्वाह हमारे यहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कम है। तो इनमें से कई व्यक्ति जाना चाहते हैं। इस वर्ष जो हम संख्या बढ़ा रहे हैं उसमें भी तनख्वाह की कमी के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। परन्तु चूंकि उनकी अर्जियां अभी भेजी नहीं गई हैं तो अभी तो जितनी संख्या पिछली थी उतनी है। आइन्दा इस वर्ष में कितने ज्यादा तनख्वाह पर हमको लोग मिलेंगे मैं नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जिओलोजिकल विभाग ने हल्द्वानी और काठगोदाम के आस-पास के पहाड़ों के पास सीमेंट बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लाइम स्टोन पाये जाने के बारे में रिपोर्ट भेज दी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने अभी बताया कि रिपोर्ट्स तो हमारे पास आती हैं लेकिन उन रिपोर्ट्स पर जब ही हम कोई कार्य कर सकते हैं जब कि ऐसे रिजल्ट्स हमें मिल जायें कि जिनकी बुनियाद के ऊपर कोई बड़ा उद्योग-धंधा लगाया जा सकता हो। हमारा इस वर्ष यह प्रयास रहा है कि बुन्देलखंड के क्षेत्र में हमें लाइमस्टोन इत्यादि मिल जावे तो प्राइवेट सेक्टर के तहत में वहां हम एक सीमेंट की फैक्ट्री लगायें। इस कार्य के लिये हमने इनको वहां भेजा था और उन्होंने कुछ अनुसंधान किये हैं और कुछ सूचना प्राप्त भी की है। लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट हमारे पास इस विषय की नहीं है। इसी तरह से जो नैनीताल के क्षेत्र का जिक्र किया गया उसमें भी अभी उस मात्रा में लाइम स्टोन इत्यादि के विषय में हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को हम ऐसा मसाला दे सकें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वह एक सीमेंट फैक्ट्री इत्यादि लाने का प्रयत्न करे।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने अभी बतलाया कि हमारे वेतनों में कमी है तो भारतीय सरकार का जो वेतन है उनके बराबर समानता लाने के लिये वे प्रयत्न करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हम प्रयत्न करते रहते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट से आग्रह करते रहते हैं लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी और डिपार्टमेंट्स में जो तनख्वाहें हैं उनको सामने रख कर अपने निर्णय देने होते हैं। तो कभी कभी उस मात्रा में तनख्वाह देने में प्रदेशीय सरकार को दिक्कत होती है। ताहम जहां तक विशेषज्ञ की नियुक्ति का विषय है हम अवश्य ऐसी कोशिश में हैं कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इस प्रकार की तनख्वाहें लोगों को दे जिससे कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो सकें और हमारे इस विभाग में अधिक समय तक कार्य करते रहें।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी एक पूरे टाइम डाइरेक्टर को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं। जहां तक इस ज्योलोजिकल सर्वे का जिक्र है उसमें तो हमने यही मुनासिब समझा है कि प्रोफेसर महोदय जो विश्वविद्यालय के नौकर हैं उनसे आनरेरी ढंग से हम यह कार्य करायें। थोड़ा उन्हें एलाउन्स इत्यादि देकर उस कार्य के सम्पादन का भार उन पर रखें।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में टेहरी जिले में भी अनुसंधान कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुसंधान तो जहाँ हम समझते हैं या जिस जगह के लिये हमारे पास कोई खबर हमें मिलती है वहां हम हर जगह कराने का प्रयास करते हैं। अभी चूंकि उसकी टीम कम है लेकिन फिर भी वहां पर भी कुछ भाग टीम का गया है और वहां कुछ कार्य अनुसंधान का किया भी है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बिजनौर जिले के पास लालठांव में जो गढ़वाल जिले में है कोयले के निकलने की जो बात हुई थी, उसके सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में कोई और सूचना तो इस समय नहीं है इसलिये कोई और उत्तर इस समय मैं नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सेंट्रल ज्योलोजिकल विभाग और प्रान्तीय ज्योलोजिकल विभाग दोनों के कार्य में कुछ बंटवारा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, एक इन्फार्मल तरीक़े से हमारे जो डाइरेक्टर हैं और जो उनके यहां के सब से बड़े अधिकारी हैं वे बातचीत कर लेते हैं और अपने कार्यक्षेत्र को बांट लेते हैं। जहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ज्योलोजिकल विभाग काम करता है वहां हमारे इस विभाग के तहत में कार्य करने वाले अधिकारी नहीं जाते हैं।

अमरोहा मर्दाना अस्पताल के प्रान्तीयकरण पर विचार

**४—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अमरोहा male hospital का वह प्रान्तीयकरण कर रही है। अगर यह सच है, तो यह कार्यवाही कब तक हो जायगी ?

श्री बनारसीदास—अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। सुझाव आने पर विचार किया जायगा।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद ने सिफारिश की है और उनके पास सिफारिश आयी है ?

श्री बनारसीदास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि अभी विचार हो रहा है। सरकार की नीति है कि जिन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण होता है उसके लिये यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड चालू रखने का प्रस्ताव पेश करते हैं तो सरकार विचार करती है। सारा प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि जो आराजी मैटरनिटी सेंटर के लिये दी गई है वह अभी तक मुंसिफ साहब के कब्जे में है उनके रहने के लिये जगह नहीं मिली है, इसलिये खाली नहीं हुई है ?

श्री बनारसीदास—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

अमरोहा में साहू जगदीश शरण की ज़मीन पर चाइल्ड मैटरनिटी सेंटर का कायम होना

**५—श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अमरोहे में साहू जगदीश शरण की जमीन पर चाइल्ड मैटरनिटी सेन्टर कब तक कायम हो जायेगा ?

श्री बनारसी दास—वहां पर एक मिडवाइफ के पोस्ट (Post) करने के आदेश दिये जा चुके हैं। आशा है सेन्टर बहुत जल्दी चालू हो जायगा।

**६—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[३ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में प्लानिंग कमेटी द्वारा व्यय

*१—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में प्लानिंग कमेटी को सरकार द्वारा दी गई सन् १९५४–५५ तथा सन् १९५५–५६ की धनराशि किस-किस स्वीकृत कार्य में कितनी-कितनी व्यय की जा चुकी है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१२–२१३ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया व्यय किया गया है उसका भुगतान जिन लोगों ने कार्य किया है हो गया है या नहीं ?

श्री फूलसिंह—जब रुपया दिया जाता है तभी व्यय हुआ दिखाया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जो अनुदान सेल्फ हेल्प के लिये दिया गया था उसको अधिकारियों ने वितरित नहीं किया ?

श्री फूलसिंह—प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जिला नियोजन समिति, इलाहाबाद के पास बचे हुये धन का विवरण, इस सम्बन्ध में, प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—किस जगह का है ? आप लिस्ट में बताइये। पहली में १० हैं और दूसरी में १२ हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, पूरा व्यय जो हुआ है उसमें जो बचत दिखाई गई है यानी ३,५८,००१ रु० ९ आने ७ पाई की जो बचत है वह किस प्रकार है ?

श्री फूलसिंह—उसका ब्यौरा लिखा हुआ है कि जो रुपया खर्च नहीं हुआ है वह बचत हुई है।

इलाहाबाद जिले के विभिन्न औषधालय

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में कितने राजकीय साधारण और जनाना एलोपैथिक अस्पताल तथा कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

२—एलोपैथिक (साधारण)	..	..	१२
एलोपैथिक (जनाना)	..	..	२
आयुर्वेदिक तथा यूनानी	..	..	६
होम्योपैथिक	..	..	कोई नहीं

नगर में एलोपैथिक

१—मोती लाल नेहरू चिकित्सालय
२—मनोहरदास नेत्र चिकित्सालय
३—तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय
४—टी० बी० अस्पताल
५—डफरिन चिकित्सालय (जनाना)

ग्रामीण क्षेत्र में

१—कोरांव	..	२—कड़ा	
३—झूंसी	..	४—कोटवा	
५—जरीबाजार	..	६—सिरसा	
७—बरोखर	..	८—मऊ आइमा	
१—आनापुर (स्त्री चिकित्सालय)			

आयुर्वेदिक तथा यूनानी

१—सिकन्दरा	..	२—जसरा	
३—बलरामपुर	..	४—सराय ममरेज	
५—जसवा	..	६—भरतगंज	
७—तिलहर	..	८—चायल (यूनानी)	
९—मेन्दारा (यूनानी)			

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार मोती लाल नेहरू अस्पताल को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इलाहाबाद की जनसंख्या को देखते हुय वहां पर मेडिकल कालेज और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वहां पर एक ४५ शय्या का टी० बी० अस्पताल और बनने जा रहा है। उसके लिये आदेश कर दिये गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इलाहाबाद में होम्योपैथिक अस्पताल खोलने पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी तो ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—[५ सितम्बर, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

हैन्डीक्रैफ्ट इंडस्ट्रीज के लिये लखनऊ में डिजाइन सेंटर खोलने का विचार

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में हैन्डीक्रैफ्ट इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये वह डिजाइन सेंटर खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—यह सेंटर कहां खोला जायेगा और इस पर वार्षिक क्या व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) लखनऊ में।

(ब) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस केन्द्र पर १३.७३ लाख रुपया व्यय करने का विचार है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इसके निमित्त १,५२,२०० रुपये का प्राविधान किया गया है।

कमल सागर, जिला आजमगढ़ के ग्रामोन्नति सहकारी भंडार का पंजाबी शुगर मिल, देवरिया पर बकाया

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २२-४-५६ को ग्रामोन्नति सहकारी भंडार कमल सागर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ के सहायक मैनेजर का एक आवेदन-पत्र केन कमिश्नर को इस आशय का आया है कि पंजाबी शुगर मिल, देवरिया के जिम्मे भन्डार द्वारा दिये गये गन्ने की क़ीमत ७,००० रु० से अधिक रुपया बाक़ी है ?

श्री फूलसिंह—जी हां, यह आवेदन-पत्र आया था।

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—इस आवेदन-पत्र को दिनांक २२ अप्रैल, १९५६ को जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया। जिला गन्ना अधिकारी की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि पंजाबी शुगर मिल्स, देवरिया पर केवल २,३४२ रुपये ५ आने ६ पाई शेष हैं और यह धन जिस समय भी सहायक मंत्री, ग्रामोन्नति भण्डार, कमल सागर मांगेंगे, पंजाबी शुगर मिल देने को तैयार हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि गन्ने के दिनों में ही गन्ने की क़ीमत चुकता कर दें ?

श्री फूलसिंह—अब यह प्रश्न तो पैदा नहीं होता। जो रुपये जहां वाजिब हैं वह देने को तैयार हैं। जब मांगे तभी दे देंगे। तो सवाल क्या पैदा होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमल सागर की ओर से ७ हज़ार रुपये बकाया का प्रार्थना-पत्र दिया गया था और इसमें २,३४२ रुपये क्यों लिखे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उत्तर में ही दिया हुआ है। उत्तर स्पष्ट है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि इस शुगर मिल ने भंडार को गन्ने की कीमत अदा नहीं की और इसी के कारण केन कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र देना पड़ा ?

श्री फूलसिंह—ऐसा मालूम होता है उनसे रुपया मांगा नहीं गया।

दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में ग्राम सेवकों की शिक्षा

*८—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में सन् १९५४ में कितने ग्राम सेवकों को शिक्षा दी गयी थी ?

श्री फूलसिंह—प्रशिक्षण तथा प्रसार केन्द्र, दोहरीघाट, आजमगढ़ में २४ दिसम्बर, १९५३ से २३ सितम्बर, १९५५ तक ५४ सरकारी और बाहरी व्यक्तियों को ग्राम सेवकों के पद का शिक्षण दो दलों में दिया गया।

*९—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि उक्त शिक्षित ग्राम सेवकों में से कितने को काम दिया जा सका और कितने अभी बाक़ी हैं ?

श्री फूलसिंह—उक्त शिक्षित व्यक्तियों में से २० को ग्राम सेवकों के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और बाकी अपने-अपने विभागों में काम कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के अनुसार कितने सरकारी और कितने बाहरी व्यक्तियों को शिक्षा दी गयी ?

श्री फूलसिंह—यह तो छांटना पड़ेगा। इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इन बाहरी व्यक्तियों को जो ग्रामसेवकों की शिक्षा दी जाती है उनका चुनाव कैसे किया जाता है ?

श्री फूलसिंह—सेलेक्शन बोर्ड होता है।

*१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२२ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*११-१३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[१४ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न १७-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जौनपुर जिले में वी० एल० डब्ल्यू० की ट्रेनिंग के लिए चुनाव

*१४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में वी० एल० डब्ल्यू० के लिये पिछड़ी जाति के उम्मेदवारों की जो मांग की गई थी उनमें से ट्रेनिंग के लिये कितने उम्मेदवार चुने गये हैं ?

श्री फूलसिंह—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि जब यह पिछड़ी जाति वालों की दरख्वास्तें मांगी गयी थीं उसके बाद दो बार चुनाव वी० एल० डब्ल्यू० की ट्रेनिंग के लिये जौनपुर में हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—एक बार तो तमाम प्रान्त भर में केवल हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों से दरख्वास्तें मांगी गयी थीं और उसके बाद सब लोगों की दरख्वास्तें मांगी गयी थीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से यह दरख्वास्तें मांगी गयी थीं क्या तब से कोई चुनाव नहीं हुये हैं ? अगर नहीं हुये हैं तो इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—चुनाव किया गया है।

*१५-१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)— [५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में कुटीर तथा छोटे उद्योगों के लिये मशीनों की आवश्यकता

*१७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इस प्रदेश में चल रहे छोटे-छोटे तथा कुटीर उद्योगों तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिये जाने वाले नवीन उद्योगों के लिये किन-किन मशीनों के मंगाने की व्यवस्था कर रही है और उनके लिये अधिक से अधिक कितनी विद्युत शक्ति आवश्यक होगी ?

श्री बनारसीदास—राज्य में चल रहे कुटीर तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये रेफ्रीजरेटर, कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट्स, इलेक्ट्रिक इंजन, लेथ मशीनों आदि की आवश्यकता है जिन पर लगभग २०० अश्व शक्ति विद्युत शक्ति की आवश्यकता समझी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के लिये अनेक मशीनों की आवश्यकता होगी जिसके लिये लगभग १,५०० किलोवाट विद्युत शक्ति की आवश्यकता समझी जाती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छोटे उद्योगों के लिये कितने प्रकार की और किस-किस मूल्य की मशीनें होंगी ?

श्री बनारसीदास—मशीनों की सूची तो बहुत लम्बी है, लेकिन संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्लैकस्मिथी के चार मोबाइल यूनिट्स कायम करना चाहते हैं, इनके लिये मशीनों की जरूरत है। चार सेन्टर्स कारपेन्टरी के लिये होंगे। उनके लिये मशीनें मंगाई जायेंगी। स्पोर्ट्स गुड्स के लिये, चैफकटर हैंडटूल इंडस्ट्री के लिये मशीनें, छातों के ढांकों को बनाने के लिये मशीनें, मैकेनिकल टूल्स के वास्ते मशीनें, प्लास्टिक गुड्स इंडस्ट्रीज को कायम करने के लिये मशीनें, इसके अलावा छोटे उद्योग-धंधों के लिये माडल कम रिसर्च सेन्टर कायम करना चाहते हैं इसके लिये मशीनों की आवश्यकता होगी।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह छोटी-छोटी मशीनें बनाने के लिये भी कोई व्यवस्था सोच रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—वह तो अभी मैंने उत्तर दिया कि टूल्स वगैरह बनाने के लिये कुछ मशीनें हम मंगा रहे हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन मशीनों के विशेषज्ञ मांगे जाने पर सप्लाई कर सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ विशेषज्ञ हम नियुक्त करना चाहते हैं और इसके लिये अवश्य हमने कुछ निर्णय भी कर लिये हैं और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के एकाध विशेषज्ञ हमारे पास अवश्य होंगे।

जौनपुर जिले में ईंट के भट्ठों के लिये कोयले की कमी

*१८—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में कोयले की कमी के कारण सहकारी संघ के तथा बहुतेरे व्यक्तिगत ईंट के भट्ठे संकट में पड़ गये हैं और निजी काम के लिये ईंट पथाने वाले भी परेशान हैं ? यदि हां, तो इसके निवारण का क्या उपाय किया गया है ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि वैगनों की कमी के कारण समय पर कोयला न पहुंचने से ईंट के कुछ भट्ठों को कठिनाई हुई थी। कोयला लाइसेंस प्राप्त भट्ठों को ही दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ईंटा पथाने वालों को अलहदा कोयला देने की नीति नहीं है जब तक वह ईंटा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा न पथाया गया हो। कोयले की कमी को दूर करने की चेष्टा हो रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जौनपुर जिले में सहकारी संघ के कितने भट्टों के कोयले की मांग आयी और उनमें से कितनों को कोयला दिया गया ?

श्री बनारसीदास--वैसे सहकारी संघ के वहां १८ भट्टे हैं जिनमें से केवल ३ भट्टों को अभी लाइसेंस नहीं मिला है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ के कुछ भट्टे कोयला न मिलने के कारण बंद कर दिये गये ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यह हो सकता है क्योंकि जितना कोयला एलाट किया गया था उसका केवल ५३ परसेंट ही आया ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुगलसराय में काफी कोयला पड़ा हुआ है लेकिन उसको लाने के लिये कोई साधन न होने के कारण वह दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह सही है कि मुगलसराय तक कोयला काफी मात्रा में आ सकता है परन्तु मुगलसराय से आगे अपने प्रदेश में कोयला लाने में दिक्कतें हैं। ट्रक का लिमिटेशन है और जो इंतजाम रेलवे की तरफ से है उसमें भी अभी कमी है। इसलिये इस कमी को दूर करने के लिये अभी ५, ७ रोज हुये मैंने यहां सारी रेलवेज के जनरल मैनेजरों की एक कान्फ्रेन्स बुलाई थी और उसके अन्दर कोल कमिश्नर और डिप्टी कोल कमिश्नर को भी बुलाया गया था और उनके समक्ष हमने अपनी दिक्कतों को पेश किया था। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि रेलवे के अधिकारियों ने तथा कोल कमिश्नर तथा डिप्टी कोल कमिश्नर ने हमारी दिक्कतों को अच्छी तरह समझते हुये हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वे अगले आने वाले क्वार्टर में हमारी मदद अधिक मात्रा में और संख्या में वैगन्स इत्यादि दे करके करेंगे उसस कदाचित् ऐसा संभव हो सकेगा कि कुछ और अधिक मात्रा में हम कोयले के वैगन्स इस प्रदेश में पा सकें। पिछले वर्ष और इससे पूर्व के वर्ष में हमें कुछ अधिक वैगन्स, १९५५ में जितने वैगन्स मिले थे, उससे मिले थे। करीब ४००० वैगंस की कमी १९५५ में रही और इस वर्ष भी अभी इसी अनुपात में कमी जारी रही है। हमने केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों से और रेलवे के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे कम से कम हमारी इस कमी को पूरा करने के लिये ५०,००० वैगंस का ईंटों को अधिक मात्रा में पाथने के लिये प्रबन्ध करें। अब हम अभी यह नहीं कह सकते थे वह हमारी मांग को कितना पूरा करेंगे परन्तु हमें यह पूर्ण विश्वास है कि इस कांफ्रेन्स को करने के बाद और उन बातों को करके जो उसमें अधिकारियों से हुई अवश्य हमारा कोटा वैगंस का प्रदेश में मुगलसराय से कोयला लाने के लिये बढ़ेगा ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री को ऐसी कोई सूचना है कि जौनपुर जिले में व्यक्तिगत कोयला न मिलने के कारण नियोजन का सारा काम गांव में ठप पड़ा है ?

श्री बनारसीदास--यह तो बतलाया गया कि सरकार की नीति है कि सार्वजनिक कार्यों के लिये कोटा दिया जा सकता है और वैसे सहकारी समितियां जगह-जगह कायम की जा सकती हैं। उनको कोयला मिल सकता है और फिर जौनपुर के जिले में प्राइवेट किलन्स की कोई कमी नहीं है।

अपर दोआब शुगर मिल, शामली, जिला मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में जानकारी

*१९--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि १९५४-५५ में अपर दोआब शुगर मिल, शामली में कितना गन्ना पेरा गया, उससे कितनी मन चीनी तैयार हुई और उसके कितने दाम किसानों को दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९५४–५५ सीजन में अपर दोआब शुगर मिल, शामली में ६४, ८५, ८८८ मन गन्ना पेरा गया, जिससे ६,३२,३२९.८९ मन चीनी तैयार हुई और जिसके दाम ८७,९३,७१५ रुपये १३ आने ९ पाई किसानों को दिये गये।

*२०—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष में उपर्युक्त मिल के कुल लाभ में से कितना रुपया बोनस दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शामली मिल ने १९५४–५५ सीजन के कुल लाभ से १,९४, ८४२ रुपये ९ आने ९ पाई बोनस के दिये।

*२१—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मन्त्री यह बतायेंगे कि उपर्युक्त मिल से सम्बन्धित १९५२ से १९५५ तक कुल शेष कितना प्राप्त हुआ और इसमें से कहां कहां और कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सीजन १९५२–५३ से १९५४–५५ तक सेस का कुल ३०,१८,७२५ रु० १० आने प्राप्त हुआ। जहां तक व्यय का संबंध है, सेस का रुपया कहीं अलग जमा या खर्च नहीं होता वरन् प्रदेश के सामान्य राजस्व (General Revenues) में शामिल हो जाता है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों में कथित असन्तोष

*२२—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सच है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के स्थायी कर्मचारियों को आकस्मिक बीमारी तथा अर्जित छुट्टी सवेतन नहीं दी जाती ? क्या यह सही है कि जिनको उपरोक्त छुट्टियां सवेतन दी गयी थीं वे काट ली गईं ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

*२३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सही है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों को शुरू से अब तक कभी भी बोनस नहीं दिया गया ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*२४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सच है कि वहां के श्रमिकों में घोर असन्तोष है जिससे उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बोनस नहीं दिया गया है उसका कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—अभी तक लाभ हानि की बैलेन्स शीट नहीं बन पायी है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक वहाँ लाभ हानि का ब्यौरा क्यों नहीं तैयार हो सका है ?

श्री बनारसीदास—फैक्टरी को चले हुये अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त यह समझा गया कि इरेक्शन में जो लगे हुये थे उनको १५ दिन का बोनस दे दिया गया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जल्दी उसका हिसाब तैयार हो जाय और रुपया बोनस का मजदूरों को मिल सके ?

श्री बनारसीदास—जी हां, जिस वक्त फैक्टरी की बैलेन्स शीट बन जायगी उस वक्त इस बात पर विचार किया जायगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के मजदूरों को साल में कितनी सिक लीव और कितनी ड्यू लीव मिलती है ?

श्री बनारसीदास—यह फैक्टरी ऐक्ट के मातहत जितनी सुविधा मिल सकती है और छुट्टी मिल सकती है वह उनको भी मिलती है।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गत वर्ष चुर्क फैक्ट्री में सरकार को काफी बचत हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो बचत का सवाल उठता नहीं है क्योंकि हम सबको यह अच्छी तरह से विदित है कि चुर्क फैक्टरी ओवर केपिटलाइज्ड फैक्टरी है और जब तक वह ओवर कैपिटलाइज्ड रहेगी और उसके कैपिटल में कमी नहीं आयेगी तब तक जो भी बचत हो वह वास्तविक बचत है या नहीं यह विवादग्रस्त प्रश्न है। इसलिये पिछले वर्ष में तमाम खर्चे को देखते हुये और उस खर्चे के ऊपर सूद लगाते हुये और जो डिप्रिसियेशन इत्यादि है उसको रखते हुये कितनी मात्रा में बचत सही बचत है अभी मैं इसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वहां के श्रमिकों में जो घोर असन्तोष है उसके सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत की गयी है लिखित रूप से और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रमिकों में कोई असन्तोष है इसको तो मैं जानता नहीं हूं लेकिन श्रमिकों में काम करने वाले कुछ साथियों को जरूर प्रत्येक स्थान पर जहां श्रमिक रहते हैं असन्तोष रहता है और वही असन्तोष यहां भी पैदा करने की चेष्टा की जाती है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मजदूरों को अनुचित ढंग से निकालने के बारे में मैंने एक लिखित रिपोर्ट उनको दी है और उनका उत्तर भी हमें मिला है कि उचित कार्यवाही की जायगी, मगर अभी तक कोई जांच नहीं हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, मेरे पास माननीय सदस्य का खत आया था और मैंने उस पत्र में यह अवश्य कहा था कि जिन विषयों की आपने पत्र में चर्चा की है उसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं अवश्य उस जानकारी को प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। साथ ही उनसे यह भी निवेदन किया था कि इस फैक्टरी को सुचारुरूप से चलाने के लिये और इसके कैपिटल को कम करने के लिये यदि कुछ दिनों तक श्रमिकों को ज्यादा परेशान न करें और उनके सामने कोई मांग इत्यादि प्रस्तुत न करे तो वह फैक्टरी का भला करेंगे और जो औद्योगीकरण की नीति हमारे प्रदेश में चला रहे हैं उसका भला करेंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि फैक्ट्री समुचित और सुचारुरूप से संचालित हो और उसका उत्पादन बढ़े, इसी दृष्टिकोण से मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि उसके उच्चाधिकारी मजदूरों को परेशान करते हैं और ग़लत काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरी इत्तिला तो यह है कि जहां तक मजदूरों का विषय है स्वयं तो उन्हें इतनी परेशानियां या दिक्कतें नहीं हैं यद्यपि यह सत्य है कि जहां पर फैक्ट्री बसी हुई है वहां स्थान ऐसा है जो नया है और वहां बहुत से सुभीते जो शहरों की फैक्ट्रियों वालों को मिलते हैं ताहम काफी मात्रा में उस स्थान पर नहीं हैं और सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। परन्तु मजदूरों के लिये मांगों के नाम पर समय-समय पर नेतागण ऐसी मांगें उपस्थित कर देते हैं जो कुछ तो ऐसी होती हैं कि वह शीघ्रता के साथ पूरी भी नहीं की जा सकतीं, जैसे अस्पताल अभी वहां बन रहा है, कोआपरेटिव सोसाइटी इत्यादि का सुभीता देने का प्रश्न है, उसकी भी इमारत बनायी जा रही है, या खेलकूद की सुविधा, ये सब उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही हैं और उनके लिये प्रदेशीय सरकार ने अपने कोष से रुपया देने का वचन दिया है और उसके तहत में पी० डब्ल्यू० डी० कार्य भी कर रही है। परन्तु बार-बार हमारे सामने वे ही बातें प्रस्तुत की जा रही हैं यह देखते हुये कि उनको पूरा करने की चेष्टा की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। वह मिलमालिकों की फैक्टरी तो है नहीं। वह तो मजदूरों के और उन अधिकारियों के द्वारा संचालित की जाती है जो मजदूरों के हितों की रक्षा करते हैं। इसलिये इस फैक्ट्री में कोई वैसा तरीका नहीं बरता जाता है जो मजदूरों के हितों के विरुद्ध जाय और उनकी न कोई ऐसी मांग है जो कभी-कभी मिलमालिक ठुकरा देते हैं और ऐसा प्रश्न इस फैक्टरी के बारे में नहीं उठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है श्रमिकों के असन्तोष का एक कारण यह भी है कि अभी तक फैक्ट्री के मैनेजमेन्ट में माननीय उद्योग मंत्री के आश्वासनानुसार कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इस असन्तोष को दूर करने को क्या कार्यवाही होगी?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर "जी नहीं" में था। असन्तोष है ही नहीं, इसलिये यह पूरक प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के मजदूरों के घोर असन्तोष का एक कारण यह भी है कि जो निजी उद्योग-धंधों में मजदूरों को सहूलियतें होती हैं, उनकी मीटिंग की और मिलने जुलने की, वह वहां नहीं मिलती है?

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि श्रमिकों में घोर असन्तोष नहीं है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी मजदूरों को और सन्तुष्ट करने के लिये यह आवश्यक समझते हैं कि उनका मैनेजमेंट में प्रतिनिधित्व प्रदान करें जैसा कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी कहा गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अवश्य सरकार निऐसा प्रयास करेगी जब ऐसी नीति के विषय में क़तई यह फ़ैसला कर लें कि उनका प्रतिधित्व भी किसी न किसी रूप में फ़ैक्ट्री के संचालन में हो। जैसा मैंने अभी कहा, आज भी जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वे भी तो उन्हीं में से आते हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी न किसी रूप में वे उनके प्रतिनिधि नहीं हैं।

प्रदेश में चिल्ड्रेन्स पार्क खोलने की योजना

*२५--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में कितने सरकारी चिल्ड्रेन्स पार्क हैं? क्या और शहरों में भी सरकार का इरादा सरकारी चिल्ड्रन्स पार्क बनाने का है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--लखनऊ शहर में सरकारी चिल्ड्रेन्स पार्क नहीं हैं और न दूसरे शहरों में सरकार का इरादा चिल्ड्रेन्स पार्क बनाने का है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार के चिल्ड्रेन्स पार्क बनाने की कोई योजना सरकार की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो योजना है वह इस प्रकार से है कि विभिन्न नगरपालिकायें, जिला बोर्ड, नोटिफाइड एरिया और पंचायतें अपने-अपने यहां पार्क इत्यादि बनायें और सरकार अपनी ओर से उनमें खेलकूद का सामान मुहैया करे। आज भी इस प्रकार की नीति चल रही है स्टेट हेल्थ बोर्ड को इसके लिये २ लाख रुपया इस वर्ष दिया गया है। पिछले वर्ष एक लाख रुपया दिया गया था। वह रुपया विभिन्न नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया तथा गांव के ऐसे स्थानों में जहां पार्क इत्यादि बन गये हैं खेल-कूद का इक्विपमेंट दिया जाता है जिनके द्वारा पार्क इत्यादि की ऐक्टीविटीज बढ़ती है। यह चीजें अनुदान के रूप में दी जाती हैं। सरकार स्वयं इन पार्कों का संचालन नहीं करती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अगली पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कितना रुपया रक्खा गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इक्विपमेंट देने के लिये इस वर्ष स्टेट हेल्थ बोर्ड को २ लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

गृह उद्योग चर्मशोधन सहकारी समिति लिमिटेड, कालपी को अनुदान

*२६--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में चर्मशोधन के विकास के लिये सन् १९५४-५५ व १९५५-५६ में कितनी धनराशि कौन-कौन सोसाइटी को सहायता व ऋण के रूप में दी गई?

श्री बनारसीदास--वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में जालौन जिले की गृह उद्योग चर्मशोधन सहकारी समिति लिमिटेड, कालपी को चर्म शोधन के विकास के लिये १५,००० रुपये का अनुदान एवं ५,००० रुपये का ऋण दिया गया। सन् १९५५-५६ में इस जिले की किसी सोसाइटी को इस प्रयोजन के लिये आर्थिक सहायता नहीं दी गई?

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चर्मशोधन के लिये कालपी में सरकार द्वारा दी गई धनराशि से क्या प्रगति हुई है? कौन-कौन कार्य किये जा रहे हैं तथा उसकी ट्रेनिंग के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री अध्यक्ष--यह सवाल इससे उठता नहीं।

श्री बसन्तलाल--अध्यक्ष महोदय, मैंने विकास के लिये प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष--समितियों को दी गयी धनराशि के बारे में आपने प्रश्न किया था। अब आप सारा इतिहास पूंछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिला जालौन में चर्मशोधन विकास की कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर हो चुकी हैं?

श्री बनारसीदास--यह बताया गया था कि कालसी के अन्दर यह सोसाइटी संगठित हो चुकी है। इसके अलावा और कोई समिति संगठित नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह आशा की जाती है कि दो और चर्मशोधन केन्द्र संगठित किय जायेंगे।

जालौन जिले के विभिन्न औषधालय

*२७--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला जालौन के अन्तर्गत एलोपैथिक व होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय कहां-कहां हैं और उनको सन् ५३-५४ व ५४-५५ में दवाओं के निमित्त कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ?

*२८--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सरकारी सहायता प्राप्त औषधालय कहां-कहां हैं और उनको प्रति वर्ष कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--आवश्यक सूचना की सूचियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पष्ठ २१४पर)

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन में २ ही अस्पताल हैं तथा इस भारी कमी को देखते हुये कालपी और जालौन में महिला अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी तक सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री बसन्तलाल--सरकार की ओर से जालौन जिले में ही एक अस्पताल को १,३५० रुपया सालाना तथा दूसरे को १ हजार रुपया सालाना दिया जाता है, लेकिन जालौन के अस्पताल को सरकार केवल ६०० रुपया प्रति वर्ष देती है। इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस सहायता को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--सहायता आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जाती है और जैसी आवश्यकता जिस अस्पताल की होती है उसको सरकार पूरा करने का प्रयत्न करती है।

इंडस्ट्रियल सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मगहर, जिला बस्ती को सहायता

*२९--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि मगहर (जिला बस्ती) के हैन्डलूम कपड़े के उद्योग को बनाये रखने और उनके विकास हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस स्थान के हैन्डलूम उद्योग की उन्नति हेतु इन्डस्ट्रियल सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मगहर (बस्ती) खोली गई है जिसके अन्तर्गत कई प्रारम्भिक समितियां हैं। यह यूनियन उत्पादन कार्य भी करती है। यूनियन के अन्तर्गत चार विक्री केन्द्र हैं, एक रंगाई घर है तथा एक कैलेन्डरिंग मशीन है। इस केन्द्रीय संस्था को १,६९,७६९ रु० १५ आना ३ पाई की आर्थिक सहायता तथा अच्छे किस्म के कपड़े व नमूने बनाने के लिये उन्नतिशील यंत्र दिये गये हैं।

*३०--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि उसके द्वारा किये प्रयत्नों के परिणाम क्या हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त यूनियन का हैन्डलूम कपड़े का उत्पादन बढ़ गया है तथा बुनकरों को अधिक लाभ हुआ है।

*३१--श्री रामसुभग वर्मा--[८ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

ज़िला गोंडा में बलरामपुर इस्टेट के 'आनन्दबाग' नामी अजायबघर को सार्वजनिक उद्यान बनाने का सुझाव

*३२--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि पुरानी बलरामपुर इस्टेट (जिला गोंडा) में 'आनन्द बाग' नामी एक जिन्दा अजायब घर था जो अब जमींदारी उन्मूलन के बाद नष्ट हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस बाग को सार्वजनिक उद्यान (पार्क) के लिये लेने और विकसित करने का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। परन्तु वह जमीन बलरामपुर की है और उसको लेने का कोई विचार इस समय नहीं है।

*३३-३४--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव ज़िले में चमड़ा तथा जूता बनाने के लिये आर्थिक सहायता

*३५--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में चमड़ा व जूता बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितनी आर्थिक सहायता दी गई ? क्या सरकार इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--(अ) वित्तीय वर्ष १९५४-५५ और १९५५-५६ में जिला उन्नाव में चमड़ा व जूता बनाने के उद्योग को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ?

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि आर्थिक सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसीदास--वहां से सरकार के पास जो प्रार्थनापत्र आये थे उनमें से एक प्रार्थी के पास औजार थे इसलिये आवश्यकता नहीं समझी गयी, दूसरे केस में हरिजन विभाग की ओर से उसको सहायता मिल गयी थी ५०० रुपये की तीसरे केस में वह स्वयं जूता बनाने का काम नहीं जानता था इसलिये उसको अस्वीकार कर दिया गया।

गोरखपुर जिले के महाराजगंज उत्तरी क्षेत्र के औषधालयों में औषधियों पर व्यय

*३६--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज उत्तरी क्षेत्र में कितने सरकारी अस्पताल हैं और इनको कितने रुपये मूल्य की औषधियां प्रतिवर्ष मिलती हैं ?

श्री बनारसीदास--गोरखपुर जिले के महाराजगंज उत्तरी क्षेत्र में निम्नलिखित एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और उनको उनके नामों के आगे लिखित धनराशि की औषधियां प्रति वर्ष मिलती हैं--

१--सिस्वा बाजार (मरदाना) (एलोपैथिक) २,५०० रु० । इस औषधालय को गत वर्ष में १,००० रु० का एक अतिरिक्त अनुदान और भी दिया गया था।

२--सिस्वा बाजार (जनाना) (एलोपैथिक) ३,८०० रु०।

आयुर्वेदिक औषधालय

१--थूथी बारी	..	..	५००रु०
२--मिथौरा बाजार	..	..	५००रु०

*३७--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि १९५५-५६ के वर्ष में इन अस्पतालों के लिये निश्चित बजट में से कितना रुपया बिना खर्च किये डूब गया और क्यों? क्या डूबा हुआ रुपया नये बजट में जोड़कर दिया जायेगा?

श्री बनारसीदास--आयुर्वेदिक औषधालयों का कोई रुपया बिना खर्च किये नहीं डूबा। एलोपैथिक अस्पतालों के विषय में स्थिति निम्नलिखित है:--

सन् १९५५-५६ में मर्दाने चिकित्सालय में ३,५०० रुपया के अनुदान में से सिर्फ २५० रुपये खर्च नहीं किये जा सके, क्योंकि वह दुकानदार जिनसे औषधियां तथा यंत्रादि खरीदना था वह कुल सामान समय से नहीं दे सके।

जनाना चिकित्सालय में कुल ८,००० रुपया के अनुदान में से ३,१६७ रुपये खर्च नहीं किये जा सके इसमें से १,२९० रुपये का सामान दुकानदार समय से नहीं दे सके, बाकी रुपये खर्च करने की आवश्यकता इमारत की मरम्मत इत्यादि के लिये नहीं हुई, क्योंकि इमारत अभी नयी है।

२,६०० रुपये की अनावर्त्तक अनुदान में से ५३२ रुपया ९ आना ३ पाई जो उपयुक्त कारणों से साज-सज्जा के खरीदने के लिये खर्च न किया जा सका उस धनराशि को इस वर्ष दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। आवर्त्तक अनुदान में से पिछले वर्ष (१९५५-५६) के बजट का रुपया इस वर्ष (१९५६-५७) में दिये जाने का नियम नहीं है।

आजमगढ़ जिले में नमक के व्यापारियों के गोदामों की तलाशी

*३८--श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि गत मार्च के अन्त और अप्रैल के प्रारम्भ में आजमगढ़ नगर तथा जिले में कितने नमक के व्यापारियों की तलाशी हुई थी?

श्री बनारसीदास--२४।

*३९--श्री उमाशंकर--क्या सरकार को पता है कि उक्त नमक के व्यापारियों के गोदाम से नमक का जो रिजर्व स्टाक रखा गया था वह तलाशी में नहीं मिला?

श्री बनारसीदास--रिज़र्व स्टाक निर्धारित मात्रा से कम मिला।

*४०--श्री उमाशंकर--क्या यह सच है कि ८० बोरा नमक एक ट्रक पर किसी व्यापारी के गोदाम के सामने पकड़ा गया था? क्या उसका विवरण सरकार कृपा करके देगी?

श्री बनारसीदास--जी हां। ७७ बोरा नमक पकड़ा गया था। उक्त स्टाक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, आजमगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। मुकदमे की रिपोर्ट कोतवाली में की गई। मुहम्मद अख्तर अभियोगी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मुहम्मद अख्तर नमक का लाइसेंसी है?

श्री बनारसीदास--इस वक्त तो सरकार की नीति ६ अप्रैल, सन् ५६ से यह थी कि कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वहां भी सांभर नमक आता है और कीमत इत्यादि पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले जो था उनके पास उसी पर उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गयी है।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने लोगों के घरों में तलाशी में मात्रा से कम नमक मिला और कितने लोगों के घर में बिलकुल नहीं मिला?

श्री बनारसीदास--इसका तो उत्तर शुरू में दिया जा चुका है, २४।

अतारांकित प्रश्न

१-३--श्री राम सुभग वर्मा--[८ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में हैजे के प्रकोप से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--कल एक कामरोको प्रस्ताव आया था जो आजमगढ़ में हैजे के प्रकोप के बारे में था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि वह आज इस संबंध में जानकारी देंगे, वह अब दे दें।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं वहां हैजे की क्या स्थिति है इस पर प्रकाश डालूं, मैं सदन को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि हैजे की बीमारी और दस्त की बीमारी में जिसको गेस्ट्रोइन्ट्रेटाइटिस कहते हैं, अन्तर है। हैजे की बीमारी नोटिफाइड डिजीज मानी जाती है और उसके विषय में अगर वही कहीं फैलती है तो सरकार के पास बराबर सूचना आती रहती है लेकिन यह जो कै और दस्त की बीमारी गेस्ट्रोइनट्रेटाइटिस है यह नोटिफाइड डिजीज नहीं है, इसलिये सरकार के पास जैसे हैजे आदि की सूचना आती है उसकी सूचना नहीं आती। जब इसी तरह का एक कामरोको प्रस्ताव यहां आया था उसके बाद मैंने अवश्य डायरेक्टर महोदय से बात कर के आर्डर दे दिया था कि यह डिजीज भी नोटिफाइड डिजीज समझी जाय, क्योंकि हैजे और कै, दस्त की बीमारी में जो डाक्टर लोग फर्क करते हैं वह आम आदमी नहीं कर पाते हैं। अभी तक हैजे के किसी यथार्थ (बैक्टीरिआलाजिकली पाजिटिव) केस की सूचना नहीं है, परन्तु कै और दस्त (गेस्ट्रोइनट्रेटाइटिस) की घटनायें ग्रामीण क्षेत्रों में और आजमगढ़ नगर में हुई हैं। ३० जुलाई तक कुल जिले में जिसकी जन संख्या २१ लाख है इस रोग से १६३ बीमार हुये हैं और ५८ की मत्यु हुई है।

वर्षा की कमी और गरमी के अत्यधिक प्रकोप से इस साल पूर्वी जिलों में कै और दस्त की बीमारी अधिक हुई है। कै और दस्त की बीमारी सबसे पहले आजमगढ़ जिले के गांवों में मार्च में बहुत थोड़ी मात्रा में हुई। इसके पश्चात जून में यकायक विशेषतः दोहरीघाट और आसपास के गांवों में बीमारी बढ़ी। सूचना पाते ही जिले के स्वास्थ्य विभाग ने शीघ्र ही बीमारी की रोकथाम का आवश्यक प्रबन्ध किया। हैजे का टीका अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को लगाया गया। कुओं में दवा डाली गई और बीमारों के घरों की सफाई (डिसइनफेक्शन) की गई और बीमारों को मुफ्त दवा वितरण का प्रबन्ध किया गया। इन उपचारों के कारण स्थिति में काफी सुधार हो गया परन्तु जुलाई में बीमारी का कुछ फिर जोर बढ़ा। फिर जोर से आवश्यक रोकथाम और इलाज का प्रबन्ध करने के कारण स्थिति और सुधर गई।

आजमगढ़ शहर में जिसकी जनसंख्या २६,००० है इस बीमारी की पहली घटना १४ जुलाई को हुई और तुरन्त ही इसके रोकथाम का उचित प्रबन्ध किया गया, जैसे कि तमाम शहर में टीके लगाये गये तमाम कुओं में दवा डाली गई और रोगियों के घरों में दवाई छिड़की गई और शहर में मक्खी की रोकथाम के लिये डी० डी० टी० छिड़का जा रहा है। रोगियों की चिकित्सा के लिये दवा और डाक्टरों की व्यवस्था कर दी गई है और इसके लिये स्थानीय अधिकारियों के पास उचित द्रव्य का भी प्रबन्ध कर दिया गया है।

३० जुलाई, सन १९५६ तक के आंकड़े तथा उपचार का ब्योरा

(१) बीमार और मृतकों की संख्या	जनसंख्या	बीमार	मृतक
आजमगढ़ ग्रामीण क्षेत्र	२०.७४ लाख	१४०	५०
आजमगढ़ नगर	२६ हजार	२३	८
कुल	२१ लाख	१६३	५८

(२) रोकथाम के उपचार

	ग्रामीण क्षेत्रों में	नगर में	कुल संख्या
१--हैजे के टीके	२१,०००	१३,०००	३४,०००

२--तमाम गांवों और शहरों के कुओं में, जहां बीमारी का प्रकोप था, दवा डाली गई।

३--गांवों और शहर के उन मकानों में जहां इस रोग के मरीज पाये गये, दवा से सफाई (डिसइनफेक्शन) की गई।

४--बीमारों के इलाज का उचित प्रबन्ध किया गया।

५--स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ा दी गई।

आशा है कि माननीय सदस्य इन उपचारों को संतोषजनक समझेंगे। अब शहर और जिले में बीमारी की स्थिति काबू में है। यह वह सूचना है कि जो मुझे कल वहां के सिविल सर्जन और हेल्थ आफिसर ने दी है और वही मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी और कोई नये केसेज इत्यादि के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष--(श्री उमा शंकर से) मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं इस जानकारी के बाद कि यह निश्चित कैसे है कि वह हैजा ही है जैसा कि आपने लिखा है और अर्जेंसी इसकी क्या है? इन दो बातों के बारे में आप बतलायें?

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, कै और दस्त होना और हाथ पैर में तांस आना और अकड़ जाना इसको आम तौर से हम लोग हैजा कहते हैं। माननीय मंत्री जी ने न जाने कौन-सा रोग बताया। मैं तो उसको जानता नहीं, लेकिन हमारे यहां इसी चीज को हैजा कहते हैं और इसको मैंने खुद घूम-घूम कर मुहल्लों में देखा है। लोग बीमार हैं और लोगों ने यह शिकायत की है कि दवा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इतना जरूर है कि जो आम सड़कें हैं उन पर जो कुएं हैं उनमें कुछ दवाइयां पड़ी हुई हैं, लेकिन गलियों के कुओं में कोई दवा का प्रबन्ध नहीं है, न कोई सफाई है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आपने बहस शुरू कर दी। हम तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यह निश्चित है कि यह हैजा है?

श्री उमाशंकर--यह निश्चित है जैसा कि मैंने बताया हाथ पैर में अकड़न और कै व दस्त होते हैं जिसकी वजह से दो दो घंटे में लोग मरते हैं। एक कोर्ट इंस्पेक्टर साहब कचेहरी गये अपने बच्चों को अच्छा चंगा छोड़कर और शाम को कचेहरी खबर गई कि तुम्हारा लड़का बीमार है। जब तक वे आये तब तक लड़का मर चुका था और दो घंटे बाद लड़की बीमार पड़ी। अस्पताल के सामने की बात है। सिविल सर्जन साहब से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हेल्थ आफिसर इसके इंचार्ज हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है। हेल्थ आफिसर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी मुझे कोई दवा नहीं दे रही है, मेरे पास कोई दवा नहीं है। मैं असमर्थ हूं दवा करने से।

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट्स पर फिर जा रहे हैं।

श्री उमाशंकर---मैंने आपको बताया है कि बीमारी हैजा ही है और सब अधिकारी इसको जानते हैं कि लोग हैजे से मर रहे हैं और इसमें कोई शुबहा नहीं है। तो वह रोग वही है इसलिये जरूरत है इस पर विचार करने की। सरकार का स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिविल सर्जन हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का विभाग हो सब लोग दवा दारू और सफाई के मामले में बिलकुल नाकामयाब हुये हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप फिर मेरिट्स पर आ रहे हैं। अब आप कृपा करके बैठें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर अब मैं अपना निर्णय दूंगा। इस पर प्रकाश डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाद में कह सकते हैं।

हैजे के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो प्रकाश डाला वह यह है कि गेस्टो एंट्राइटिस एक दूसरे तरह का रोग है जो कि हैजे की तरह का ही है यह फैसला डाक्टरों ने किया है। इसके बाद मैं समझता हूं कि इसकी अर्जेंसी तब हो सकती थी कि उसके ऊपर सरकार की तरफ से जो कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। वह भी सरकार ने खुद ही कर दी है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई अर्जेंसी विवाद की दिखाई नहीं देती। हैजे के बारे में यह निश्चित नहीं है कि वह हैजा ही है। इन दोनों कारणों की वजह से अनिश्चित होने की वजह से और आवश्यक न होने की वजह से मैं इस कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता। (श्री राजनारायण से) अब आप पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था इसीलिये मैंने निवेदन किया था। आपकी व्यवस्था होने से पहले मुझे आज्ञा मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने यह कहा कि एक सौ कई बीमार हुये माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में .....

श्री अध्यक्ष---आप विवाद कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर यह हैजा नहीं, यह पेचिश है तो डाक्टर लोग इसके लिये हैजे का टीका क्यों देते हैं? कहीं टीके ही से तो मृत्यु नहीं हुई हैं?

श्री अध्यक्ष---आप इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। मंत्री जी अगर दे सकें तो दे दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिस बात का स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाहते हैं मैं स्वयं तो डाक्टर हूं नहीं। मेरी भी हैजे और गैस्ट्रोइनट्राइटिस के बारे में इतनी ही अनभिज्ञता है जितनी की माननीय सदस्य की है जिन्होंने कि प्रश्न मुझसे पूछा है। आम तौर से मैं भी एक ले मैन की तरह यही समझूंगा कि जब कै और दस्त हों तो वह हैजा होगा। लेकिन डाक्टरों का, बैक्टीरियोलौजीकल जो ऐक्जामिनेशन उनके पेशाब आदि और खून का होता है, कहना है कि कौलरे के जर्म्स हों तब कौलरा डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी कारण से मैंने यह आदेश दिया है कि इसको मामूली आदमी नहीं समझते हैं जब कभी यह बीमारी हो तो वह एक नोटीफाइडल डिज़ीज उसी तरह मानी जाय और प्रत्येक हैल्थ आफिसर और असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक हैल्थ जो इस काम के लिये नियुक्त हैं वे सरकार को सूचना दें और उसका इलाज भी उसी तरह से करें जैसे हैजे इत्यादि का होता है। तो शीघ्रता से बीमारी के फैलने में रोकथाम हो सकती है और जो सरकार से पूछा जाता है सरकार उससे समय-समय पर बता भी सकती है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में तकावी की वसूली के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––अब दूसरा श्री उमाशंकर जी का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है:–

"माननीय मालमंत्री के १७ अगस्त, सन् १९५५ के इस बयान के होते हुये कि 'जिन गांवों के अन्दर सन् १९५३ और सन् १९५४ दोनों साल बराबर दैवी आपत्ति (नेचुरल कैलेमिटी) आई है, ओले पड़े हैं, बाढ़ आयी है या सूखा पड़ा है, वहां के निवासियों को सन् १९४८ से लेकर १९५४ तक कानून नम्बर १२ सन् १८८३ के मातहत जो तकावी तथा घर बनाने, बैल, बीज व खाद खरीदने आदि के लिये अल्पकालीन ऋण (शार्ट टर्म लोन) और उसी तरह की अन्य छोटी मोटी तकावी दी गई है वह सरकार ने माफ कर दी है। तकावियां बराबर आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के घाघरा नदी के बाढ़ क्षेत्र के गांव में वसूल की गई तथा अब भी की जा रही है। इन वसूलियों में सरकार के अहलकारों ने इत्यादि" फिर सरकार के अहलकारों ने जिस तरह वसूली करने में सख्ती की उसका जिक्र इस प्रस्ताव में है।

मैं समझता हूं यह ऐलान अगर सही है इसके बारे में निश्चितता अगर मान भी ली जाय तो भी यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं होगा, क्योंकि किनसे तकावी का धन वसूल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है ऐसे बहुत से मामले इसमें उठाये गये हैं जो कि एक निश्चित विषय नहीं है यह भी नहीं बताया गया कि कहां २ वसूली की जा रही है, कोई एक जगह बताते वह भी इस प्रस्ताव में नहीं है। बल्कि एक आम सी बात कहीं गई है कि वसूली की जा रही है तो बहस किस विषय पर हो यह इसमें स्पष्ट नहीं है। अगर माननीय सदस्य को जानकारी हासिल करनी थी तो उसका तरीका यह हो सकता था कि वह प्रश्न पूछते और विषय को निश्चित बना लेते कि फलां २ जगह वसूली हुई है या नहीं, या मंत्री जी से शिकायत करते। अगर स्थानीय कर्मचारी कुछ ज्यादती करते हैं तो उसकी शिकायत मंत्री जी से करने का भी जिक्र इसमें नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अनिश्चितता के कारण और स्थानीय विषय होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

टांडा, ज़िला फैजाबाद में पावर लूम से कपड़े की बुनाई किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण का इस प्रकार है––

"जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टांडा कस्बा में सर्वश्री बदरुद्दीन हाजी मुहीउद्दीन ने बिना सरकारी आदेश प्राप्त किये पावर लूम द्वारा कपड़े की बुनाई कर हाथ से कर्घा चलाने वाले बुनकरों को बेकार कर उनको आर्थिक क्षति की है जिससे तमाम बुनकरों में बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया है और वहां बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः यह सदन उपर्युक्त जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह भी ऐसा साधारण सा विषय है किसी ने अगर किसी सरकारी आदेश की अवहेलना की तो उस विषय को वह आम महत्व का बनाया नहीं जा सकता और न वह पब्लिक इम्पारटेंस का हो सकता है। इस प्रस्ताव में केवल नीति के संबंध में अवश्य प्रश्न पब्लिक इम्पारटेंस का होता है, क्योंकि पावर लूम को चलाने की इजाजत देने से बेकारी बढ़ जाती है।

[श्री अध्यक्ष]

यह नीति के बारे में होने से प्रश्न अवश्य महत्व का हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आम प्रश्न उठाया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के बारे में शिकायत पर उस तरह का वैयक्तिक प्रश्न लेकर यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। इसलिये मैं इसकी इजाजत तो नहीं देता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्योंकि एक विषय सामने आ गया है, तो अगर कोई पावर लूम चलवाने की नीति के संबंध में वह स्पष्टीकरण देना चाहें तो देना महत्व का होगा। इसलिये मैं उन्हें इसके संबंध की नीति स्पष्ट करने के लिये वक्तव्य देने की अनुमति दे देता हूं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जहां तक पावर लूम लगाने का विषय है उस पावर लूम के लगाने के सिलसिले में केंद्रीय सरकार का नियुक्त व्यक्ति टैक्सटाइल कमिश्नर इसकी इजाजत देता है। प्रदेशीय सरकार का जहां तक इस पावर लूम के लगाने की नीति का संबंध है उसमें मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार पावर लूम के लगाने के हक में नहीं है और इस नीति के विषय में जो आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड है उसने भी केंद्रीय सरकार की इस पावर लूम के लगाने की नीति के विषय में उसका विरोध किया है। तो प्रदेशीय सरकार के लिये तो कोई और नीति का प्रश्न उठता नहीं। वह इस नीति की विरोधी है। और पावर लूम लगाने की जो आज्ञा है वह केंद्रीय सरकार देती है, प्रदेशीय सरकार का संबंध उससे नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहूंगा कि हैन्डलूम को पावर लूम से बदलने की प्रांतीय सरकार की पालिसी नहीं है ऐसा माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा और केंद्रीय सरकार की भी संभवतः ऐसी पालिसी नहीं होगी, क्योंकि अगर हैन्डलूम की जगह पावर लूम लगाने लगें तो उसमें बेकारी बहुत बढ़ जायगी। तो जब केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार की नीति और उसकी नियमावली के विरुद्ध वहां पर कार्य हो रहा है, हमने पूरी लिस्ट माननीय अध्यक्ष महोदय की सेवा में भेजी है, करीब १४ व्यक्ति हैं जिनमें ३ तो चार-चार पावर लूम लगाकर बुनाई कर रहे हैं और जो हैन्डलूम के लिये रेल के किराये में छूट मिलती है आधा किराया देना पड़ता है वह छूट भी वह ले रहे हैं, वह वही चार्ज देते हैं, और पावर लगाये हुये हैं, तो सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी, क्योंकि प्रदेशीय सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों की नीति के विरुद्ध होते हुये भी वह वहां पर पावर लूम लगाकर के कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो टेक्सटाइल कमिश्नर का अधिकार है, वह रोकथाम करते हैं। वही इजाजत देते हैं। अगर कोई आदमी उसकी आज्ञा के बिना लगाता है तो उसको वही सजा दे सकते हैं, उसको पकड़वा सकते हैं, उस पर जुर्माना कर सकते हैं। उसी का अधिकार है यह सब।

पडरौना तथा कठकुइयां मिल के मजदूरों को अलग करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल जी का है और वह यह है कि--

"वेग सदरलैन्ड कम्पनी द्वारा गैर कानूनी तरीके पर पडरौना तथा कठकुइयां मिल के सभी मजदूरों की नौकरी नयी कर देने तथा बहुत से मजदूरों को काम से अलग कर देने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसमें यह विषय ऐसा है कि मैं समझता हूं कि इस विषय में मिल मजदूरों को अगर कोई शिकायत है तो अधिनियम के अनुसार उसमें चाराजोई आगे करें। सरकार से इसमें कोई सम्बन्ध, मैं समझता हूं कि नहीं आता और इस लिए यह विषय कामरोको प्रस्ताव का तो नहीं हो सकता। केवल प्रस्तुत परिस्थिति में, गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना इसलिये है कि वहां गलतफहमी से मजदूर झगड़ा खड़ा न कर दें। यह विषय महत्व का हो सकता है। लेकिन यह प्रश्न कामरोको प्रस्ताव में उठाया नहीं है। मैं इन कारणों से इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हां मंत्री जी को इसकी जानकारी अगर वह सदन को देना चाहेंतो मैं उनको इजाजत दे दूंगा कि वह इसकी जानकारी हासिल करके सदन को किसी दिन दें जिससे यदि कोई गलतफहमी हो तो उसका स्पष्टीकरण हो जाय और माननीय सदस्य यदि कुछ पूछना चाहें तो स्पष्टीकरण के बाद पूछ सकते हैं।

*श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस कामरोको प्रस्ताव की सूचना ११ बजने में दो मिनट पर प्राप्त हुई है। इसलिये मेरे लिये यह असंभव हो गया कि वास्तविकता क्या है? इसकी सूचना प्राप्त करके सदन में सामने रख सकूं। यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं इसके सम्बन्ध में ३ तारीख को सूचना इकट्ठा करके रख सकता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि ऐसे मसलों पर जो आम तौर से श्रमिकों और नियोजकों के बीच में होते हैं उनका निबटारा कानून द्वारा किया जाय तो अच्छा है, बजाय इसके कि उन पर हाउस में वादविवाद हो।

श्री अध्यक्ष---यह तो मैं कह चुका हूं और मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है सिर्फ सवाल यह है कि यदि आप जानकारी देना चाहें तो आप दे सकेंगे।

पाठ्य पुस्तकों के अभाव के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष---माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस रोज कहा था कि सम्बन्धित विषय में वह जानकारी हासिल करके उसे सदन को देंगे। क्या वे तैयार हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)---कल दे दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने आज के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, वह आज तैयार नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पर विवादार्थ कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा समय-निर्धारण

श्री अध्यक्ष---मैं यह सूचना सदन को देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की परामर्शदात्री समिति ने अपनी ३१ जुलाई, १९५६ की बैठक में निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६, पर विचार करने तथा उसके पारित करने के प्रस्तावों के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय:---

सामान्य विवाद---सवा पांच घंटे।

खंडों पर विचार तथा पारण---पौने तीन घंटे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसके पारित करने के प्रस्तावों के लिये जो समय उत्तर प्रदेश विधान सभा की परामर्शदात्री समिति के द्वारा निश्चित हुआ है उससे सदन सहमत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--इसमें तो एक चीज है कि नियमों के अनुसार आप यह संशोधन उपस्थित कर सकते हैं यह पुनर्विचार के लिये भेजा जाय ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करूंगा कि इसको पुनः विचार करने के लिये परामर्शदात्री समिति के पास भेजा जाय । हमारा तर्क यह है कि समिति जो विचार करके इस विषय को प्रस्तुत करेगी यह साधारण विषय नहीं है । आप देखेंगे कि १९४७ से लेकर आज तक कितना समय आ गया है । १९४७ में सोशल डिसएबीलिटीज ऐक्ट केन्द्रीय सरकार ने पास किया लेकिन वह डिसएबीलिटीज दूर नहीं हुई । इसके बाद इस ऐक्ट को चैलेंज किया गया और केन्द्रीय सरकार ने १९५० में अनटचेबिलिटी ऐक्ट पास किया इसी से संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही है । यह केवल बनारस की घटना नहीं है, इस प्रदेश की घटना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े सिद्धान्त की बात है कि इस समय सामाजिक विषमता कायम रहे या न रहे । ऐसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन में विचार-विनिमय करने में बाधा डालना और उसके लिये समय निर्धारित करना जबकि श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि जैसे कल दो दिन का समय मुकर्रर किया गया था उस प्रस्ताव के लिये जो कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के लिये था । वह कल ही समाप्त हो गया और एक दिन उस में से भी बच गया और कल साढ़े चार ही बजे माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से यह प्रस्ताव आया कि आज आधे घंटे का समय बचा हुआ है, अब आज की बैठक को समाप्त किया जाय । तो हमारी तरफ से कोई देर नहीं हो रही है । और समुचित समय वादविवाद के लिये हो और इस सदन में जितने सम्मानित सदस्य हैं सब अपने विचार व्यक्त करें तो दो दिन का समय बहुत कम है । मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा क्योंकि इस सम्बन्ध में हम से और माननीय मुख्य मंत्री जी से काफी लिखा-पढ़ी हुई है और उन्होंने कहा कि धर्म शास्त्र कानून का अध्ययन करेंगे और बनारस के नागरिक, सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू और एक उत्तर प्रदेश के अधिकारी के नाते जो कर्तव्य होंगे उसका वे पालन करेंगे । तो वे बतायें कि बनारस के नागरिक, भारतीय नागरिक और सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू के क्या कर्तव्य हैं ।

श्री अध्यक्ष--आपका सुझाव यह है कि दिन भर उनको बोलना ही पड़ेगा ?

श्री राजनारायण--जितना भी समय वे चाहें लें । माननीय मुख्य मंत्री तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं वेदों का अच्छा ज्ञान है उन्हें और पौराणिक उपनिषदों का भी अध्ययन उन्होंने किया है । श्रीमन्, आप देखते हैं कि रोज वहां पर डंडेबाजी हो रही है । तो इन्हीं तमाम बातों को दूर करने के लिये यह विधेयक आ रहा है और इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि परामर्शदात्री समिति ने इसको दो दिन में बांध दिया । मैं यह निवेदन करूंगा आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से और माननीय मुख्य मंत्री जी से, वे बैठे ही हुये हैं, वही इस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे और विवाद शुरू करेंगे कि इस पर समय का कोई नियंत्रण न हो तथा सदस्यों को पूरा अवसर प्राप्त हो कि वे अपने विचारों को अच्छे तरीके से सदन में व्यक्त कर सकें और जो बार-बार प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के कानून बने हुये हैं उनकी धाराओं का भी मनन कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें और इसको परामर्शदात्री समिति में लौटाने का जो मेरा प्रस्ताव है उसके लिये इस सदन से वे स्वयं कहें कि इसको परामर्शदात्री समिति में भेज दिया जाय और वह इस पर पुनः विचार करें । मैं समझता हूं कि दो दिन के समय में अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त करना इस सम्मानित सदन के सदस्यों के लिये सम्भव न होगा ।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतनी बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि जब हमारे सामने एक बहुत ही कम्प्रिहेन्सिव और इलैबोरेट ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है उसके होते हुये कुछ ऐसे मैटर्स और संदेह हैं जो सफ़ई चाहते हैं तो हमें और संदेह की दृष्टि से बिल को देखना पड़ता है और ऐसी अवस्था में अगर उन सन्देहों पर पूरी तरह से विचार न किया जाय तो यह हो सकता है कि और ज्यादा संदेह पैदा हो जाय। इसलिये आवश्यक है कि इसको ज्यादा समय देना चाहिये और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिये कम से कम तीन दिन निर्धारित करने चाहिये और समय इस प्रकार होना चाहिये साढ़े ७ घंटे सामान्य विवाद के लिये।

श्री अध्यक्ष--यह तो आपका सुझ व आ सकता है, अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। आप तो इसको पुनर्विचार के लिये लौटाने के लिये कह सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह--मैं फिर आपके जरिये मुख्य मंत्री और हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि जैसा मैंने सुझाव के रूप में रखा है इस तरीके से इस पर विचार करने के लिये इसको वापस कर दिया जाय ताकि हम इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें और सभी लोग जो इस बिल पर अपने विचार रखना चाहें वे अच्छी तरह से इस पर विचार कर सकें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राजनारायण जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके द्वारा इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो ऐसे गम्भीर विषय हों अगर वह हाउस में ही तय हो जाया करें तो अधिक अच्छा हो क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बिल जिनका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं, किसी एक विभाग या वर्ग से सम्बन्ध है ऐसे विषय तो कभी परामर्श-दात्री समिति के सामने नहीं आते हैं और ऐसे गम्भीर विषय को जिसे पूरा सदन बड़ी मुश्किल से तय कर पाता है इस समिति के सामने अगर निर्धारण के लिये न जाया करें तो आपकी विशेष कृपा होगी। तो मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इस सदन से आशा करता हूं कि जो जयपालसिंह जी ने तीन दिन के लिये रखा है उसे अगर चार दिन का कर दिया जाय या जब तक सदन के सदस्य गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहें तब तक समय दिया जाय। आशा है समिति इस पर पूर्ण ध्यान देगी और इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सदन के अधिकांश सदस्य इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इस लिये विषय की महत्ता को देखते हुये यह आवश्यक है कि सदन के सदस्यों को समय मिले। जो समय निश्चित किया गया है इसमें मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को पूरा समय अपने विचारों को व्यक्त करने का नहीं होगा। यह विषय ऐसा है कि जिस पर कई पहलुओं से हम विचार करेंगे और इसमें जो अधिकार की बात कही गयी है उस सम्बन्ध में बहुत से तर्क-वितर्क की बातें सामने आयेंगी। तो इसलिये निश्चय ही ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के लिये जिसमें सदन की अभिरुचि भी हो और जिसके सम्बन्ध में इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत लगाव हो ऐसे विषयों के लिये समय अधिक मिलना चाहिये और परामर्शदात्री समिति को फिर से यह विचार करने के लिये भेजा जाय। मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति के जो विचार हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। यह समय का केवल अपव्यय होगा। उसके सिद्धान्तों की स्वीकृति तो अनुच्छेद १७ में संविधान में हो चुकी है। अधिक कुछ भी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

हैं । जितना समय परामर्शदात्री समिति ने दिया है वह पर्याप्त है । इसमें कोई सिद्धान्त नहीं है जिसमें हमें तीन दिन लगाना चाहिये ।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय चल रहा है इस पर मेरी भी यही राय है कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर दो दिन बहुत कम होगा । इसके साथ-साथ मैं एक दृष्टिकोण और आपके सामने रखना चाहती हूं । जैसा कि अब यह हमारी जो सदन की कार्यवाही होती है तो उसमें हम लोग बिलकुल अंधकार में रहते हैं कि कौन सा बिल कब आवेगा यह ज्ञात नहीं होता । पार्लियामेंट में कार्यक्रम बन जाता है । उसके कारण सदस्यों को यह सुभीता होता है कि वे अपना कार्यक्रम निश्चित कर लेते हैं । बाहर जाना चाहे या किसी तरह से किसी विशेष दिन वे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो उनको फिर एक सुभीता होता है । मेरा सदन के सामने अनुरोध है कि यदि कोई ऐसा तरीका यहां पर कायम हो जाय तो उससे हम लोगों को बड़ा सुभीता मिलेगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति का यह प्रस्ताव है और उस समिति में हमारे विरोधी दल के भी सदस्य हैं उन्होंने सब कुछ सोच विचार करके ही निश्चित किया है । इसलिये जो माननीय मिश्र जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हू । यह समय काफी है । इसमें काफी बोला जा सकता है, लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और जो समय निश्चित किया गया है वह काफी है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति ने जो समय निर्धारित किया है और इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । यह सर्वमान्य है कि जो सिद्धान्त इस विधेयक में रखा गया है हम सब उसको मानते हैं और इसके लिये यह भी कहा गया है कि उसको संविधान में भी मान लिया गया है और इस पर अब बहुत अधिक बहस की गुंजाइश नहीं है । यह सही है कि अधिकांश सदस्य इस पर भाषण करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि इसके लिये समय निर्धारित कर दें कि पांच मिनट या ७ मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को दिया जाय, उसके अन्दर लोग अपने विचार प्रकट कर लें लेकिन जो समय परामर्शदात्री सभिति ने निश्चित किया है वही उचित है और इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो परामर्शदात्री समिति है वह इस सदन की सम्मानित समिति है । उसको सम्मान प्राप्त है । उसके फैसले को हम सारे हाउस के मेम्बरों को मानना चाहिये । उसको श्रीमान् ने मुकर्रर किया है, जो कमेटी है उसमें श्रीमान् की भी दया रहती है, तो मैं समझता हूं कि जो उनका दो दिन का फैसला है वह उचित है । हां, हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर हम मन्दिर प्रवेश पर बोले तो उसी पर रहें, टैक्सेशन बिल या जमींदारी एबालिशन बिल पर न बोलने लगें । अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम समय पर समाप्त हो जायगा । मैं मिश्र जी का प्रस्ताव उचित समझता हूं और उसका समर्थन करता हूं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प पर जितने भाषण हुए उनको मैंने सुना लेकिन उसमें किसी ने कोई नयी बात नहीं कही कि जिससे मुझे मालूम होता कि उसमें अधिक विवाद की आवश्यकता है । इसका विषय सर्वमान्य है, सिद्धान्त सर्वमान्य है । संविधान ने भी इसको माना है और यह कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं है कि जिस पर बहस के लिये

अधिक समय दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संकल्प अपनी जगह पर सही है और माननीय राजनारायण जी ने इसका विरोध किया है, मुझे आशा है कि वह उसको वापस ले लेंगे और मैं चाहूंगा कि सदन मेरा संकल्प स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६, पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--१२९,

विपक्ष में--५।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. २१५-२१६ पर)

*उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक पर विचार किया जाय।

यह विधेयक बहुत छोटा है। इसमें कुल जमा ८ धारायें हैं। परन्तु जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विधेयक में निहित जो सिद्धान्त है, जिन सिद्धान्तों के आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया है उनके विषय में इस सदन में शायद कहीं कोई मतभेद नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रायः माननीय सदस्य इस विधेयक के मूल उद्देश्य का समर्थन करते हैं। हो सकता है कि उस सिद्धान्त के कार्यान्वित करने में, जो इस विधेयक से निकलते हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ थोड़ा मतभेद हो। यह विधेयक छोटा है, परन्तु इसका इतिहास कुछ लम्बा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिना उस इतिहास को सामने रखे हुये माननीय सदस्यों को इस पर विचार करने में कुछ असुविधा हो सकती है। कम से कम यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि आखिरी समय यह विधेयक सदन के सामने क्यों लाया जा रहा है। इसलिये मैं आपकी अनुमति से संक्षेप में उस इतिहास को सामने रखूंगा।

इस देश के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग इस बात के पक्ष में हैं कि वे लोग जो कि किसी माने में सवर्णों से अलग समझे जाते हैं हरिजन या कुछ और कहलाते हैं वह भी हिन्दू हैं तो उनको देव दर्शन का वही अधिकार प्राप्त होना चाहिये जो दूसरे हिन्दुओं को है। जब मैं प्रगतिशील की बात करता हूं तो मैं इस शब्द के भीतर निश्चय ही हिन्दुओं को शामिल करता हूं। हिन्दुओं में कई सम्प्रदाय हैं और मैं जब इस तरह की बात करता हूं

---

*२५ जुलाई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो मैं पूरी दृढ़ता के साथ उस सम्प्रदाय को अपने सामने रखता हूं। उस वर्ग को और उन लोगों को अपने सामने रखता हूं जिनका कि मन्दिर से और मन्दिर में देव दर्शन से सम्बन्ध है। मेरा तात्पर्य है सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं से। मैं स्वयं हिन्दू हूं और मैं स्वयं सनातन धर्मावलम्बी हूं। मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुओं में बहुत बड़ा बहुमत इस बात के पक्ष में है कि वे लोग, जो आज देव दर्शन से वंचित हैं, उनको देव दर्शन का अधिकार प्राप्त हो। इस सदन को इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है और यह स्वाभाविक बात थी कि अवसर मिलने पर यह सदन जो यहां की बहुसंख्यक जनता है उसकी इच्छा को व्यक्त करे। इसीलिये सन् १९४७ में यहां पर यूनाइटेड प्राविन्सेज रिमूवल आफ सोशल डिसेबलिटीज ऐक्ट पारित किया गया, उसकी धारा ३(डी) में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जो लोग हरिजन या शैडयूल्ड कास्ट के हैं, परिगणित जातियों के हैं, उनको किसी भी सार्वजनिक मन्दिर में जाने से कोई नहीं रोके बल्कि उनको वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो किन्हीं दूसरे हिन्दुओं को प्राप्त होते हैं और वे उसी प्रकार से वहां पूजा-सेवा कर सकें जैसे और लोग करते हैं। यह कानून हमारे यहां १९४७ में इस सदन के द्वारा पारित हुआ।

इसके बाद कोई विशेष प्रयत्न हरिजनों की ओर से वाराणसी में मन्दिरों में प्रवेश करने का खासतौर से नहीं हुआ। लेकिन जिस समय बिहार में वैद्यनाथ के मन्दिर में हरिजन प्रवेश हुआ उसके बाद यहां भी लोगों को उत्साह हुआ कि वाराणसी के मन्दिरों में हमारा प्रवेश होना चाहिये और इसके लिये प्रयत्न होना शुरू हुये। पहला प्रयत्न १९५४ में १७ फरवरी को हुआ। विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा जी के मन्दिरों में लोगों ने प्रवेश करने की कोशिश की। उधर से स्वामी करपात्री जी ने और दूसरे लोगों ने उन्हें रोका और २६ लोग गिरफ्तार हुये, ३४१ इत्यादि धाराओं में, और उनको सजा हुई।

उसके बाद १० अप्रैल, सन् १९५४ को मुन्सिफ की अदालत में एक मुकदमा दायर हुआ जिसमें यह कहा गया कि यह कानून अल्ट्रावायरस है और उत्तर प्रदेश की विधान सभा को इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं। साथ ही एक हुक्म इन्तिहाई के लिये प्रार्थना की गई और मुन्सिफ साहेब ने वह दे दिया। वह हरिजन प्रवेश समिति के मुख्य अधिकारियों के ऊपर और वाराणसी जिले के मुख्य सरकारी अधिकारियों पर था कि मन्दिर प्रवेश की कोशिश न करें और न उसमें किसी प्रकार की मदद करें। उसके बाद केन्द्रीय पार्लियामेंट से अनटचैबिलिटी आफेन्सेज ऐक्ट, १९५५ में मंजूर हुआ। इसके बाद हमारे कानून की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये थी, लेकिन फौरन मुन्सिफ की अदालत में दूसरी दरख्वास्त पड़ी कि हम अपने अर्जी दावे को बदलते हैं और जहां उत्तर प्रदेश के कानून को चैलेन्ज किया था वहां केन्द्रीय सरकार के नये कानून को चैलेन्ज किया गया। मुन्सिफ ने इसकी इजाजत दे दी। यह सवाल १९५५ से चला आ रहा है। उस दिन अपने कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में माननीय राजनारायण ने मुन्सिफ के यहां जो इन्जन्कशन का मुकदमा चल रहा है उसके सम्बन्ध में कई बातें कहीं। उनका कहना था कि आम तौर से इन्जन्कशन के मामले ३ महीने के अन्दर फैसल हो जाते हैं। यह गैर-कानूनी है और मुन्सिफ को अधिकार नहीं फैसला करने का। इन सब बातों की बाबत तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जैसा श्रीमान् ने कहा अगर मुन्सिफ ग़लती करता है तो उसकी कार्यवाही हाई कोर्ट में हो सकती है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि इन्जन्कशन का मुकद्दमा जो बनारस में मुन्सिफ के यहां चल रहा है यह शायद अनूठा, अपने ढंग का एक अद्वितीय, मुकदमा है। मैं कानून बहुत कम जानता हूं, बहुत कम क्या, बिल्कुल नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं है और जो मुक़द्दमों का इतिहास विदेशों का या अपने देश का है उससे भी मैं परिचित नहीं हूं। लेकिन मैंने कुछ कानून के जानने वाले मित्रों से बातचीत की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस इन्जन्कशन के मुकद्दमे को एक चोटी की जगह मिलेगी। इतने दिनों तक इन्जन्कशन का

कोई मुक़द्दमा चलता रहे, यह बात अद्वितीय है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह गैर-कानूनी बात है। मुझको किसी भी अदालत पर कोई कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है लेकिन यह सत्य है कि यह १९५५ से चला आ रहा है। यह ख्याल था कि २३ जुलाई को फैसला हो जायगा लेकिन ३० जुलाई लगा दी गयी। मैंने ३० जुलाई को मालूम किया लेकिन मालूम हुआ कि २५ अगस्त लग गयी है। बहरहाल अदालत है, अदालत का हुक्म है, हुक्म इम्तनाई का मुकदमा चल रहा है। यह हो सकता है कि वह बिल्कुल कानूनी हो, जायज़ हो लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सभी लोगों को इससे उलझन है। जो मन्दिर में प्रवेश पाना चाहते हैं उनको उलझन है, शायद जो रोकना चाहते हैं उनको खुशी हो लेकिन गवर्नमेंट को भी इससे उलझन है। कुछ भी फैसला हो, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। वह कानून केन्द्रीय सरकार का कानून है, उसको अल्ट्रावायरिस करार दिये जाने का मुकदमा है, इसलिये इस परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता।

बहरहाल इस हुक्म इम्तनाई के होते हुए हरिजनों की ओर से कोशिश इस बात की होती रही कि वह मन्दिर में प्रवेश करें, दूसरी तरफ से कुछ लोग जो अपने को सनातनधर्मी हिन्दू कहते हैं, कहते थ कि जब हरिजनों को मुन्सिफ ने रोक दिया है तो ऐसी हालत में मन्दिर में प्रवेश करना गैरकानूनी काम हो गया और गैरकानूनी काम करने से रोकने का अधिकार सब को है। चूंकि हरिजन मन्दिर प्रवेश का काम करते हैं अतः उनको नागरिक की हैसियत से रोकने का अधिकार है। इधर से मन्दिर प्रवेश करने की कोशिश होती रही और उधर से यह कोशिश होती रही कि मन्दिर में प्रवेश न करने पायें। यह परिस्थिति काफी समय से चली आ रही है। कई बार झगड़े हुए, संघर्ष हुए कई बार लोगों को गिरफ्तार करने की नौबत आयी।

एक बात और वह यह कि सौभाग्य से यह इंजैक्शन आर्डर केवल अन्नपर्णा जी और विश्वनाथ जी के मन्दिरों के लिये हैं और मन्दिरों के मामले में हमारे सरकारी अधिकारियों के ऊपर कोई रोकथाम नहीं रही। इसलिये और मन्दिरों में कानून के अनुसार मन्दिर प्रवेश करने में सहायता दी। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो सरकारी अधिकारियों ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की। इसी का नतीजा यह हुआ कि विश्वेश्वर के मन्दिर में, संकटमोचन मन्दिर में और दुर्गा जी के मन्दिरों में प्रवेश हुआ। जहां कहीं रोकथाम हुई सरकारी अधिकारियों ने मन्दिर प्रवेश में सहायता दी। यह बात इसलिये कही गयी है कि कभी कभी यह आक्षेप होता है कि सरकारी अधिकारी सहायता नहीं करते और वे नहीं चाहते कि मन्दिर प्रवेश हो, हरिजनों के रास्ते में बाधा पहुंचाई जाती है, रोकथाम की जाती है। हमने इस सम्बन्ध में भी अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह ली तो उनकी यह राय है यह आर्डर रिप्रेजेन्टेटिव आर्डर है। बनारस के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनकी जगह अगर दूसरे आदमी भी आ जायं तो उनके ऊपर भी वह लागू हो जायगा। आफिसर रूप से वह उन पर लागू होता है। इसी तरह से हरिजन मन्दिर प्रवेश कमेटी के जितने पदाधिकारियों के नाम हैं यदि वह हट जायं और दूसरे पदाधिकारी आ जांय, तो उनके लिये भी हमारे कानूनी सलाहकार का कहना है कि उनके ऊपर भी इंजैकशन आर्डर लागू होगा। इस तरह से यह रिप्रजेन्टेटिव आर्डर है। इसलिये हमारे लिये इसमें कोई रास्ता नहीं रह गया है कि किसी प्रकार से हम उनकी मदद कर सकें।

एक चीज का जिक्र करना और भी जरूरी हो जाता है और वह यह है कि जो सत्याग्रह था हरिजन मन्दिर प्रवेश कमेटी की तरफ से उसका अपना एक रूप था। उस कमेटी के जो खास कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सत्याग्रह की एक विधि जो महात्मा जी से हमने सीखी है उसका पालन करें। जिस दिन मन्दिर प्रवेश करना होता था उस दिन वे पब्लिकली सूचना दे देते थे, अधिकारियों को भी और पब्लिक को भी और सूचना

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के बाद मन्दिर के पास जाते थे और कुछ देर तक रहते थे। जाहिर बात है कि दूसरी तरफ के लोग उनको रोकते थे। ऐसे मौके पर सरकारी अहलकारों का काम बड़ा मुश्किल होता है। उस दिन माननीय राजनारायण जी ने कहा कि सरकारी अहलकार क्यों बीच में आते हैं। जब हरिजन मन्दिर प्रवेश के लिये जाते हैं तो फिर सरकारी अहलकार बीच में पड़ कर उनको क्यों रोकते हैं। यह जरा सोचने की बात है कि कुछ लोग तो मन्दिर में जाना चाहते हैं और कुछ लोग उनको रोकते हैं, इस तरह से वहां पर ला ऐंड आर्डर की बात सामने आ जाती है। फिर ऐसी हालत में सरकारी अहलकारों को वहां आकर रोकथाम करना आवश्यक होता है। जैसा कि मैं कह रहा था उनका सत्याग्रह शान्तिमय तरीके से होता था। वह थोड़ी देर में चले जाते थे। इतना ही नहीं इस उम्मीद पर कि शायद मुकदमें का फैसला जल्दी हो जाय, मैंने उनको एक बार यह भी सलाह दी कि वे कुछ दिन और इन्तजार कर लें सत्याग्रह स्थगित कर दें, और मुकदमे का फैसला देख लें। उन्होंने मेरी सलाह भी मान ली।

उसके बाद एक दिक्कत हो गयी और उसका भी जिक्र करना जरूरी है। इस किस्म के आन्दोलन को जो धार्मिक आन्दोलन हो उसको अपने ही ढंग से चलने देना चाहिये। किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसे आन्दोलन में राजनीतिक पार्टी की ओर से शरीक नहीं होना चाहिये। उस राजनीतिक पार्टी के जो व्यक्ति हों वे भले ही अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उसमें शरीक हों। सोशलिस्ट पार्टी ने किसी वजह से इस आन्दोलन को अपनाया और उस आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उन्होंने उचित समझा और उसके एक प्रमुख व्यक्ति माननीय राजनारायण ने उस आन्दोलन का नेतृत्व किया जिसका एक बहुत बुरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा। एक खासी संख्या ऐसे लोगों की थी जो मन्दिर प्रवेश आन्दोलन के साथ सहानुभूति रखते थे, उनको भी एक चिढ़ हो गयी और चिढ़ होने के दो तीन कारण थे। एक बात तो यह थी कि किसी राजनीतिक पार्टी का, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जैन सभी आ जाते हैं, ऐसे आन्दोलन में पड़ना उचित नहीं है। जो लोग हिन्दू नामधारी हैं वे नास्तिक भी हो सकते हैं, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखते, कुछ मार्क्सिस्ट हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि 'रेलिजन इज दि आपियेट आफ दि पिपुल", जनता को धर्म के नाम पर भ्रम में डाला जाता है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। फिर लोगों का नाराज होना स्वाभाविक था। एक राजनीतिक पार्टी के लोगों का इस आन्दोलन में पड़ना उचित नहीं था क्योंकि उसके बाद इस आन्दोलन ने अपना दूसरा ही रूप पकड़ लिया। लोगों का ऐसा ख्याल था कि सोशलिस्ट पार्टी धर्म के नाम पर, हरिजन लोगों को विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश कराने के नाम पर किसी प्रकार से अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहती है। ऐसे लोगों की वजह से यह समस्या और भी जटिल हो गयी। जो लोगों का यह ख्याल था वह बिल्कुल निराधार नहीं था। मेरे पास उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री श्री रामसागर मिश्र का एक पत्र आया। उसमें सोशलिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया, वह दिया हुआ है। उस प्रस्ताव के दो अनुच्छेदों को मैं पढ़ देता हूं, उससे मालूम हो जायगा कि उनके सामने केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं है बल्कि राजनीतिक उद्देश्य भी है। ऐसा सोचना लोगों का बिल्कुल गलत भी नहीं था।

"सोशलिस्ट पार्टी का निश्चित मत है कि हरिजन मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह सामाजिक समता का एक सक्रिय आन्दोलन है। और सामाजिक समता के बिना आर्थिक समता की कल्पना कोरी भूल है। हरिजन मन्दिर प्रवेश का कानून पास कर कांग्रेस सरकार ने हरिजनों को भुलावा देने का और कांग्रेस चुनाव प्रचार का साधन बना लिया है। कांग्रेस सरकार के इरादे के खोखलेपन का पर्दा खोल कर इस सत्याग्रह ने हरिजनों को वस्तुस्थिति का सच्चा ज्ञान कराया है।

यह समिति उत्तर प्रदेश सरकार विशेषत: मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी द्वारा सत्याग्रहियों को हरिजन मन्दिर प्रदेश के वैधानिक अधिकार में न केवल उचित सहायता ही न पहुंचाने, अपितु भ्रामक व दुविधानजक आदेश व परामर्श देकर सत्याग्रह से विरत करने की चेष्टा करने के अवैधानिक व अमानवीय कार्य की निन्दा व भर्त्सना करती है। समिति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अवसर पर अपने द्वारा निर्मित कानून का उल्लंघन होते देख कर और जान कर भी मौनावलम्बन करने पर सन्देह करती है कि वह भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस कुचक्र में सम्मिलित है।"

उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और न उस पर टीका करने की ही जरूरत है और जो कांग्रेस की बेईमानी और बदनीयती की बात थी उसका मैंने जिक्र कर ही दिया और जो हमने लोगों को बुरी सलाह दी वह भी मैंने बता दी कि हमने कहा कि वे थोड़े दिन ठहर जायं, शायद कुछ दिन में मुन्सिफ के यहां से इसका फैसला हो जाय और इसका जिक्र मैं हर एक सदस्य के सामने कई बार कर चुका हूं। यह बात हमारी तरफ से जो हुई वह अमानुषिक हो या अमानवीय हो या इसमें कोई बदनीयती हो, लेकिन हमने जरूर यह मशविरा दिया, कुछ लोगों को हो सकता है यह चीज पसन्द न आयी हो, लेकिन जिस रूप में वहां कार्य हुआ कुछ लोगों को इससे चिढ़ पैदा हुई और विरोध की भावना आयी और उसका नतीजा यह हुआ कि मन्दिर प्रवेश समिति जो पहले से शान्ति से कार्य करती थी और जिसके कार्यों के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती जाती थी उस सहानुभूति में जरूर उनके इस व्यवहार से कमी हुई। सत्याग्रह का रूप भी बदला उससे, जहां पहले यह रूप था कि पहले से खबर देकर नोटिस देकर शान्ति से आकर एक स्थान पर वह बैठ जाते थे वहां यह रूप हो गया कि किसी न किसी तरह से संघर्ष छेड़ा जाय। कहा जाता है कि एक लड़के को वहां गेंद की तरह से फेंका गया मन्दिर में, और दूसरी तरफ से भी उसको उसी तरह से गेंद की तरह फेंका गया अगर, मैं समझता हूं कि, उसको इसी तरह से दो चार बार गेंद की तरह से और फेंका जाता तो मन्दिर प्रवेश होता या न होता उस लड़के का परलोक प्रवेश तो हो ही जाता। पता नहीं कि सत्याग्रह के इस रूप में से कहां तक हरिजन उद्धार हो सकता है लेकिन वहां पर इस तरह से जो लोगों ने सत्याग्रह का रूप बदला वह एक नई चीज थी, बड़े-बड़े नेता दूसरे सामाजिक और तरह तरह के कामों में लगे हैं वहां पर भी नए रूप में सत्याग्रह जारी हुआ और सत्याग्रह का इतिहास बदल गया।

लेकिन हम बराबर कह रहे थे कि अगर मुन्सिफ के यहां से मुकद्दमा खत्म हो जाय, अगर वहां से यह फैसला हो जाय कि मन्दिर प्रवेश कानून वैध है तब तो बात दूसरी है, लेकिन अगर अवैध हो जाय तो अपील का मौका होगा लेकिन अभी तक न तो कानून को वैध किया जाता है और न उसको अवैध ही किया जाता है और आगे २५ अगस्त को भी फैसला होगा या नहीं होगा यह भी हम नहीं कह सकते। इस स्टेट पर गवर्नमेंट अपनी अदालत के खिलाफ सत्याग्रह तो कर नहीं सकती, हमने यही सोच समझकर कि जब तक यह मामला मुन्सिफ की अदालत में है हम कुछ नहीं कर सकते और वहां से क्या फैसला होगा यह भी हम नहीं कह सकते। हमारा जो अब तक का कानून था वह एक तरह का डिक्लेरेटरी सा कानून है उससे स्पष्ट नहीं है, उसमें हम यह स्पष्ट करना होगा कि फलां कानून के मातहत हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का अधिकार है और अगर किसी अदालत में कोई मुकदमा इन्जन्कशन का या और किसी और प्रकार का चल रहा है तो वह माना जाय कि खत्म हो गया और जो कोई भी मुकदमा चल रहा है वह आपसे आप खत्म हो जाय, यही इस कानून के अन्दर लिखा है। अगर इस कानून की जान बच गई तो जो मुकदमें मुन्सिफ की अदालत में हैं उनको फैसला देने की जरूरत ही न होगी और उनको भी छुट्टी मिल जायगी और मसला खत्म हो जायगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दो एक और बातों को स्पष्ट करना जरूरी है जिनकी तरफ मेरा ध्यान गया है। वह पास हो या न हो लेकिन जो संशोधन आये हैं उनकी भाषा को देखकर मेरा ख्याल हुआ कि उन दो एक बातों को मैं जरा स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो यह है कि हमें कानून की आड़ में हिन्दू धर्म के स्वरूप को बदलने की कोशिश न करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हिन्दू धर्म इतना उदार है कि उसके भीतर जो लोग हरिजन कहलाते हैं उनको भी भगवान का--अपने उपास्य के दर्शन करने का अधिकार है लेकिन साथ ही यह क्षण भर के लिये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम इस कानून की आड़ में बैकडोर से, चोरी से हिन्दू धर्म को बदलने की बात कर रहे हैं। यह हमारी क्षण भर के लिये भी कोशिश नहीं है। सदन के एक माननीय नेता--राजनारायण जी--से मेरी बातचीत हुई। उनका इस तरह का सुझाव था कि पुरोहिती या पूजा करने का जो काम होता है सब लोगों के लिये उसका रास्ता खोल दिया जाय। सब लोग मन्दिर में पुजारी हो सकें। मैं इसकी राय नहीं देता। इसके लिये कोई आन्दोलन होता हो तो हो। किन्हीं विद्वानों की पहले से बात तय होती हो तो हो। इसके बाबत मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इस कानून के जरिये मैं इसके अन्दर परिवर्तन चुपके से करने नहीं जा रहा हूं। मन्दिरों में जो पुजारी होते हैं वे आम तौर से ब्राह्मण होते हैं। क्षत्री भी इसके अधिकारी नहीं हैं। हम उस प्रथा को बदलना नहीं चाहते। माननीय सदस्य देखें कि इसी सदन में हमने बद्रीनाथ के मन्दिर के कानून को पास किया। उसमें जो पूजा करने वाले हैं वे रावल कहलाते हैं। वे उत्तर भारत के नहीं होते। मालाबार से आते हैं। उसको भी हमने नहीं बदला। जो पूजा पाट की प्रथा है उसको बदलना हमारा काम नहीं। कोई ऐसा संशोधन जिसका यह परिणाम हो कि जो प्रचलित प्रथा है हिन्दू धर्म के अन्दर, उसको बदलने की बात हो, हिन्दू धर्म में संशोधन करने की बात हो तो हमारा यह उद्देश्य नहीं है, यह हमें नहीं करना है। माननीय राजनारायण जी ने पूछा कि सनातनधर्मी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। तो सनातन धर्म की जड़ काटना हमारा कर्तव्य नहीं है, उसकी उन्नति करना ही हमारा कर्तव्य है।

दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे संशोधन आये हैं जिनका परिणाम यह होगा कि आज जो पूजा पाठ की व्यवस्था है कैसे दर्शन करें उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये। कहीं-कहीं जंगले लगे हुए हैं। मैं भी मानता हूं कि सब के लिये एक तरह से होना चाहिये। यह नहीं कि एक आदमी तो एक तरह से दर्शन करे और दूसरा आदमी दूसरी तरह से दर्शन करे। सबको एक ही प्रकार से दर्शन करने का अधिकार होना चाहिये। जो सवर्ण अपने को कहते हैं उनको भी और जो हरिजन कहलाते हैं उनको भी और जो दूसरे वर्गों के हैं उनको सब देव दर्शन करने का समान रूप से अधिकार होना चाहिये। किस प्रकार लोग दर्शन करें, किस प्रकार मन्दिर का प्रबन्ध होना चाहिये इसका निश्चय करेंगे वे जो ट्रस्टी होंगे जो वहां के पंडित होंगे--वे निश्चय करेंगे। हां, दर्शन करने में किसी रूप से फर्क नहीं होना चाहिये। इन दो बातों की ओर मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा सिद्धान्त में कोई मतभेद नहीं है। सनातन धर्म में, किसी प्रगतिशील व्यक्ति के सिद्धान्त में ईश्वर सब का है। शंकर हों, राम और कृष्ण हों या विष्णु हों सब समान रूप से पूज्य हैं। भगवान शंकर के साथ जब गण लोग रह सकते थे, राम और कृष्ण के छोटे और बड़े सब प्रकार के लोग उनके भक्तों में हुए हैं तो उनकी मूर्ति के सामने हर एक को जाने का निश्चित अधिकार है। जिनके पूर्वज उनके सामने जा सकते थे जब कि वे सशरीर थे तो आज उनके वंशजों को उनकी मूर्ति के सामने जाने का निश्चित रूप से अधिकार होना चाहिये। जो प्राचीन बात को मानते हैं उसके विरुद्ध कोई भी हिन्दू नहीं हो सकता। लेकिन जो काम हो वह व्यवस्थानुसार होना चाहिये। आज मन्दिर प्रवेश के कानून के बहाने हम कोई अव्यवस्था पैदा कर दें ऐसे हमारे उद्देश्य

नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले इस बिल को ले आने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को और इस विभाग के कर्मचारियों को मैं मुबारकबाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप अपना संशोधन उपस्थित कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल--अब मैं यह अपना संशोधन सदन के सामने उपस्थित करता हूं।

"उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ जनमत संग्रह के लिये ३१ दिसम्बर, १९५६ तक घुमाया जाय।"

यह कहा जा सकता है कि एक तरह तो यह प्रस्ताव अच्छा भी है और फिर अगर घुमाया जाय तो इस तरह विलम्ब करने का क्या मतलब? यह दोनों साथ २ कैसे आ गये। क्योंकि शुभस्य शीघ्रम्। अच्छा भी है तो देर करने की क्या जरूरत है। अच्छा काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा हुआ करता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आपके सामने है इसके दो पहलू हैं। एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। इस लिये हमें इसके हर पहलू पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये और फैसला करने में आसानी होगी। .....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के पार्ट तीन में क्लाज १७ में यह स्पष्ट दे दिया गया है कि:--

17. "Untouchability" is abolished and its practice in any form is frrbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.

तो मौजूदा विधान में जो यह क्लाज है उससे यह स्पष्ट है कि यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त हो चुका है और हमारे विधान में स्पष्ट कह दिया गया कि "अनटचएबिलिटी इज फौरबिडिन"। यह अधिकार इस मौजूदा विधेयक में घोषित किया गया है। इस प्रकार जब अनटचएबिलिटी ...

श्री अध्यक्ष--आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मेरा कहना है कि जनमत के लिये भेजना जब कि विधान में स्पष्ट है चीज रख दी गई है तो इसमें जनमत का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जनमत का अर्थ यही होता है कि जनमत में यह जानने की कोशिश की जाय कि कितने व्यक्ति हैं जो इसके विरुद्ध हैं और माफिक हैं और तब सदन उस मत को जानकर अपना निर्णय दे। लेकिन इसमें जनमत का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमारे विधान में जनमत के ही आधार पर यह रखा गया था और सम्पूर्ण हमारे देश का जनमत इसके प्रति पहले से ही स्पष्ट हो चुका है कि अनटचएबिलिटी का कोई स्थान हमारे देश में नहीं। तो फिर जनमत का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये यह जो मोशन मूव किया गया है वह अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष--यह प्रक्रिया नियमावली से सम्बन्धित है और उसमें दिया हुआ है कि कोई भी विधेयक जब सदन के सामने विचारार्थ आये तो कौन-सा संशोधन आ सकता है। एक तो यह है कि प्रवर समिति के पास भेजा जाय, यह संशोधन आ सकता है। प्रवर समिति के पास भी इस बात का विचार किया जाता है कि जितने खंड उसमें आये हैं उनके ऊपर विचार करें। सिद्धान्तों पर ही केवल विचार नहीं होता, बल्कि उसके खंडों

[श्री अध्यक्ष]

पर भी विचार होता है। दूसरा यह है कि जनता की राय के लिये भेजा जाय। तो विधेयक पूरा भेजा जाता है और विधेयक में कोई सुझाव देने का जनता को अधिकार रहता है, जैसा प्रवर समिति को रहता है। तो ऐसी अवस्था में उस सिद्धान्त के खिलाफ नहीं जा रहा है जो सिद्धान्त आपने अभी संशोधन में बताया। संशोधन में जो सिद्धान्त हैं उसके अनुसार ही तो राय जनता देगी। लेकिन जो विधेयक में खंड हैं उनके विषय में भी तो जनता के लोग राय दे सकते हैं कि यह खंड इस तरह का होना चाहिये या यह चीज ऐसे होनी चाहिये। तो राय देने के लिये विधेयक को घुमाना इस दृष्टि से किया जाता है। तो इसमें कोई भी विरोध संविधान से नहीं आता जबकि राय लेने के लिये विषय जनता के सामने जाता है। इसलिये मैं समझता हूं जो आपत्ति आपने उठाई है वह सार्थक नहीं निरर्थक है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि अभी कोई कहेगा कि इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। थोड़ी देर और लगेगी। इस का मतलब सारा इतना है जहां तक मैं जानता हूं कि इस हाउस का एक भी मेम्बर इस का विरोधी नहीं है। सब मानते हैं कि यह ठीक है और इससे इत्तफाक भी करते हैं। किन्तु आप जानते हैं कि जब सरकार किसी कातिल पर या डकैत पर जिस पर पुलिस रिपोर्ट देती है कि यह कातिल है, डकैत है, इसने खून किया है मुकदमा चलाती है तो उसके लिये एक वकील भी दे देती है कि तुम इसकी पैरवी करो ताकि जज के सामने पक्ष और विपक्ष की पूरी-पूरी बातें आ जायं। कहा भी है कि "वादे वादे जायते तत्वबोधः" किसी बात के पक्ष विपक्ष व तर्कों को सुनने के बाद ही फैसला करने में आसानी होती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके पक्ष में और विपक्ष में हर तरह की बातें सामने आ जायं। यदि यहां कोई विपक्ष में न हो तो बाहर के लोगों को इनवाइट करें, सनातन धर्मियों को बुलायें कि इसमें आपका क्या कहना है? उनको चाय पिलायें और उनकी बात सुनें। लेकिन अगर सदन की राय होगी कि घुमाना बेकार है वापस ले लो। हमारे मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि वापस ले लो तो मैं बड़ी खुशी से वापस ले लूंगा। मैं देर नहीं लगाऊंगा। कई वक्ता बोलने वाले हैं, लिहाजा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं समझता हूं कि इसमें दो पहलू हैं। एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक है। धार्मिक तो यह है कि लोग ईमानदारी से भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लोग गरीब हैं फिर भी रेलवे टिकट में पैसा खर्च करते हैं अथवा पैदल जाते हैं और जब वह वहां जायं तो कहा जाय कि तुम भगवान का दर्शन नहीं पा सकते हो। यह उचित नहीं। कुछ लोगों का धार्मिक विश्वास है और उनका खयाल है कि हरिजन अशुद्ध होते हैं, उनमें सफाई कम होती है इसलिये मन्दिर में जाने से गंदगी होगी। शास्त्रों में लिखा है और भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि:--

"तस्मात्च्छास्त्रं प्रमाणते कार्याकार्य व्यवस्थितेवौ ।
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्मकेतु निहारिहसि ।।"

इसलिये शास्त्रों के विधान को देखकर ही फैसला करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे कहा जाता है कि:--

"तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयोः विभिन्नः नैको ऋषिर्यस्य वचःऽप्रमाणम् ।
धर्मस्यं तत्वं निहितं गुहायाम, महाजनो येनगतः सपन्थः ।"

दलीलों की हद नहीं होती है, श्रुतियां विभिन्न हैं, विद्वानों के वचन प्रमाण हैं और धर्म के तत्व

बहुत ही गहन हैं, इसलिये जैसे बड़े लोग चलते हैं, उनके साथ ही हमें चलना चाहिये। लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि सनातनियों के पास पैसा बहुत है इसलिये उससे फायदा उठाया जाय और वह लोगों से इस तरह की बातें कहते हैं कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर रही है और व्याख्यान आदि देकर उनकी सहानुभूति लेकर फायदा उठाते हैं। यह चीज है वरना हुजूरवाला, आजकल के पढ़े-लिखे लोग भला यह कैसे कह सकते हैं कि हरिजन भाई भगवान के दर्शन करने मत जाओ। कहां शास्त्रकारों ने यह लिखा है? अफसोस तो यह है कि उस किताब का एक टुकड़ा पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं। ऊपर से एक लाइन पढ़ कर कहने लगते हैं कि यह मना है। एक साहब थे वह मुसलमानों से कहते थे कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिये कुरान में ही लिखा हुआ है कि मत पढ़ो कुरान। एक समझदार आदमी था। उसने कहा कि यह अगूंठा जहां रखा है उसको हटा लीजिये। उन्होंने अगूंठा हटाया तो उसमें लिखा था कि "जब हो नापाक।" तो ठीक इसी तरह से वे लोग शास्त्र की उन चीजों को तो पढ़ते हैं जो उनके फायदे की होती हैं। सही माने में तो शास्त्र यह कहते हैं कि :

आत्मनः प्रतिकूलानि परेसाम न समाचरेत।

जो चीज अपने पसन्द की न हो वह बर्ताव दूसरे के साथ भी मत करो। अगर आप मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरों को दर्शन करने से मना करें। यह श्लोक साबित करता है कि हरिजनों को रोकना गलत बात है। गीता में खुद श्री कृष्ण भगवान ने कहा है :--

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि,
शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।

विद्या विनय से सम्पन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो अथवा चंडाल हो, पंडित लोग सबको बराबर की निगाह से देखते हैं। तो अगर सब बराबर हैं तो फिर दर्शन करने से कैसे रोक सकते हैं। और शास्त्रकार यह भी कहते हैं कि :--

केवलम् शास्त्र माश्रित्यन कर्त्तव्योवि निर्णयः
युक्ति हीन विचारेतु कार्य्य भ्रष्टो भिजायते।

केवल शास्त्र के ही सहारे रह कर कोई फैसला नहीं करना चाहिये। तर्क से भी वह ठीक होना चाहिये। तो एक लाइन शास्त्र की पढ़ते हैं किन्तु दूसरी लाइन भूल जाया करते हैं। तभी तो हरिजनों को शंकर भगवान के दर्शन करने से रोकते हैं। जिन्होंने स्वयं जहर पी लिया था। जहर से ज्यादा अशुद्ध चीज और क्या हो सकती है? जब समुद्र मन्थन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। तो शंकर जी न उसे पी लिया। भगवान रामचन्द्र शबरी के जूठे बेर खाते रहे। एक कवि लिखता है कि:--

बेर बेर बेर ले सराहैं बेर बेर बहु,
रसिक बिहारी देत बन्धु कहं फेर फेर,
चाखि चाखि भाखैं ये बाहुतै महान मीठे,
लेहु तो लखण यों सराहत हैं हेर हेर,
बेर बेर देवै बेर सबरी सु बेर बेर,
तऊ रघुनाथ बेर बेर कहि टेर टेर,
बेर जनि लाओ, बेर, बेर जनि लाओ बेर,
बेर जनि लाओ बेर लओ कहे बेर बेर।
दीन अधीन मलीन है विहंग पर स्योछिति खिन्न दुखारी,
राघव दीन दयालु कृपाल को देखि दुखी करुणा भई भारी।
गिद्ध को गोद में उठाय दयानिधि नैन सरोरुह में भरि बारी
बारहिंबार संवारत पंख जटायु की धूरि जटान सों झारी।

[श्री सीताराम शुक्ल]

लो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कुछ लोग गलतफहमी के कारण ऐसा कहते हैं और कुछ लोग पोलिटिकल फायदा उठाने के लिये किन्तु मेरे खयाल से सिर्फ बिल ले आना ही काफी नहीं होगा। ऐसा गलत प्रचार जो करते हैं इसका जबाव भी देना जरूरी है इत्तफाक से हमारे सूचना मंत्री साहब मौजूद हैं, मैं अर्ज करता हूं कि कानून बनाना ही जरूरी नहीं है बल्कि यह भी जरूरी है कि कानून आपने किस लिये बनाया है। मुझे शिकायत है कि आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं। गलती करें, नाराज हों, कोई शिकायत नहीं आखिर मैं भी तो हिन्दू हूं, ब्राह्मण हूं। एक जमाना था जब मैं खुद छुआछूत मानता था। लेकिन जब हिन्दू मुसलमानों में दंगा हुआ सन् १९२३ में तब मैंने इस पर विचार किया कि आखिर झगड़ा होता क्यों है। तो मालूम हुआ कि कारण तो पास ही में है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये भाई हैं और फिर कहते हैं कि हट जाओ हमारा पानी अशुद्ध हो जायगा।

और एक इंसान के छू लेने से अशुद्ध कैसे हो गया। जड़ में खराबी है। मैंने कहा कि छूतछात पहले टूटना चाहिये। मेरा बायकाट हुआ और मेरे एलेक्शन में भी यही प्रचार हुआ कि यह मुसलमान है हिन्दू नहीं है और हर जाति का छुआ खाता पीता है। लेकिन मैंने उस वक्त ठीक कहा था और जो मैंने उस वक्त अर्ज किया था वही आज जो मुखालिफत करते थे कहते हैं कि तुमने ठीक कहा था। मेरी गुजारिश है कि अगर हिम्मत से कही जाय तो बात पक्की हो जाती है। सूचना मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और मुख्य मंत्री जी भी हैं। त्रिवेणी आज बह रही है, वक्तृता की सरस्वती, कलम की यमुना और चरित्र की गंगा। आज इन दोनों सज्जनों के कारण वहां त्रिवेणी स्वयं बहा रहे हैं। लेकिन इन दोनों योग्य पुरुषों के रहते हुए भी गलत प्रचार वहां हो रहा है सही प्रचार नहीं है और सही प्रचार होता तो गलतफहमी नहीं है और आपका सब कार्य सिद्ध होता। दूसरी तरफ वह साहबान हैं जो छुआछूत से फायदा उठाना चाहते हैं। कहते हैं साहब देखिये कि वर्णाश्रम धर्म बना कर हम लोगों को कुचला गया, हमें दबाया गया, सताया गया, परेशान किया गया। मैं कहता हूं कि प्रकृति ने काम को बांट दिया है। आप आंखों से देखते हैं, मगर सुनते नहीं है, कानों से सुनते हैं लेकिन देखते नहीं, पैरों से चलते हैं किन्तु लिखते नहीं, हाथ से लिखते हैं परन्तु चलते नहीं। हमने अपने घरों में काम बांट दिया है, स्त्रियां खाना बनाती है आप बाहर का काम करते हैं, जो भाई होशियार हुआ वह कचहरी करता है और जो सीधा सादा हुआ वह बैलों को खिलाता है और खेतीबारी देखता है। आपके हाथों में काम बंटा हुआ है। बायें हाथ से पाखाना कमाते हैं और दायें हाथ से खाना खाते हैं। अब अगर बायां हाथ कहे कि वाह तुम रोज खाना खाओगे और मैं रोज पाखाना साफ करूंगा। यह नहीं हो सकता एक दिन तुम साफ करो एक दिन मैं। तो ठीक है। उसे भी करना पड़ेगा, लेकिन नहीं काम बांट दिया गया है सफाई का काम यह करता है और लिखने का काम यह करता है। यह भी नहीं होता कि जब यह दाहिना हाथ खाना खाये तो वह केवल वह दाहिने हाथ में नहीं जाता बल्कि दूसरे हाथ में भी जाता है और सब में बराबर पहुंचता है। यह भी नहीं होता कि कपड़ा पहनते है तो जो पाखाना कमाता है उसका बांह छोटा रखा जाय। घड़ी हम बायें हाथ में पहनते हैं, क्योंकि दाहिने हाथ में पहिनी जायगी तो उससे ज्यादा खतरा रहेगा। तो सब जगह यह काम बंट गया तो बुजुर्गों ने वर्णाश्रम करके बांट दिया काम को, ताकि काम ठीक चले, तो क्या बुरा किया ? क्या आप उनको बेइमान कहेंगे ? आप बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिये। नहीं बदलेंगे तो नुकसान होगा मगर अपने बुजुर्गों को गाली देना या बेइमान कहना तो अनुचित होगा। इस सदन के पुराने कानूनों को देखिये। इसी सदन में पास हुआ था कि जमींदारी रहेगी और टेनेंसी ऐक्ट बना और इसी सदन में पास हुआ कि नहीं जमींदारी नहीं रहेगी। वह वक्त था कि जमींदारी रहनी चाहिये और आज है कि नहीं रहनी चाहिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—प्वाइंट आफ अर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूं कि इससे उनके संशोधन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि किसी हद तक यह बात सही है । उन्होंने जो अपना संशोधन दिया है उसके मुताल्लिक अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है ।

श्री सीताराम शुक्ल---अफसोस है कि ह्विप साहब ने पहले ही ह्विप नहीं किया । मैं जानता हूं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने का मौका दे देता लेकिन मेरे कुछ अरमान ह मुझे कहने का तो मौका मिलना चाहिये । मैं अर्ज कर रहा था कि न यह सदन उस वक्त बेइमान था और न इस वक्त है । ईमानदार उस वक्त भी था इस वक्त भी है । इसी तरह बुजुर्गों ने जब वर्णाश्रम धर्म बनाया उस वक्त वही ठीक था । आप चाहें परिवर्तन करना तो बड़े सुख से कीजिये, लेकिन अपने बुजुर्गों को गाली मत दीजिये, उनकी नियत पर हमला मत कीजिये । वर्णाश्रम की व्यवस्था हमने की थी इसलिये कि ब्राह्मण नौकरी नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, उसको हमारे बुजुर्गों ने भीख मांगने और लंगोटी लगाने का आदेश दिया तथा भगवान का नाम जपने के लिये माला दी । उनको अपनी स्त्रियों से क्या दुश्मनी थी कि वह न पढ़ाई जायं, उनको अपने देश के राजा से क्या दुश्मनी थी कि उसको कह दिया कि ५० साल की अवस्था के बाद साधु हो जाय और दूसरे लोगों से क्या दुश्मनी थी मैं समझता हूं कि यह सब उन्होंने अच्छी नियत से किया । आप चाहें तो बदल दें ।

एक और अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल में एक प्वाइंट रह गया । मेरी प्रार्थना यह है कि हरिजन तो हमारे भाई हैं, हिन्दू हैं, उनका मन्दिर प्रवेश तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिये, लेकिन हमको ईसाइयों और मुसलमानों के लिये भी अपने मन्दिरों का दरवाजा खोलना चाहिये । क्या विश्वनाथ जी केवल हमारे ही हैं ? क्या अन्नपूर्णा जी और गणेश जी केवल हमारे हिन्दुओं के ही हैं ? वह सबके हैं, वह एक ईसाई और एक मुसलमान के भी हैं । मैं कहता हूं कि सबके लिये मन्दिर का दरवाजा खुल जाना चाहिये । श्रीमन्, राजा महेन्द्र प्रताप जी हिन्दू हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ आते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं । इसी तरह से अगर कोई मुसलमान भाई चाहता है कि विश्वनाथ जी का दर्शन करने जायं तो उसको भी आने देना चाहिये । वह आना चाहता है तो उसको आने दीजिये । मैं कहता हूं कि अगर कोई खानखाना अब्दुर्रहीम जैसा मुसलमान आना चाहता है मंदिर में दर्शन करने के लिये तो क्या आप उसको रोक देंगे ?

अहिल्या पाषाणः प्रकृत पशुराशीत् कपिचम्
गुहोभू चांडालस् तृतयमपि जातम् निजपदम् ।
अहंः चित्तं नाश्मा पशुरपि तवार्चादि करणे,
क्रियाभिष् चांडालस् रघुवर नमामि मुद्धरसिकिम ।

उन्होंने कहा कि अहिल्या पत्थर थी आपने उसको तार दिया, बन्दर पशु थे आपने उसको तार दिया, निषाद चांडाल था आपने उसको तार दिया, लेकिन यह मेरा दिल पत्थर है, पूजा अर्चा पशु की तरह से है और मेरी क्रियायें चांडाल की हैं, तो मुझे आप क्यों नहीं तारते ? मेरे में तो तीनों बातें मौजूद हैं । अगर रसखान ने कहा कि मैं दर्शन करना चाहता हूं तो.....? उन्हीं ने कहा है :

मानुस हों तो वही रसखान बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन,
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन ।
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो शिर छत्र पुरंदर धारन,
जो खग हों तो बसेरो करों वही कालिन्दी कूल कदंब की डारन ।।

अगर कोई ऐसा भक्त दर्शन करना चाहता है तो उसके लिये मन्दिर का दरवाजा हमें खोलना चाहिये । बस यही मेरा निवेदन है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय शुक्ल जी से वह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। समय थोड़ा है खास कर इसलिये और अगर वह मेरा अनुरोध मान लें तो सदन का कुछ समय बच जायगा, नहीं तो बहुत सा समय इस विवाद में चला जायगा। और मैं उनको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि वह दिसम्बर तक इसको सर्कुलेट करना चाहते हैं, अगर फरवरी, मार्च तक एलेक्शन होने वाले हैं तो फिर यह लौट कर इस सदन में नहीं आयेगा और इस तरह से जन सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका उनके हाथ से निकल जायगा।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय मुख्य मंत्री जी तो बहुत संक्षेप में अपनी बात कहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर हुक्म होगा तो वापस ले लूंगा। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री सीताराम शुक्ल--हां, मैं वापस लेता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, आज इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है निश्चय ही वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार विनिमय यहां पर करें तो ऐसे शान्ति पूर्ण और व्यापक दृष्टि कोण से.....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, यह संशोधन जो श्री सीतार म शुक्ल ने पेश किया था उसको उन्होंने वापस ले लिया तो वह वापस लिया गया या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--अभी तो वापस नहीं किया गया यद्यपि वह राजी हैं, किन्तु सदन से अभी नहीं पूछा गया।

श्री देवदत्त मिश्र--यदि वापस लेने की घोषणा की तो मैं ऐसा समझता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सदन से इसकी अनुमति प्राप्त कर लें कि शुक्ल जी इस संशोधन को वापस लेना चाहते हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--उसका फैसला करना तो आपका काम है यह बताने वाले कौन होते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय सदस्य ने खड़े होकर कह दिया कि वह इसको वापस लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--सदन से पूछने की आवश्यकता होगी फिर भी यदि सदन की इच्छा है तो मैं इसके लिये पूछ लूंगा। किन्तु मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि सदन के माननीय सदस्य अभी इस पर अपनी राय देना नहीं चाहते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया था और पुनः उनसे सादर और साग्रह निवेदन करूंगा कि जितना महत्वपूर्ण विषय आज इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज इस विधेयक पर सामान्य विवाद में हिस्सा लेते हुए अपना मत व्यक्त किया है और मुख्य रूप से जिसको उन्होंने प्रस्तावित किया उसके उद्देश्य और कारणों को यदि देखा जाय तो इसके उद्देश्य और कारणों से मुख्य मन्त्री का यह कहना सही है.....

*श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय। उस पर माननीय शुक्ल जी ने अपना एक संशोधन रखा। उस पर अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने श्रीमन्, आपसे यह आज्ञा चाही कि वह अपना संशोधन वापस लें। तो इस समय सदन के सामने विचारणीय जो चीज़ है वह यह कि आया इस संशोधन को वापस लिया जाय या नहीं। इसके लिए पहले कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अब पुनः उसी चीज़ पर विचार करना कि जिस चीज़ को वापस करने की वह अनुमति मांग चुके हैं कि उनका संशोधन वापस किया जाय, कहां तक वैधानिक है? मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि कोई भाषण हो जो मोशन सामने है उसको ही लिया जाय यानी इस अमेंडमेंट की बाबत वापस करने के लिये सदन से अनुमति ले लें उसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--एक तो माननीय सदस्य ने अपने संशोधन को वापस नहीं लिया था। जब वह अपना भाषण समाप्त कर चुके तो माननीय मुख्य मंत्री ने उनसे यह प्रार्थना की कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। तब उसके बाद उन्होंने वापस लेने की बात कही। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि हो सकता है कुछ सदस्य इस संशोधन का समर्थन करें तो उनको आप मौका दें। बाद में यदि माननीय सदस्य को मौका रहेगा तो वह इसको वापस लें ले। अभी तक यही प्रथा रही है कि बाद में भी वह संशोधन वापस होता रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं आता है कि इस पर सदन की राय पहले ली जाय या बाद को ली जाय, क्योंकि डिस्कशन तो इस पर बराबर जारी रहेगा। आज ५ बजे तक जनरल डिसकशन के लिये समय मिला है। कोई दूसरा प्रस्ताव मेरे सामने नहीं है। मगर इसके पक्ष में और विपक्ष में लोग अपनी राय दे सकते हैं। सदन को मालूम हो गया है कि प्रस्तावक महोदय अपना संशोधन वापस लेते हैं और इस पर सदन की अनुमति में जिस वक्त चाहूं ले सकता हूं मगर जनरल डिसकशन तो जारी रहेगा ही चाहे इस पर कोई फैसला हो जाय। इसलिये मैं जनरल डिसकशन की इजाजत देता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--चूंकि विधेयक पर विचार के लिये समय नियत है, इसलिये भाषणों का समय नियत कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आवश्यक होगा तो इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि हम अपनी गतिविधि को समझें कि हम क्या डिजर्व करते हैं। मैं सर्वप्रथम अपना मत प्रकट करना चाहता हूं कि मैं श्री सीताराम जी शुक्ल के संशोधन का विरोधी हूं।

श्री देवदत्त मिश्र--वह तो सदन के सामने है ही नहीं, वापस लिया जा चुका है।

श्री राजनारायण--अगर कोई पार्लियामेंटरी पद्धति को न समझें तो मेरा क्या दोष है?

यह सही बात है कि माननीय मुख्य मंत्री के विधेयक के उद्देश्य और कारण से किसी को विरोध नहीं हो सकता। जिससे यह उद्देश्य और कारण निकलता है वह सम्मति और

[श्री राजनारायण]

मत भारतीय संविधान में सुरक्षित हैं। जहां पर फंडामेंटल राइट्स आते हैं और यदि १७ खंड को देखा जाय तो अनटचेबिलिटी के बारे में साफ लिखा है कि

"Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordenee with law."

इस फंडामेंटल राइट्स के १७ वें अनुच्छेद के अनुसार यह बात सर्वमान्य है कि किसी भी रूप में अनटचेबीलीटी हमारे देश में नहीं रहेगी और जो कोई व्यक्ति अनटचेबीलिटी के मुताबिक काम करेगा वह सजा का भागी होगा। कानून के मुताबिक उसे सजा दी जा सकती है। यह संविधान में बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुन्दर अक्षरों में लिखा हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी का और हमारा एकमत है कि अनटचेबीलिटी दूर होनी चाहिये, अस्पृश्यता निवारण होना चाहिये। अछूतपन का भाव नहीं रहना चाहिये, किसी को दलितवर्ग समझ कर या हरिजन समझ कर हम उसे अछूत मानें और अपने देश में कोई भी कार्य न करने दें, यह संविधान की मंशा के विरुद्ध है। इस संविधान की मंशा को समझते हुये और अपने कर्त्तव्यों को अच्छे तरीके से समझते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९४७ में एक ऐक्ट पास किया जिस ऐक्ट के मुताबिक किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिये। यदि श्रीमन्, देखा जाय तो पहली सितम्बर १९४७ से रिमूवल आफ डिसएबीलिटीज़ ऐक्ट लागू है। एक सितम्बर, १९४७ की तिथि को मैं चाहता हूं हमारे सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से याद रखें। यद्यपि गवर्नर महोदय की स्वीकृत २८ जून, ४७ को ही प्राप्त हो चुकी थी मगर इस कानून की एक धारा के मुताबिक सरकार ने यह अधिकार ले लिया था कि जिस समय वह चाहेंगे इस कानून को लागू करेंगे। अब १ सितम्बर, १९४७ को यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। अब यदि इस कानून की धारा और इस कानून की भाषा को देखा जाय तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक आज इस सदन में प्रस्तुत किया है उससे भिन्न नहीं है बल्कि एक प्रकार से देखा जाय तो यह १९४७ का जो ऐक्ट रिमूवल आफ सोशल डिसएबीलिटीज़ नाम से मशहूर है सही मानों में कार्यान्वित किया जाता तो उसी से तमाम दिक्कतें दूर हो जानी चाहिये थीं। इसी ऐक्ट के मुताबिक हमारे प्रदेश के कुछ हरिजन भाइयों में और कुछ अन्य प्रगतिशील व्यक्तियों के मन में यह बात आयी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मंदिर में जाने का निषेध नहीं होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि केवल हरिजनों के मन में यह बात आयी, उससे मैं सहमत नहीं हूं, बल्कि ऐसे लोगों के मस्तिष्क में भी यह बात आयी जो दूसरी जाति के लोग थे कि यदि किसी भी हरिजन के मन में यह बात आती है कि वह विश्वनाथ जी अथवा अन्नपूर्णा जी का पूजन करे तो उसको यह अधिकार होना चाहिये और यदि हमारे प्रदेश का कोई व्यक्ति हरिजनों के इस अधिकार में बाधास्वरूप खड़ा होता है तो उसको कानूनी समुचित दंड मिलना चाहिये। श्रीमन्, यदि आप पुराने कानून को ही देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है :–

"No person shall, notwithstanding anything contained in any instrument or any custom or usage to the contrary,

(i) prevent any person merely on the ground that he belongs to a Schedule Caste from....."

इसका हिन्दी अनुवाद यह है––कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो शिड्यूल कास्ट में पैदा हुआ हो निम्नांकित काम करने से रोक नहीं सकता। और यदि निम्नांकित काम करने से रोकता है तो वह दंड का भागी होगा।

किन-किन कामों को अपराध माना गया है उसके बारे में बताया गया है––

"(*a*) having access to, using or enjoying any river, stream, well, tānk, cistern, water tap or any other watering place, any sanitary conveynance, any road, street or pathway or any cremation ground which is open to other Hindus".

चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कुआं हो या इसी तरह का कोई और स्थान हो जहां दूसरे हिन्दू जाते हों, उन पर किसी को शिड्यूल कास्ट कह कर रोका नहीं जा सकता। अब आप इसके ३,(बी) को देखें।

"(*b*) using or enjoying at any time or place the facilities of any public conveyance, or any means of conveyance which other Hindus have a right to use".

किसी भी कंविएंस पर जो दूसरे हिन्दू अधिकार रखते हों इस्तेमाल करने का हरिजन उसके वंचित नहीं होंगे, दलित वर्ग का कोई सम्मानित सदस्य उससे वंचित नहीं होगा, वह उसको इस्तेमाल कर सकेगा। अब आगे है—

"(*c*) having access to or enjoying the advantages, facilities and privileges of any place of public amusement or public entertainment, any educational institution, any hospital or dispensary or any other building or place used for public or charitable purposes which is open to other Hindus".

यानी इससे हरिजनों को वे तमाम सुविधायें और तमाम अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह किसी विनोद का स्थान हो, या चाहे किसी शिक्षा संबंधी स्थान से संबंधित हो, या कोई अस्पताल हो, या कोई डिस्पेंसरी हो, या अन्य कोई ऐसी बिल्डिंग हो, जो अन्य हिन्दुओं के लिये खुली हुई हो, वह सामान्य रूप से हरिजनों के लिये भी खुली रहेगी। अब श्रीमन्, आप आगे देखेंगे डी । सन् १९४७ में जब यह कानून बना उस समय इस सदन का जो मंशा था उसको भी हमें स्पष्ट अपने सामने रखना चाहिये—

"(*d*) having access to any public temple or enjoying the advantages, facilities and privileges of any such temple to the extent the same are available to other Hindus and subject to such conditions and the observance of such ceremonies as may be customary to the temple".

यह जो डी क्लाज है, यह बहुत ही स्पष्ट कहता है। श्रीमन्, आप सन् १९४७ को याद रक्खें और आपके द्वारा मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि वे भी सन १९४७, पहली सितम्बर को याद रखें। पहली सितम्बर, १९४७ को यह ऐक्ट अपने उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और इस ऐक्ट के मुताबिक यह बात मानी गयी है कि किसी भी दलित वर्ग के लोगों को, किसी भी हरिजन को जो पब्लिक टेम्पुल्स हैं, जिनमें अन्य हिन्दू प्रवेश करते हैं, वे अन्य हिन्दू जिस प्रकार से प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से हरिजनों को भी उस मंदिर में प्रवेश करने का हक होगा।

श्रीमन्, अब यहां पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनके भाषण का यदि तीन चौथाई हिस्सा देखा जाय तो वह राजनारायण से संबंधित था, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था और जो काशी विश्वनाथ के सिंह द्वार पर आन्दोलन चल रहा है उससे संबंधित था। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और इस सदन से निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे ऊपर जो दोषारोपण किया, सोशलिस्ट पार्टी पर जो दोषारोपण किया वह भी सदन के सम्मानित सदस्य समझेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कितना अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। कितनी दूर तक जाकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर आक्रमण किया है, यद्यपि मैं उनके आक्रमण का स्वागत ही करता हूं, उस पर मैं बाद में आऊंगा।

श्रीमन्, मेरा जो इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी ओर भी संकेत किया है। मैंने आज सुबह जो फोन पर माननीय मुख्य मंत्री जी से

[श्री राजनारायण]

निवेदन किया था उसकी ओर भी उन्होंने संकेत किया है और सारी बातों को बतलाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा संशोधन तो इससे और भी पीछे जाता है। मैं अपने संशोधन में स्वतः संशोधन करूंगा, क्योंकि मैंने उसमें लिखा है सन् ५४, जिस दिन मुंसिफ ने निषेधाज्ञा जारी की थी उस तिथि के बाद मंदिर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये। मगर म और भी पीछे जाता हूं और कहना चाहता हूं कि यह विधेयक कानून के रूप में जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, तो विधेयक लागू होने तक जिस तरह सामान्य हिन्दू जाया करते थे वे ही सामान्य हिन्दुओं के नियम माने जाने चाहिये। श्रीमन्, कोई ऐसी परिस्थिति न पैदा की जाय जिससे मंदिरों का स्वरूप ही विकृत कर दिया जाय। उनके लिये कोई जंगला बना दिया जाय जिस जंगले से तमाम लोग दर्शन करें और सामने जायं। मैं इस पर बाद को आऊंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि १ सितम्बर, ४७ जब से कि यह कानून यहां लागू हुआ वहां तक जो प्रथा, जो नियम था और जिस तरीके से दूसरे हिन्दू मंदिर में जाते थे हम क्या उससे कोई दूसरा अधिकार चाहते हैं? नहीं चाहते। मुझे मालूम है कि इस ऐक्ट के पास होने के बाद न मालम कितने मंदिरों के स्वरूप में परिवर्तन किया गया, हूं मैं बनारस में ही काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मैं दुर्गा जी के मंदिर में और संकट मोचन के मंदिर में जाता था वह मैंने देखे थे लेकिन इस ऐक्ट के पास होने के बाद उन में भी परिवर्तन किये गये हैं और दर्शन की दूसरी व्यवस्था की गई है। दुर्गा जी में भी जिस का कि नाम माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया, करीब तीन चार मास हुये जंगला लगाकर दर्शनों की दूसरी व्यवस्था की गई है, बड़े-बड़े सनातनधर्मावलम्बी हिन्दू जो अपने को माननीय मुख्य मंत्री से कम नहीं समझते, यद्यपि मैं माननीय मुख्य मंत्री को ही बड़ा मानता हूं लेकिन बड़े-बड़े दूसरे हिन्दू जो सनातनी हैं और जो करपात्री जी के शिष्य हैं उनके पास से मेरे पास कई बार संदेश आया और जो बड़े बड़े लोग हमारे निजी रिश्तेदार हैं वह मेरे पास भेजे गये हैं, पटने से उनको लाये, काशी नरेश से लाये और जिस दिन सत्याग्रह होने वाला था ६-६ घंटे तक लोग मेरे पास बैठे रहे और मुझे रोकने की कोशिश की गई और उनकी तरफ से सत्याग्रह को रोकने के लिये मेरे पास एक मसविदा आया कि वहां एक जंगले की व्यवस्था कर दी जाय और कहा गया कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक हिन्दू वहां दर्शन करने जाय वैसे ही हरिजन भी जायं और सभी जंगले के बाहर से दर्शन कर लिया करें। मैंने कहा कि वाह, यह भी खूब मसविदा है कि जो हिन्दू जाकर अब तक दर्शन कर लिया करते थे वह भी वंचित कर दिये जायं हरिजनों को तो कौन कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे संशोधन की तरफ भी इशारा किया। मैं सम्मानित सदस्यों से एक निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं कि वह जरा विश्वनाथ जी के मंदिर में जा कर देखें कि जिस दिन हरिजन सत्याग्रह नहीं होता उस दिन हिन्दू किस तरह से पूजा करते हैं, कैसे मूर्ति का स्पर्श करते हैं, लेकिन वह व्यवस्था क्या हरिजनों के लिये भी रहती है? मैं चाहता हूं कि किसी भी हिन्दू कहलाने वाले के लिये कोई विशेष व्यवस्था न रहे। अगर ऐसा होता है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कदमों में नतमस्तक होऊंगा।

मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया कि हम नेतृत्व के भूखे थे और जब से सोशलिस्ट पार्टी में आये तब से लोग विरुद्ध हो गये हैं। मैं वह कहावत तो नहीं कहता, लेकिन इस सदन में आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर आरोप लगाने के पूर्व वह अपनी गतिविधि का भी कुछ निरीक्षण किया करें, मैं सोशलिस्ट हूं सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं और बार-बार डंके की चोट पर कहता हूं कि सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की विषमता अभी समाज में है। महात्मा गांधी के कहा था, मैं उन को अपने समर्थन में खड़ा करता हूं, उन्होंने साफ कहा था कि जब तक हरिजन अनटचेबिल माने जायेंगे तब तक देश की आजादी निरर्थक और अधूरी होगी। आज सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि सामाजिक और एकनामिक इक्वेलिटी की लड़ाई साथ-साथ चलनी चाहिये और अगर हम दोनों में से केवल एक पर ही जोर देते हैं तो सही मानों में हम अपने स्थान से च्युत होते हैं। इसीलिये सोशलिस्ट पार्टी गर्व के साथ इस बात को पेश करती है कि जहां तक सामाजिक विषमता हो उसको मिटाया जाय,

आर्थिक विषमता हो उसको मिटाया जाय और सामाजिक और आर्थिक विषमता को मिटा कर हम सच्चे समाज की रचना करना चाहते हैं। अगर इसको मिटाने के लिये प्रयत्नशील हैं, सामाजिक विषमता को मिटाने के लिये आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विषमता को साथ-साथ मिटाना जरूरी है तब हमसे कहा जाता है कि हम राजनीति इसमें लाते हैं। मगर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने २१ अप्रैल, को बनारस कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एक एम० पी० श्री रघुनाथ सिंह ने उसका समर्थन किया। वह प्रस्ताव इस प्रकार है "जिला कांग्रेस कमेटी की यह बैठक हरिजन मंदिर प्रवेश को हरिजनों का अधिकार मानती है और उन लोगों से जो हरिजनों के मंदिर प्रवेश में बाधक हैं अपील करती है कि सामाजिक राजनैतिक एवं देश की परिस्थिति को देखते हुये वे प्रगतिशील विचारों का अनुसरण करते हुये हरिजनों को मंदिर में जाने दें।"

श्रीमन्, बढ़िया प्रस्ताव है। मैं इसके लिये माननीय कमलापति जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि माननीय कमलापति जी ने स्पष्ट लिख दिया कि आज जो सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति है उस पर कांग्रेस स्थिति से पीछे नहीं रहना चाहती। वह तमाम लोगों से अपील करती है कि इस राजनैतिक परिस्थिति को देखते हुए इस आन्दोलन में शरीक हों। यह कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव है, इस प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री कमलापति जी का जिनके लिये मैं यहां तक कह सकता हूं कि वे मंत्री से भी बड़े हैं, अखबार के सम्पादक रह चुके हैं। उन्होंने यह प्रस्ताव रक्खा था और श्री रघुनाथ सिंह, एम० पी० ने उसका समर्थन किया था। माननीय मुख्य मंत्री कह सकते हैं कि यह तो कमलापति जी के निजी विचार हैं। कमलापति जी ने अपने प्रस्ताव को वहां के कांग्रेस जनों को प्रभावित करा कर पास करा लिया होगा या जिस तरह की राजनैतिक परिस्थिति आई होगी उससे वशीभूत होकर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रख दिया होगा। चाहे जो माननीय मुख्य मंत्री जी कहें लेकिन मैं आपकी सेवा में माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है "उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबिहारी सिंह के पास निम्नलिखित पत्र भेजा है:—

आप लोगों ने श्री विश्वनाथ मंदिर में हरिजनों के नेतृत्व का निश्चय किया है उसकी सूचना मुझे मिली है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हरिजन मंदिर प्रवेश के सर्वथा पक्ष में है और मैं ही नहीं, प्रत्येक कांग्रेस जन भी इसका पूर्णतया समर्थक है। परन्तु आप जानते हैं कि यह मामला इस समय दीवानी अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इससे थोड़ी सी अड़चन पैदा होती है। हम कांग्रेस जनों के ऊपर अदालत की मर्यादा की रक्षा का भी भार है। उसको भी निबाहना ही होगा। मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस मामले का कुछ न कुछ निर्णय हो जायगा। तब तक के लिये मेरा आपसे अनुरोध है कि परिस्थिति पर नियंत्रण रक्खें। मैं आप लोगों की भावना का पूर्णरूपेण आदर करता हूं। परन्तु यह चाहता हूं कि जब अदालत का निर्णय, चाहे उसका जो भी रूप हो, निकल जाय तभी कोई कदम उठाया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—इस विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप विधेयक तक ही अपना भाषण सीमित रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैंने इसलिये पढ़ने का साहस किया कि उत्तर प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रस्ताव था उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में पढ़ कर सुनाया और उसी के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि सोशलिस्ट पार्टी जब से इस आन्दोलन में शामिल हुई है तब से कुछ लोग इसके विरोधी हो गये। माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र तमाम जगह

[श्री राजनारायण]

पब्लिश हुआ उसको आपकी सेवा में सुनाना चाहता हूं उस पत्र के बार में जो मुझको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा, उनका जो पत्र आया है जिसके आधार पर यह विधेयक बना है, उस सब को आपकी सेवा में रखूंगा .....

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री राजनारायण--मगर एक तरफ उन्होंने सब कुछ कर लिया है, कोई चीज बाकी नहीं रही है। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी अवसर प्राप्त हो और सदन की जानकारी में आ सके ....

श्री उपाध्यक्ष--विधेयक से जिन चीजों का सीधा सम्बन्ध नहीं है उसे न लायें।

श्री राजनारायण--सीधा सम्बन्ध है। आप उनका भाषण मंगा कर पढ़ लें। हमारा पत्र और प्रस्ताव पढ़ा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष--पत्र पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--तो मुझे जो पत्र याद है वही कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा आगे पत्र में कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व के अन्दर ही मन्दिर मर्यादा की सुरक्षा भी होगी और हरिजन मन्दिर प्रवेश भी होगा। यह बिल्कुल बिना एक शब्द के हेरफेर के मुख्य मंत्री का पत्र तमाम समाचारपत्रों में प्रकाशित है और उसी के सम्बन्ध में मैंने यह निवेदन किया है। श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करूंगा इस अवसर पर, यह कोई हमारा निजी मामला नहीं है। यह बहुत विषद और गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत है। तो उस पर कोई ऐसी बात न हो जिससे कि हम यह समझें कि हमारे ऊपर अंकुश लगाया जाता है इसलिये कि कांग्रेस सरकार का पक्ष प्रबल हो। मैं इतना निवेदन करूंगा इस सदन में जितनी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रस्तुत हुई हैं उसका उचित जवाब आप हमें देने का मौका दें।

श्री जोरावर वर्मा--मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सोशलिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन पढ़ा उसके जवाब में माननीय राजनारायण जी उनका पत्र और कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव सदस्यों को पढ़ कर सुनाना चाहते हैं तो जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई एतराज नहीं है तब तक...

श्री देवदत्त मिश्र--उस विषय पर रूलिंग हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं अपनी रूलिंग के खिलाफ नहीं सुनना चाहता।

श्री राजनारायण--तो मुख्य मंत्री का पत्र मुझे पढ़ना था और जो निष्कर्ष निकालना था मैं समझता हूं उसको अच्छी तरह से सदन में आपकी इजाजत से रख दूं। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जब वह यह कहें और यह पत्र लिखें कि कांग्रेस के नेतृत्व ही में हरिजन मन्दिर प्रदेश होगा तब वह राजनीति नहीं खेलते? जरा देखा जाय। और हमारे ऊपर वह इल्जाम लगाने का साहस करते हैं कि हम राजनीति खेलते हैं। मैं समझता हूं उन्होंने जो इस तरह का आरोप लगाया वह जितना हमारे ऊपर नहीं आता है उससे कई गुना ज्यादा उन पर आता है। माननीय मुख्य मंत्री राजनीति खेल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राजनीति खेल रही है,

कांग्रेस सरकार राजनीति खेल रही है, यह हमारा स्पष्ट मत है। मगर जब उन्होंने यह देखा कि राजनारायण के आ जाने से कांग्रेस की नीति उलट रही है तब दूसरा आरोप हमारे ऊपर आने लगा कि राजनारायण और सोशलिस्ट पार्टी इसमें पालिटिक्स खेल रही है। श्रीमन्, मैं अपने इस मत के समर्थन में आपकी आज्ञा से और बहुत सी बातें कहना चाहता हूं क्योंकि श्रीमन्, आप उद्देश्य और कारण को देखेंगे। इसको अच्छी तरह से देखा जाय, क्योंकि इसके उद्देश्य और कारण में यह बिल्कुल साफ बात लिखी है। इसमें लिखा है--

"भारत के संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है (शब्दों में) और इसका किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध है।" यह विधेयक के उद्देश्य और कारण में है।

"जैसा कि अनुच्छेद ३५ के साथ ही साथ उक्त अनुच्छेद में भी अपेक्षित था, संसद ने अनटचेबिलिटी अफेन्सेज ऐक्ट, १९५५ पहले ही अधिनियमित कर लिया है। इस ऐक्ट में तत्सम्बन्धी अपराधों के लिये दंड नियत हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाने पर भी जनता के कुछ वर्ग अब भी यह कहते चले आ रहे हैं कि कुछ वर्गों को हिन्दू मन्दिरों में अथवा धार्मिक उपासना के अन्य स्थानों में प्रवेश करने का वैसा ही अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि समाज के अन्य सदस्यों को प्राप्त है।"

इसकी मंशा यह है श्रीमन्, कि जो सोशल डिसएबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट पास हुआ उत्तर प्रदेश का सन् ४७ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली जून सन् १९५५ से अनटचेबिलिटी आफेंसेज ऐक्ट पास किया उसके बाद भी आज हमारे समाज के अन्दर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हरिजनों को तामाम हिन्दुओं के समान हिन्दू मन्दिरों में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह इसकी मंशा में लिखा हुआ है और इसी पर वहां आन्दोलन हो रहा है। उसी आन्दोलन में शरीक होने से हम लोग डंडे खाते हैं। उसी आन्दोलन में शरीक होने से हम लोग जेल काटते हैं, उसी आन्दोलन में शरीक होने से हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, बाल नोचे जाते हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है। तो श्रीमन्, ऐसा कहने का आधार उन रीति-रिवाजों, प्रथाओं तथा व्यवहारों को बताया गया है जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह शास्त्रों में उल्लिखित हैं। किन्तु उपर्युक्त अनुच्छेद १७ को देखते हुए ऐसा कहना विधि की दृष्टि से ठीक नहीं है। धार्मिक उपासना प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है। अतएव सरकार का विचार है कि यदि अस्पृश्यता के आधार पर अब भी कोई शंकायें रह गई हों तो उनका अन्तिम रूप से निराकरण कर देना चाहिए। तदनुसार यह विधेयक दलित वर्गों के प्रत्येक सदस्य को यह आश्वासन दिलाने के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है कि उसे प्रत्येक हिन्दू मन्दिर में प्रवेश करने तथा उपासना करने और उसमें सम्मिलित होने का वैसा ही और उतना ही अधिकार प्राप्त है जैसा और जितना अधिकार साधारणतया हिन्दुओं को अथवा उसके किसी वर्ग को प्राप्त है।

मैंने उद्देश्य और कारण पढ़ दिया श्रीमन्, आपकी सेवा में ताकि मैं आपको अपने मत का बना सकूं और आपके द्वारा अपने साथ न्याय पाने की आभिलाषा की पूर्ति करा सकूं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी रीति-रिवाजों को, कुछ ऐसी प्रथाओं को जिन प्रथाओं को कुछ लोग लाकर के सामने खड़े कर देते हैं, इसलिए कि प्रान्त का सन् ४७ का कानून और केन्द्र का सन् ५५ का कानून, ये कानून जो बने वह सही माने में मूर्त्तिमान न हो सकें। अब उसी की पूर्ति कराने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें तमाम सदन के सदस्य एक मत के होंगे। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा हरिजन आन्दोलन विश्वनाथ मन्दिर में जो सत्याग्रह चल रहा है उसके बारे में पूरी व्यवस्था दे दी। मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ फिर कहना चाहता हूं माननीय

[श्री राजनारायण]

मुख्य मंत्री जी से कि चाहे वह उसको सत्याग्रह मानें या न मानें, चाहे वह उसको कोई दूसरी संज्ञा दें, किसी दूसरे शब्द से सम्बोधित करें मगर यह बात सही है कि आज जो लोग चाहते हैं कि हरिजनों को मन्दिर में जाने का पूर्ण अधिकार हो समान रूप से अधिकार हो, वह आन्दोलन कर रहे हैं जब करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने यहां तक भी ठान रखो है कि यदि इसमें किसी कोर्ट की आज्ञा की अवहेलना भी होगी जिस आज्ञा को हम जनहित की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से गलत समझते हैं, तो उस आज्ञा को भी तोड़ेंगे। उन लोगों ने यह एलान कर रखा है कि अगर किसी कोर्ट से भी ऐसा कोई आदेश मिलेगा जो सामाजिक न्याय के दिलाने में असमर्थ है या सामाजिक न्याय पाने के रास्ते में बाधा डालता है तो आदेश को तोड़ना ही हमारा फर्ज है। उस आदेश को तोड़ना ही हमारा कर्त्तव्य है। और उसी कर्तव्य को समझ करके हम इस आन्दोलन में शामिल हुए हैं और बराबर शामिल होते रहेंगे, जब तक कि हरिजनों को समानाधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जायगा।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मैं मानता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी की विद्वत्ता से मेरा कोई जोड़ नहीं है, मैं मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत अनुभवशील हैं, प्रभावी व्यक्ति हैं मगर माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जब कोई मजाक की बात होती है तो मुझे ठेस लगती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि वहां पर कुछ आन्दोलनकारी गये, किसी को गेंद की तरह लुकाया गया और फिर उसे भीतर से भी गेंद की तरह फेंका गया। जब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे सिर के बाल खींचे गये, जब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि, माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारी दाढ़ी के बाल पकड़ करके हमें खींचा गया, माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे कपड़े फाड़े गये और आपकी पुलिस ने यह सब कुकर्म किया है तो उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे पत्र का जवाब तक नहीं दिया और माननीय मुख्य मंत्री जी को न मालूम कहां से यह खबर लग जाती है कि किसी को गेंद की तरह बाहर से फेंका गया और फिर भीतर से भी गेंद की तरह फेंका गया। मैं समझता हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द ऐसे मुख्य मंत्री के लिए यह बात शोभनीय नहीं थी। श्री सम्पूर्णानन्द जी बनारस के रहने वाले हैं, काशी के रहने वाले हैं, वह जाकर के वहां देखें। मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सरकार की पुलिस ने हरिजन आन्दोलनकर्ताओं के साथ जो बर्बरता और निरंकुशता का व्यवहार किया है, उसकी जितनी निन्दा की जाय थोड़ी है। बार-बार कहा जाता है कि रोकने के लिये किया गया। क्या रोकने के लिये किया गया? हम निवेदन करते हैं कि हमें जाने दो, तो क्यों कर रोकते हैं? तब हमारे ऊपर डंडे पड़ते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं और जब हम निवेदन-पत्र सरकार के पास भेजते हैं तो सरकार के पास उत्तर तक देने का समय नहीं होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि गेंद की तरह फेंके गये और निकाले गये। किसी दूसरे व्यक्ति के मुखारविन्दु से यह शब्द निकले होते तो मैं इस तरह से नहीं कहता। लेकिन क्योंकि यह उनके मुखारविन्दु से निकले हैं इसलिये मैंने अपने भावों को व्यक्त किया है। इसका मतलब माननीय मुख्य मंत्री जी समझ जायं कि उनके प्रति हमारा आदर है या निरादर यह मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं।

श्रीमन् अब हमें बतलाया जाय कि किस दृष्टिकोण से, किस बात को सामने रखकर बतलाया जाय कि आज जो यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा है उसमें हमारी शंका सही है या गलत है। आज यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा है और श्रीमन्, आपने भी देखा है और यही बात १९४७ के ऐक्ट में साफ-साफ कही गई है जो मेरे संशोधन में है। इसकी थोड़ी सी चर्चा मुख्य मंत्री जी ने भी की है। मेरा संशोधन इस तरह है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार सबको बिना भेदभाव के सुरक्षित रहेगा" और मन्दिर में

जंगला लगाकर जो स्वरूप १९-४-५४ को था, इसलिये मैंने १९-४-५४ कहा कि मुंसिफ साहब का इंटेरिम इंजंक्शन निकला था उसके बाद परिवर्तन किया गया होगा, उस समय तक यह चीज नहीं होगी। लेकिन मैं अपने संशोधन का ठीक रूप नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिये मैं तिथि पीछे ले जाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि १९४७ में जब सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट पास हुआ उस समय जो स्वरूप मन्दिर का था, व्यवस्था थी वही रहे। अगर विकृत किया जाता है स्वरूप बिगाड़ा जाता है तो किस कारण से बिगाड़ा जायगा, इसका रहस्य खोला जाय। आखिर जंगला क्योंकर लगे, इसको अच्छी तरह से समझाया जाय।

आज यह बात क्यों उठाई जाती है? जो सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू आते हैं और हमारे सामने यह मसविदा पेश करते हैं उनका तर्क है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और यदि कोई हरिजन इसको छू देगा तो प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा और प्राण हरण या दोनों शब्द सनातन धर्मावलम्बियों के ही हैं। करपात्री जी के शिष्य ने तो यहां तक कहा कि यदि सरकार हमारे साथ नहीं आयगी तो हम प्राणहरण कर लेंगे जिस विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की है उसी के अनुसार उसकी निकाला जा सकता है।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं निवेदन कर रहा था कि जो हमारी शंका है और जिस संशोधन के द्वारा हम उसको निर्मूल करना चाहते हैं वह हमारी शंका कितनी उचित है। मुख्य मंत्री जी ने जो संकेत किया और यह कह दिया कि वह हिन्दू धर्म का स्वरूप बदलने के लिये नहीं आये हैं चोरी से, चोरी से शब्द का प्रयोग मुख्य मंत्री जी का है हमारा नहीं है तो उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कि हिन्दू धर्म का स्वरूप चोरी से हम बदल रहे हैं या इस विधेयक को इस रूप में रखा जा रहा है अस्पष्ट करके ताकि जो हिन्दू धर्म का चोरी का स्वरूप है वह सुरक्षित रहे, यह मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। हमारा ऐसा कहना है कि अगर यह सरकार इस बात को स्पष्ट ढंग पर स्वीकार करती है कि हरिजन को वही अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य किसी दूसरे हिन्दू को हैं तो हरिजन को भी मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकार होना चाहिये और जो प्राचीन पंडितों का यह तर्क है करपात्री जी के शिष्यों का कि अगर हरिजन मूर्ति स्पर्श कर लेगा तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी माननीय मुख्य मंत्री जी इसी तर्क के सामने झुकना चाहते हैं। इसलिये हमारे संशोधन पर माननीय मुख्य मंत्री जी को इतना खटका लगा वरना हमारा संशोधन तो साधु संशोधन है। अगर मुख्य मंत्री जी और यह सरकार स्पष्ट कहें कि हम किसी हरिजन को मूर्ति स्पर्श नहीं करने देंगे तो ठीक है। और अगर मूर्ति स्पर्श करने देने का हक यह हुकूमत मानती है तब हमारे संशोधन पर माननीय मुख्य मंत्री जी को एतराज क्यों? हमारा संशोधन साफ है कि पहली सितम्बर, १९४७ को जब से यह ऐक्ट पास हुआ....

श्री अध्यक्ष—संशोधन पर अभी विचार नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण— जी अच्छा। उन्होंने कहा था इसलिये मैंने प्रसंगवश कह दिया। ४७ का यह ऐक्ट इसी सरकार का पास किया हुआ है। इसकी धारा में तो यह बात लिखी हुई है कि किसी सार्वजनिक मंदिर में किसी व्यक्ति को हरिजन मान कर प्रवेश निषिद्ध नहीं होगा और अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी। तो स्पष्ट ढंग पर हमारे विधेयक की धारा होनी चाहिये इस बात को तो मैं मानता हूं कि अगर आज कोई सनातन धर्मावलम्बी इस बात कहे कि मैं अछूतों को मन्दिर प्रवेश नहीं करने दूंगा तो मैं उसको हिन्दू धर्म के विरुद्ध कहता हूं। अगर कोई यह मत रखता है तो वह रखे। लेकिन एक जबान से दोनों

[श्री राजनारायण]

तरह की बात नहीं कही जा सकती। एक तरफ तो हम यह कहें कि हरिजन को मन्दिर प्रवेश का हक है और दूसरी तरह हम यह भी कहें कि यह मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि यदि हरिजन मूर्ति को छुयेगा तो मूर्ति नष्ट हो जायगी उसका प्राणापहरण हो जायगा। तो मैं यहां पर इस सदन के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये इन बातों पर अच्छी तरह से रोशनी डालना चाहता हूं और आपके द्वारा उनसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज के विषय को गम्भीरता से सोचें और यह हमें बतायें कि आखिर इस विधेयक की आवश्यकता क्या है? इसके उद्देश्य और कारण में केवल एक आशय बताया गया है. कि जो सेन्ट्रल ऐक्ट है अनटचेबिलिटी आफन्सेज ऐक्ट उसमें तो दंड की व्यवस्था है मगर अभी तक कुछ लोगों के मस्तिष्क में यह बात थी कि कुछ मान्यताएं, परम्पराएं और रीतिरिवाज ऐसे हैं जिनसे हरिजन का मन्दिर प्रवेश नहीं होना चाहिये, उसी को मिटाने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। श्रीमन् जब उद्देश्य और कारण में ये बातें आती हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस ऐक्ट को भी हमें पढ़ना चाहिये कि सेन्ट्रल ऐक्ट कहता क्या है उससे यह कम जाता है या ज्यादा जाता है हमारा ऐसा कहना है कि अगर यह सरकार उस सेन्ट्रल ऐक्ट को अच्छी तरह से सुरक्षित करने के लिये आगे बढ़े तो उसमें भी इतने अधिकारों की सुरक्षा है और इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। सेन्ट्रल ऐक्ट के सेक्शन ३ में लिखा है :—

"जो कोई किसी व्यक्ति को—

(क) ऐसे किसी लोक उपासना स्थान में जो उसी धर्म के मानने वाले या उसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसी के किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिये खुला है ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रवेश करने से, या

(ख) जिस रीति में और जिस विस्तार तक कि उसी धर्म के मानने वाले या उसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भाग के व्यक्तियों के लिये किसी लोक उपासना स्थान में उपासना करना या अर्चना करना या किसी पवित्र तालाब कुयें जलस्रोत या जल प्रवाह में स्नान करना या ऐसे तालाब कुयें जल स्रोत या जल प्रवाह के जलों का उपयोग करना अनुज्ञेय है उसी रीति में और उसी विस्तार तक किसी व्यक्ति को अपनी वैसी हैसियत में किसी लोक उपासना स्थान में उपासना करने से या अर्चना करने से या किसी पवित्र तालाब, कुयें, जलस्रोत या जल-प्रवाह के जलों का उपयोग करने से अस्पृश्यता के आधार पर निवारित करता है वह कारावास से जो ६ महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने या जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।"

यह केन्द्रीय ऐक्ट है और जून सन् ५५ से लागू है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी को हरिजन मान कर किसी सार्वजनिक पूजा के स्थान पर जाने से रोका जायगा तो रोकने वाला व्यक्ति छः महीने की सजा का भागी होगा या पांच सौ रुपये तक जुर्माना होगा या दोनों होगा। इसमें यहां तक कहा गया है कि अगर कोई अंबेटर हो उकसाने वाला भी हो तो वह भी दंडित होगा। इतनी व्यापक धारा इसकी है। कहां कमी है इसमें? आगे की धारा १३ श्रीमन् इसमें देखिये :—

"No Civil Court shall entertain or continue any suit or proceeding or shall pass any decree or order or execute wholly or partially any decree or order if the claim involved in such suit or proceeding or if the passing of such decree or order or if such execution would in any way be contrary to the provisions of this Act."

इसका हिन्दी में पढ़ दें श्रीमन्।

श्री शिवनारायण---प्वाइन्ट आफ आर्डर, श्रीमन् मेरे मित्र के हाथ में एक किताब है जिसमें अंग्रेजी से और फिर दोबारा हिन्दी से पढ़ते हैं। जितने सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं सबने उस ऐक्ट को पढ़ा है और इस प्रकार समय बरबाद होता है।

श्री अध्यक्ष---आपका कहना सही है। आप केवल हिन्दी में पढ़ दीजिये अंग्रेजी में मत पढ़ें।

श्री राजनारायण---अंग्रेजी में नहीं पढ़ूंगा श्रीमन् इधर हिन्दी का अनुवाद है और उधर अंग्रेजी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि सब लोगों ने उसे पढ़ा है मगर मुझे यह पता है कि लोगों ने उसे देखा तक नहीं है। तो अब आपकी आज्ञा से हिन्दी ही पढ़ रहा हूं :---

"१३---यदि न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में या दावा या किसी आज्ञप्ति या आदेश का दिया जाना या किसी आज्ञप्ति का पूर्णतः या भागतः निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों से किसी अनुरीति में प्रतिकूल हो तो ऐसा न्यायालय ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण न करेगा या ऐसी कोई आज्ञप्ति या आदेश न देगा या ऐसी किसी आज्ञप्ति या आदेश का निष्पादन न करेगा।"

बिल्कुल स्पष्ट है। क्या चीज इसमें बाकी है? किसी सिविल कोर्ट में न तो कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और न तो कोई मुकदमा लिया जा सकता है और अगर पहले से कोई मुकदमा चल रहा हो तो कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया जा सकता जिससे कि हरिजन मन्दिर प्रवेश में बाधा हो। श्रीमन् इसी आदेश के मुताबिक हम चैलेंज करते हैं और अगर हम उसको तोड़ते हैं तो हम पर मुकदमा चलाया जाता है। मगर उस कोर्ट ने आज तक काग्निजेंस नहीं लिया। वह स्वतः मुकदमा चलाये लेकिन वह समझती है कि अगर हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे तो मामला उल्टा हो जायगा इसकी १३वीं धारा और स्पष्ट करती है :

"कोई न्यायालय किसी बात के न्याय निर्णयन में या किसी आज्ञप्ति या आदेश के निष्पादन में किसी व्यक्ति पर कोई निर्योग्यता अस्पृश्यता के आधार पर आरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को अभिज्ञान नहीं करेगा।"

इससे स्पष्ट और क्या भाषा होगी? माननीय मंत्री जी बतायें। और ओवर राईडिंग जो इसकी है १६ ऐक्ट आफ ओवर राईडिंग ओवर लाज उसकी भी हिन्दी है :

"इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित किये गये के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी रूढ़ि या प्रथा में या ऐसी विधि के या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी आज्ञप्ति या आदेश के बल से प्रभाव रखने वाली किसी लिखित अंतर्विष्ट ऐसी किसी बात के होते हुए भी जोकि इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है प्रभावशील होंगे।"

बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि इस ऐक्ट के रहते हुए जब तक यह ऐक्ट है किसी भी कोर्ट का कोई भी आर्डर प्रभावहीन होगा। मैं कहता हूं कि जब यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट है तो यह सारे देश में लागू होगा और इसके इन अधिकारों को यह सरकार छीन नहीं सकती। जो मंदिरों का स्वरूप पहले था उसको इस उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कानून लागू करके गड़बड़ नहीं कर सकती उसमें कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकती और अगर वह ऐसा करती है तो उसका ऐक्ट चैलेन्ज किया

[श्री रांजनारायण]

जा सकता है। वह अमान्य होगा। अगर हम इसको इस तरह से कहें कि यह जो विधेयक यहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह रूढ़िवादियों को एक और मौका देगा यह हमारी शंका है और अगर श्रीमन् आप इजाजत दें तो मैं चाहूंगा कि जो पत्र मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को ८ मई को भेजा था उसको मैं यहां पढ़ दूं और उस पर उनका जो उत्तर है उसको भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको असंगत नहीं होना चाहिये। यहां आप कुछ असंगत से हो रहे हैं। आप खंड पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं उस पर नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बार-बार उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—वह अब नहीं आयेगा, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं यह पत्र और उसका उत्तर पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपके द्वारा इस सदन से कि अब यह सरकार हमें बताये कि ....

श्री अध्यक्ष—समय निश्चित हो चुका है और इस पर बहुत से लोग बोलना चाहेंगे।

श्री राजनारायण—आप कह दें तो मैं बैठ जाऊंगा। अगर सदन नहीं चाहेगा कि यह साफ हो तो हमारी बपौती तो नहीं है कि मैं साफ कर ही दूं।

श्री अध्यक्ष—एक घंटा दस मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण—मैंने ही लातें खाई हैं और जेल काटी हैं।

श्री अध्यक्ष—तो सबसे ज्यादा समय ले लीजिये लेकिन सब समय मत लीजिये। आप अपना भाषण चार बजे तक खत्म कर दें।

श्री राजनारायण—अब यहां शाब्दिक सहानुभूति प्रगट करने वाले तो बहुत होगें लेकिन जब रण लेने का समय आता है तो इल्ले बिल्ले ही कोई दिखायी देता है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायें कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्या है? इसको लाने का दोष सरकार के ऊपर है। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल अगर यह सरकार यह चाहती है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट में हरिजनों को जो अधिकार प्राप्त है वह अधिकार हरिजनों को व्यवहारिक रूप में मिलें, तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और १९-४-१९५४ को यह इन्टरिम इन्जक्न्शन हुआ और ३-५-५४ को इसे खत्म करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया २६-११-५६ को करपात्री जी की प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया गया। सरकार की तरफ से जो डिसेएबिलिटीज ऐक्ट उत्तर प्रदेश में १९४७ में बनाया गया था उसको चेलेन्ज किया गया। इसके बाद जो सेन्टर का ऐक्ट जून सन् १९५५ में पास हुआ था वह चेलेन्ज हुआ। क्या सरकार के पास एडवोकेट जनरल नहीं है? क्या सरकार के पास डिस्ट्रिक्ट में उनके वकील नहीं है? तो क्या सरकार ने क्या प्रयत्न किया कि मुकदमों के लिये जल्दी ही फैसला हों? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसा कि माननीय सदस्य इसको समझते हैं लेकिन इसमें दो वर्ष से ऊपर हो जायं और सरकार कुछ न करे। सरकार के द्वारा बनाये गये कानून को चैलेन्ज किया जाय और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगे तो यह कहां तक उचित है? आप समझ सकते हैं। जिस दिन

हाईकोर्ट में दूसरी अर्जी लगायी गयी और रूढ़िवादियों की ओर से हमारी पहली अर्जी को वापस कर दिया गया उसी दिन मैंने मुख्य मंत्री जी को फोन किया। शायद यह बात ७–८ मई की है। उस दिन शाम को माननीय मुख्य मंत्री जी को फोन किया और कहा कि आपका कर्त्तव्य है कि अपने एडवोकेट जनरल की राय को हाईकोर्ट में भी प्रस्तुत करें और इस मुकदमें की पैरवी करने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि इस ऐक्ट को सरकार ने बनाया है। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार ने बनाया, लेकिन उस ऐक्ट के द्वारा जो अधिकार हरिजनों को प्रा त होते हैं उनको व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जाता है। सरकार को अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना चाहिये जिससे इस मामले में जल्दी निपटारा हो जाय। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि आपकी यह अदालत को सब से बड़ी अदालत है और बड़ी अदालत मानते रहेंगे उसमें कितनी बार हमने निवेदन किया? शुरू में हमने कहा कि क्यों नहीं सरकार आर्डिनेंस निकाल देती कि जितने मुकदमे पड़े हुये हैं वह कैंसिल कर दिये जायं? सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो ऐक्ट पास किया है उस ऐक्ट के चेलेन्ज करने लेवा जितने मुकदमें हैं वह कैंसिल कर दिये जायं और न माने जायं। किन्तु मैं समझता हूं कि आज इतने दिनों से चले हुये आन्दोलन को विकृत करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री यह साहस करते हैं कि इस बिल को लायें। वह समझते हैं। कि सोशलिस्ट पार्टी इस आन्दोलन में पड़ी है और इस पार्टी को साथ मिलने लगा है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले यहां पर नहीं थे, हमको बड़ा अफसोस हुआ वरना आप देख सकते श्री कमलापति जी के प्रस्ताव को। यहां तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि केवल कांग्रेस के नेतृत्व में ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। कमलापति जी त्रिपाठी कहते हैं कि राजनैतिक परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि हरिजनों को मन्दिर में जाने का अधिकार होना चाहिये। सरकार के ऊपर कोई इल्जाम नहीं रखा जाता है। वह अपनी राजनीति खेल रहे हैं। मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं किसी से छिपाता नहीं हूं और छिपाकर चलने का आदी भी नहीं हूं और न आगे छिपाऊंगा। चाहे मैं अकेला रह जाऊं लेकिन अपने सिद्धान्त पर अटल रहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी और हमारी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यहां अपने देश में इसी व्यवस्था के मत के हैं कि यहां पर पूर्ण सामाजिक न्याय और बराबरी के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिये। आर्थिक बराबरी होनी चाहिये और जब हम सामाजिक विषमता मिटाने के लिये इस पुनीत कार्य में शामिल होते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारी तारीफ करनी चाहिये लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम राजनीति खेल रहे हैं।

श्रीमन्, मैं राजनीति का एक हवाला देना चाहता हूं कि हम राजनीति खेल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी राजनीति खेल रही है। मैं ३ अप्रैल को बनारस जेल से छूट कर ४ अप्रैल को आपकी सेवा में हाजिर हो जाता हूं। ७ अप्रैल को हमारी गिरफ्तारी होती है। वहां पर यह प्रस्ताव था कि १० अप्रैल को सामूहिक रूप से तमाम लोग सिंहद्वार से मन्दिर प्रवेश करेंगे। कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र जाता है कि अगर तुम १० तारीख को १६ कर दो तो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल होगी। मैं जेल में था वरना यह नहीं होने देता। मगर उन लोगों ने १६ कर दिया। फिर १६ को कांग्रेस की ओर से खत जाता है हरिजन मन्दिर प्रवेश समिति के पास कि १६ की जगह २२ तारीख कर दो चूंकि उस दिन राजेन्द्र बाबू आ रहे हैं और क्या ही अच्छा हो कि जब भारत के राष्ट्रपति काशी की पुण्य नगरी में हों तो उस पुण्यतिथि को हरिजन मन्दिर-प्रवेश करें। तमाम कांग्रेस के लोग तुम्हारा साथ देंगे। तुरन्त कमलापति जी का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के सामने आता है कि हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का हक है और वह होना चाहिये। जब २२ तारीख आयी तो कांग्रेस की ओर से यह ऐलान हुआ कि राजेन्द्रबाबू शादी में आ रहे हैं और वह चीज भंग नहीं होने पावे, इसलिये आज टाल दो और २४ तारीख को करो। २४ हो गयी कांग्रेस के कहने से और जब २४ तारीख आने को

[श्री राजनारायण]

हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र चला गया सिटी कांग्रेस कमेटी के पास कि तुम लोगों को शामिल नहीं होना चाहिये। कांग्रेस के नेतृत्व में ही हरिजन मन्दिर-प्रवेश होगा। टांय टांय फिस ! लाउड स्पीकर से कांग्रेस कमेटी ने एलान किया बनारस में कि आज इस सत्याग्रह में कोई न जाय। हमें राजनीति खेलने वाले कहा जाता है। यह सब तो तिकड़म माननीय मुख्य मंत्री जी को ही मालूम है जो इसने प्राचीन समय से लेकर आज तक विद्या-विशारद रहे हैं और जो सारा अनुभव और जानकारी लिये हैं वही ऐसी तिकड़म भी कर सकते हैं। उनकी ज्यादा जिन्दगी गुलाम मुल्क में बीती है और हमारी कम बीती है। हमारी जिन्दगी का ज्यादा हिस्सा आजाद मुल्क में बीता है .....

श्री अध्यक्ष—किसी पर हमला नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण—ठीक है, हमें इस बात से यह थोड़ा सा मालूम हुआ कि हम तो पुण्य करना चाहते हैं और जिनसे हमारी बात की सराहना होनी चाहिये वही लगे हमारे ऊपर इल्जाम लगाने। अगर यह आदरणीय सदन इस मत का है कि हरिजनों को समान अधिकार मिलने चाहिये तो हमारी कथनी और करनी में एकता होनी चाहिये। आज महात्मा गांधी के अभाव में हमारे देश का सबसे बड़ा अभाग्य यही है कि हम अपनी करनी और कथनी में एकता स्थापित नहीं करते हैं। एकाध श्लोक माननीय सीताराम जी भी सुना गये कि हमारे यहां तो चांडाल, कुत्ता, ब्राह्मण और गऊ सब एक समान हैं। मगर जब कुत्ता, ब्राह्मण, चांडाल, गऊ को समान अधिकार देने की बात आती है तो अलग हो जाते हैं। तो मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यह सगुण और निर्गुण का झगड़ा हमारे देश में प्राचीनकाल से रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने मत को स्पष्ट तरीके से कहा। यह वह क्यों कहते हैं कि चोरी से हिन्दू धर्म का स्वरूप बदलने का प्रयत्न राजनारायण जी कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश के सन् ४७ के सोशल डिसेबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट को देखें। वह अनटचेबीलीटी आफेंन्सेज ऐक्ट को देखें। इनमें व्यापकता के साथ अधिकार हरिजनों को दिये हुये हैं, अगर आज भी संविधान को साक्षी देकर ईमानदारी के साथ चलें तो एक मिनट के लिये हरिजनों का मंदिर में जाना रोका नहीं जा सकता है और यदि कोई शक्ति रोकेगी तो वह शक्ति दूर भी की जा सकती है। आज इस जनतंत्र के युग में किसी की यह हिम्मत हो कि वह संविधान की दिन दहाड़े अवहेलना करे। माइक पर यह ऐलान करे कि हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करना पाप है, हरिजन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब इसके बारे में लिखित दरख्वास्त दी जाती है तो कोई भी ध्यान इधर नहीं दिया जाता। तब आप ही बतायें कि क्या किया जाय? हमने फोन पर भी निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार ने यह ऐक्ट बनाया है। इसको भी यदि धर्मसंघियों ने चैलेंज कर दिया तो क्या होगा? इसका कोई उत्तर अभी तक नहीं आया। इसलिये हमारा यह कहना है कि यदि सरकार प्रयत्नशील है तो जो ऐक्ट लागू है उसके अनुसार क्यों कदम नहीं उठाया गया। क्योंकि उसने ऐडवोकेट जनरल को कहा कि जाओ और इस मामले को जल्दी से देखो? यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी कह देते हैं कि अगर किसी निषेध आज्ञा की हिस्ट्री लिखी जायगी तो यह निषेधाज्ञा सर्वोच्च होगी। लेकिन यह किस कारण से हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? यह सरकार, मुख्य मंत्री जी। माननीय मुख्य मंत्री जी के विचार जब इस तरह के हों तो किसी मुंसिफ की क्या मजाल क्या हिम्मत कि वह उल्टा काम करे? लेकिन आज बात ही दूसरी है? ताज्जुब की बात तो यही है कि माननीय मुख्य मत्री जी चाहते हैं कि मंदिर प्रवेश हो, जजमेंट शीघ्र हो लेकिन जजमेंट नहीं होता है। अदालत को मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्या चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप किसी अदालत पर कोई आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो हृदय में फफोला है उसी को फोड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है लेकिन आप किसी भी अदालत पर, सदन की मर्यादा के अनुसार, हमला नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण—हम न किसी अदालत पर और न माननीय मुख्य मंत्री जी पर हमला करना चाहते हैं। हम भारत की स्वतंत्रता के लिये लड़े और माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भी हम लड़ें, उनके आदेशों पर चले। लेकिन बाद में लोगों के विचारों पर परिवर्तन हो जाया करता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी वैसा ही तो नहीं कर रहे हैं? जब हमारी भावनाओं पर करारी चोट पहुंचती है शब्द जाल में विक्रित करने की चेष्टा की जाती है तो श्रीमन् हमारा क्या दोष है? मैं अब केवल एक बात कह कर बैठ जाता हूं और कमलापति जी को साक्षी बनाना चाहता हूं। वे बनारस गये थे। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि कमलापति जी बनारस पहुंच रहे हैं और जंगला लगाने की कोई व्यवस्था हो रही है। मैंने उन्हें फैजाबाद जेल से तार दिया। वह तार उनको मिला होगा। मैंने उसकी दो कापियां भेजी थीं—एक कमलापति जी को और एक प्रभुनारायण जी को। हमने कमलापति जी से यह निवेदन किया कि कोई भी ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण सामाजिक और न्याय से बराबरी की न होगी, हमें मान्य न होगी। वे हमारी इस शंका को निर्मूल कर दें कि आखिर यह जंगला क्यों लगाया गया इस सीमा तक बात क्यों उठी? जब तक यह माना जायगा कि सिद्धान्त रूपमें जब हरिजन मूर्ति को छू देगा तो वह मूर्ति नष्ट हो जायगी, तब तक समानता की बात कहां आयी? तब तक तो विषमता उसके मूल ही में रह गयी कि हरिजन मूर्ति नहीं छू सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों को समानता के अधिकार होने चाहिये, पूर्ण सामाजिक न्याय उनको होना चाहिये। विषमता की बात तो हमारे मस्तिष्क में होनी ही नहीं चाहिये। अगर ऐसी व्यवस्था हो हम उनके साथ हैं और अगर न हो तो हम उनके साथ न हीं हैं। कमलापति जी जब बनारस गये थे तो मैं उनकी सेवा में हाजिर हुआ और मैंने निवेदन किया कि पंडित जी, बहुत से लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी या राजनारायण राजनीति खेल रहा है, इसलिये आपके नेतृत्व में मैं चलने को तैयार हूं आप हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करायें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कमलापति जी के नेतृत्व में यह जत्था चलेगा और हरिजन लोग मन्दिर में प्रवेश करेंगे। अब भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। एक अक्तूबर को सारे भारत के प्रतिनिधि आयेंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी उसका नेतृत्व करें और इसका सारा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं।

पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री ने कांग्रेस-कर्मियों के समक्ष भाषण दिया था जो समाचार-पत्रों में देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि हमने गो-रक्षा विधेयक पास किया उसका सारा श्रेय जन-संघ को चला गया। अब हम यह करेंगे तो इसका श्रेय सोसलिस्ट पार्टी को चला जायगा। इस तरह के उद्गार थे हमारे मुख्य मंत्री जी के। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी करते हैं और हमको दोष देते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति खेल रहे हैं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आइये इस सामाजिक विषमता को हमेशा के लिये समूल नष्ट कर दें और चलिये काशी विश्वनाथ जैसे स्थानों में हरिजनों को पहुंचाये। मन्दिर के स्वरूप को बदल कर, पोथियों में लिख कर, अस्पष्ट विधेयक की भाषा लिख कर आज हरिजनों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर आज हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है तो वह केवल दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चाहे समाज हमें स्वीकार न करे, चाहे घर से निकल जायं, चाहे हम अपने प्रिय-जनों से अलग हो जायं, हमारे घरों में भी बहुत से सनातन धर्मी हैं, अगर वे सनातन धर्मी हिन्दू अपने घरों से निकाल दें तो भी हम

[श्री राजनारायण]

कहेंगे कि हम घरों में आयेंगे। जो हमारे नवयुवक हैं, नौजवान हैं, प्रदेश और देश के उनको इस समाज का सामना करना है, अगर जरूरत हो तो वे अपने घर वालों से भी विद्रोह करें, अपने समाज से विद्रोह करें जरूरत हो तो अपने प्रिय जनों से विद्रोह करें और इस विषमता की जलती हुई भट्टी में अपनी आहुति करें और आहुति देकर ही आज हरिजनों के हकूक की सुरक्षा हो सकती है वरना नहीं हो सकती। अस्पष्ट भाषा से तो कभी हो ही नहीं सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि "अब लौ नसानी अब न नसैहों।" इस विषमता के युग को मिटाने के लिये तैयार हो जाइये। जो इस विषमता के युग को मिटाने के लिये तैयार हो वे हमारे साथ आवें, यदि वे चाहते हैं कि हरिजनों को समान अधिकार मिले तो वे पहली अक्टूबर को काशी विश्वनाथ मन्दिर के सिंह द्वार पर चलने को तैयार हों, यह हमारा उनके लिये न्योता है।

श्री अध्यक्ष—अब कोई आधा घंटा से अधिक न बोले, इतना ही मेरा कहना है।

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, जो माननीय प्रवक्ता आपके सम्मुख अभी भाषण कर रहे थे उन्होंने मैं समझता हूं कि करीब ९० मिनट नहीं तो ७५ मिनट अवश्य लिया है और सौभाग्य से काशी के वे भी हैं और दुर्भाग्य से मैं भी काशी का ही हूं और बार-बार मेरा जिक्र उन्होंने किया. . . . .

श्री अध्यक्ष—आप समय ज्यादा लेना चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुमकिन है कि ज्यादा हो जाय। ऐसे मैं चेष्टा करूंगा कि जल्दी से जल्दी समाप्त करूं लेकिन जब आधा घंटा निर्धारित हो गया तो फिर यदि एक मिनट भी ज्यादा हो गया, दो मिनट भी ज्यादा हो गया, तो उसकी आप अनुमति अवश्य देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं इसका अभी निश्चय हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक ऐसा है जिसके ऊपर अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि कार्य परामर्शदात्री समिति ने समय निश्चित कर दिया है लेकिन अगर सदन चाहे तो इसके लिये एक दिन और नियत कर सकता है। और माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं कि सदन के सभी सदस्य बोलें तो कल तो यह हो नहीं पायेगा। मैं अवश्य चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी भी बोलें, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये एक दिन और नियत कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आज कई ऐडजमर्नमेंट मोशन की वजह से इस विधेयक पर विचार करने में जितना समय इसके लिये नियत हुआ था उसमें से करीब एक घंटा समय वैसे ही निकल गया। बिजनेस कमेटी द्वारा इस विधेयक के लिये ८ घंटे का समय नियत है जो परसों सवा बजे तक चलेगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, अगर जरूरत होगी तो आप देख लेंगे। परसों एक बजे तक तो जाना ही है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो अवधि निश्चित हुई है सवा ५ घंटे जनरल डिस्कशन के लिये और पौने तीन घंटे खंडों पर विचार के लिये, इस तरह से परसों दोपहर तक तो यह वह विधेयक समाप्त होगा ही क्योंकि कल भी थोड़ा समय १२ बजे तक निकल जायगा और परसों भी स्टेटमेंट में कुछ समय निकल जायगा। लेकिन उसके बाद भी माननीय नारायणदत्त

तिवारी जी का कहना यह कि उस रोज दिन भर के लिये लिया जाय। अगर यह इच्छा है सदन की तो मैं कुछ सुझाव उसके लिये इस प्रकार का दे सकता हूं कि किस ढंग से यह हो सकता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर सदन तैयार है उसके लिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अगर यह सर्वसम्मति है कि जो समय निर्धारित हुआ है, यह विषय फिर रेफर कर दिया जाय समिति के पास, यही नियमों के अनुसार किया जा सकता है। फिर समिति को रेफर कर दिया जाय जिसमें वह कल बैठ कर उतना समय परसों के लिये दे दें, यही तरीका हो सकता है। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है? तो इस संशोधन को जो उसी प्रकार का है जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने सबेरे पुनर्विचार के लिये रखा था उसको सब स्वीकार करते हैं?

(किसी के विरोध न करने पर)

श्री अध्यक्ष--तो सर्व सम्मति से पुनर्विचार के लिये समिति के पास भेजा जायगा

(कुछ ठहर कर)

माननीय कमलापति जी आप आधे घंटे में खत्म करने की कोशिश करें, अगर पौन घंटे तक भी खत्म कर सकें तो मैं आप को समय दे दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इतनी मुक्ति दे दी कि मैं यदि आध घंटे में समाप्त कर लूं तो कर लूं और यदि कुछ समय और लगे तो वह भी आपकी कृपा से मुझे मिल जायगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कोई बड़ी बात नहीं कहना है और मेरा अभ्यास कुछ ऐसा है कि संगत ही बात कहूं और असंगत बातों की पुनरावृत्ति बार-बार आपके सम्मुख कर के सदन का समय नष्ट न करूं।

मान्यवर, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रातःकाल इसका स्पष्टीकरण कर दिया कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गयी है चाहे वह हमें पसन्द हो अथवा पसन्द न हो लेकिन एक यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अदालत के इन्जन्क्शन से जो कानून हमने बनाया था, जिसका कि जिक्र माननीय राजनारायण जी ने बड़े विस्तार से किया और कदाचित उन्होंने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा भी हो, सेन्ट्रल ऐक्ट और प्राविन्शियल ऐक्ट दोनों को, कुछ उद्धरण भी उन्होंने पेश किये। आज ऐसी परिस्थिति उन्पन्न हो गई कि जिन कानूनों को एक मौलिक कानून समझ कर हमने बनाया, विधान के अनुसार जो हमारे नागरिक, नैसर्गिक अधिकारों की घोषणा हुई है उसके आधार पर जो कुछ विधि हमने यहां बनाई जिसको कि 'रिमूवल आफ-सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट' कहते हैं वह और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का दोनों ही आज लागू नहीं हो पाये हैं। हमारे दुर्भाग्य से किसी भी कारण से यह परिस्थिति है। हमारे देश में लोकतन्त्र शासन है, उसकी जुडीशरी का एक बड़ा ऊंचा स्थान है। माननीय सदस्य स्वतः इस बात की मांग किया करते हैं कि ज्युडीशियरी को एक्जिक्यूटिव से, यानी शासन के चक्र से न्याय के विभाग, को स्वाधीन और स्वतंत्र रखें। इसकी मांग होती है और मुनासिब मांग होती है क्योंकि लोकतंत्र का यह भी एक मौलिक और भित्तिमूलक सिद्धान्त है कि जुडिशियरी यथा सम्भव किसी प्रकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहे। हमारे देश में उसका ऊंचा स्थान है। वहां से आदेश होता है और उस आदेश का परिणाम यह होता है कि जो विधान, कायदा या कानून हमने यहां से स्वीकार किया उसको हम लागू न कर सके, यह स्पष्ट है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माननीय राजनारायण जी को शिकायत यह है कि दो ढाई साल तक तुम क्या करते रहे और बार-बार उसी को वह हिन्दी में और अंग्रेजी में पढ़ कर सुनाते रहे और अनुवाद करते थें मुझे तो ऐसा लगा कि उनके पास कुछ कहने को नहीं था। लेकिन उनका अभ्यास है कि वह थोड़े में नहीं कह सकते वह चार-चार तीन-तीन घंटे एक ही बात को कह सकते हैं। वह सब कानून हमारे पास था उसको पढ़ने की बार-बार आवश्यकता नहीं थी। कहते रहे बार-बार कि १ सितम्बर, ४७ याद रखिए बड़ा नारा लगाते रहे कि याद रखिए, लेकिन उनको मालूम होगा कि वह कानून इसी भवन में बना है और अधिकतर ऐसे सदस्य यहां आज भी हैं जो उस समय जब कानून बना था मौजूद थे और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उस समय मौजूद थे जिनकी ओर निर्देश करके वह कह रहे थे और जिनके नेतृत्व को वह चुनौती दे रहे थे वह यहां उस समय मौजूद थे, उनके नेतृत्व को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री और इस तरफ के लोगों का सम्बन्ध हरिजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में देश की ऐतिहासिक गति विधि के अनुसार उस युग से है जब महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। आज तक हरिजन भाइयों के लिये जो कोई भी आन्दोलन हुए, जो भी उसमें सफलताएं हुई, जितना भी राई बराबर, गज भर या दस गज हम हरिजनोत्थान कर सके वे इधर के ही लोग है जिनको यह गर्व प्राप्त है और जिनको महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिन्होंने अपने देश की स्वाधीनता के आन्दोलन के साथ-साथ यह मांग की कि हमारे देश की स्वाधीनता का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक इस देश के एक बहुत बड़े समुदाय के साथ मनुष्य के रूप में होते हुए भी, पशुवत् व्यवहार होता रहेगा इस सिद्धान्त को हम मान कर चले जिसकी संविधान में घोषणा हुई है।

हमारे भाई राजनारायण जी को यह शिकायत है कि मुख्य मंत्री कांग्रेस से तो यह कहते हैं कि तुम हरिजनों के आन्दोलन में शरीक हो और हमारे लिये कहते हैं कि राजनीति आ जाती है, जब सोशलिस्ट पार्टी उसमें आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने का यह अर्थ नहीं था। यह अर्थ था किसी भी ऐसे अंग को जिसका सम्बन्ध भविष्य के राजनैतिक अधिकारों से है, जो किसी प्रकार के राजनैतिक स्वरूप रखते हों, वह मार्ग अमानवीय प्रतीत होता है और इसलिये इसमें राजनीति नहीं घुसेड़नी चाहिये और उसमें राजनैतिक स्वार्थ साधन की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। यह उसका अर्थ है, यह अर्थ नहीं था कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग या किसी पार्टी के लोग सहानुभूति लेकर माननीय अधिकारों की रक्षा के लिये हरिजनों के अन्दोलन में शरीक हों तो हमें आपत्ति है और केवल कांग्रेस वाले ही शरीक हों। सारा हरिजन आन्दोलन इस देश में जिस स्वरूप में भाव व्यक्त हुआ है, जो अधिकार हरिजनों को आज प्राप्त हुए हैं और जो उनकी समाज में स्थिति हुई है चाहे राजनैतिक अधिकार हों, चाहे सामाजिक अधिकार हों वे सारे के सारे अधिकार उस संस्था के द्वारा हुए हैं जिसे आप मानें या न मानें कांग्रेस कहते हैं और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया।

मैं पूछना चाहता हूं सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से कि वे आज तक हरिजनों को क्या राई बराबर अधिकार दिला पाये हैं। जो अधिकार आज तक मिले हैं हरिजनों को वह कांग्रेस के द्वारा मिले हैं। गांधी जी के नेतृत्व में मिले हैं, चाहे उसमें कोई कमी रही हो, असंतोष रहा हो, लेकिन पदे पदे उसके लिये युद्ध हुआ है, पदे पदे उसके लिये संघर्ष हुआ है और पदे पदे विजय प्राप्त होती रही है और पदे पदे इस अंग के सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। मैं उन लोगों में हूं जो यह स्वीकार करते हैं कि हरिजन का नाम दे करके जो अछूतपन इस देश मे रहा है वह मर चुका है, गड़ चुका है, उसकी अंत्येष्टि हो चुकी है, भले ही कुछ लोग अपनी परम्पराओं के कारण, अपनी रूढ़ियों के कारण, अपने संसकारों

के कारण जो बहुत दिनों से उनके ऊपर चले आ रहे हैं संकुचित दृष्टि से या किसी प्रकार से मैं तो गलत समझता हूं—परन्तु वह कदाचित् सही समझते हों अपने विश्वास के कारण—उसे धर्म का स्वरूप समझते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी संख्या इस देश में नगण्य है। यहां का वातावरण, इस उत्तर प्रदेश की जनता का दृष्टिकोण उसकी भावना, उसके विचार और एक तरह से उसके आदर्शों को बदला जा रहा है और नये प्रकार से समाज बदलता जा रहा है। राजनैतिक दल यदि हस्तक्षेप करें, आन्दोलन करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु क्या यह सही नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय राजनारायण जी से कि इसके द्वारा राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा की गई या नहीं? यह कहना कि सनातन धर्मी इस प्रकार के हैं कि उनकी वही पुरानी रूढ़ियां प्रतिष्ठित रहें, ठीक नहीं है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सनातनधर्मी हूं, मैं अपने को कठोर सनातन धर्मी समझता हूं, स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्हें सब लोग पूज्य मानते हैं उनसे भी राई भर कम मैं अपने को सनातन धर्मी नहीं मानता और एक हूं जो कठोर सनातनधर्मी रहा है और एक ऐसी नगरी से जो सनातनधर्म की दुर्ग रही है आता हूं, लेकिन उस सनातनधर्म का स्वरूप वह नहीं है जिसे वे मानते हैं।

सनातन धर्म के स्वरूप में, उन्होंने उसका कुछ मजाक उड़ाया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया मर्यादा रखी जायगी, मैं कहता हूं उन्होंने सनातन धर्म को समझा नहीं। मैं सनातनधर्मी हूं, उसके स्वरूप को समझने की चेष्टा की। जिन लोगों का यह विचार है कि उसमें प्राण हर लिये जायं और प्राण भर दिया जाय, हम उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का वह स्वरूप है जिसमें "सर्वचमयी पश्चति" हम तो उस सनातन धर्म के स्वरूप को मानते हैं, जो अनेकत्व देखता ही नहीं वह एकत्व ही देखता है। यह है सनातनधर्म का स्वरूप, मूल भित्त। जहां जड़ में, जंगम में, स्थावर में, सब में एकमात्र वही है इसके विरुद्ध जो लहरें उत्पन्न हुई वे युग के अनुसार बदलती रही, आज उन्हें बदलना है और हमें बदलना चाहिये, हमारे सीताराम जी ने एक श्लोक सुनाया :—

श्रुतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना ने को मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्
धर्मस्य नत्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गरुः सपंथाः

हमारा यही कोई ऐसा स्वरूप नहीं युग के अनुसार हम बदलते गये, इतिहास, पुराण, स्मृतियां इस बात की साक्षी हैं कि सबको समान दर्शन का अधिकार है, हरिजनों को भी हम इस स्वरूप को लेकर चलते हैं। हम तो समझते हैं हमारा सनातन धर्म का अहित किया जा रहा है जो हरिजनों को प्रवेश के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वह सनातन धर्म की पूजा नहीं है, उसका समादर नहीं किया जा रहा है। अरे, सनातन धर्म में यह भी था कि राम ने एक शूद्र मुनि की गर्दन काट ली। मान्यवर, एक शूद्र मुनि तपस्या कर रहे थे तो राम की हिम्मत नहीं पड़ती थी तो उन्होंने अपने हाथों को संबोधित करके कहा :

रामस्य बाहुरसि निर्भर गर्भ खिन्न
सीता विवासन परोकरुणा कुतस्ते

जिन्होंने गर्भवती सीता को घर से बाहर निकालने में करुणा नहीं की, हे राम की बाहुओं, मुनि का मस्तक काटने में तुमको कहां करुणा, मस्तक काटो। आज वह परम्परा है, किसी जमाने में कुछ और परम्परा रही होगी स्वरूप बदलता गया है, सब बदल गये हैं, और वह बदलेगा क्योंकि यह सनातन धर्म की उदारता है। "यथा नदीना-मूबहवाः अम्बु वेगा" तमाम नदियां बह-बह करके वेग से समुद्र ही में जाती हैं दूसरी जगह जाती नहीं। हम ऐसा स्वरूप सनातन धर्म का मानते हैं और हम मानते हैं कि हरिजनों को देव दर्शन का अधिकार है, उनको कराना होगा। जो इसमें बाधक हो रहे हैं वे न तो उनकी सेवा कर रहे हैं और न अपने उस धर्म की जिसके वे पुजारी हैं, यह हमारा विचार है। इसी विचार को ले

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करके हमने हरिजनोत्थान का आन्दोलन चलाया था। हम नहीं मानते कि कोई अछूत है और धीरे-धीरे वह स्वरूप समाज का बदल चुका है। फिर उसमें राजनीति के प्रवेश करने की कहां गुंजाइश है? विश्वनाथ जी के प्रति हमारे भाई राजनारायण जी, मैं मानता हूं कि एक जमाना था जब वे उनकी पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा पाठ भी करते थे। उस जमाने में मुझे वह गुरू कहा करते थे.....

श्री राजनारायण--अब भी कहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके बाद न मालूम कितने गुरू दत्रात्रे . . . .

श्री अध्यक्ष--वैयक्तिक न हों तो अच्छा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं उसे वापस लेता हूं।

अगर मेरी इस बात से आपको कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूं। उसे मैंने वापस ले लिया।

श्री राजनारायण--मेरे गुरू गुरू कहने से आप यह न समझियेगा . . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं आपसे कर सकता। यह आशा आपसे नहीं है।

मैं आपसे यह कह रहा था श्रीमन्, कि उस समय वह देवी देवता की पूजा किया करते थे। आज देवी देवता के लिये वह हरिजन आन्दोलन में नहीं शरीक हुये हैं। यह उन्होंने स्वयं कहा है वह तो एक सामाजिक साम्य चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वही सामाजिक साम्य हमभी चाहते हैं। आज जो बिल है उसका स्वरूप क्या है? जिन कानूनों को हम लागू नहीं कर सके हैं अदालतों की एक सत्ता है, अदालतों की मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन करना उन्हें उचित प्रतीत होता होगा किन्तु हम उसको उचित नहीं समझते। हम जानते हैं कि जिस दिन अदालतों की मर्यादा को लांघा जायगा उस दिन समाज की व्यवस्था टुकड़े-टुकड़े हो जायगी। हमें पसन्द हो या न हो, अदालतों की मर्यादा की रक्षा हमें करनी होगी। हम अदालतों की प्रतीक्षा करते रहे। बार-बार हम यह प्रतीक्षा करते रहे कि यह कानून के मुताबिक अधिकार हमें मिलेगा। लेकिन फैसला न करके और फिर इंजेन्क्शन द्वारा उसकी प्रगति को रोक करके जो परिस्थिति पैदा की गई उस परिस्थिति में हम प्रतीक्षा करते-करते थक गये और आज वही बिल इस अवस्था में आपके सम्मुख है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट पढ़कर सुनाया कि अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। शायद अदालत में चलेगा भी नहीं वह केस। लेकिन इंजंक्शन का क्या किया जाय। जब हमने देखा कि केस वैसा ही पड़ा है, इंजेन्क्शन लागू हो गया, उस पर कोई फैसला भी नहीं, विचार भी नहीं, तो फिर यह लाया गया। अब आज यह तो एक ऐसा बिल है कि जिसके द्वारा अब वह इंजंक्शन भी न इंटरटेन हो इस बात की हम चेष्टा कर रहे हैं। तो इसमें विरोध की गुंजाइश कहां है? अब आपको सन्देह हुआ कि जंगला और न मालूम क्या-क्या और बातें कहीं। उसमें उन्होंने कहा कि आगे से और पीछे से ले आने की कोशिश हो रही है। अब मैं उसके लिये कुछ कह नहीं सकता। सन्देह की कोई दवा नहीं है मेरे पास। नायं लोकोस्ति न परो न सुखम् संशयात्मा। जो संशयात्मा हैं उनके लिए न इस लोक में सुख है और न उस लोक में सुख है, कहीं भी उन्हें सुख नहीं मिलता।

हरिजनों का अन्दोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया वहीं आज माननीय मुख्य मन्त्री जी के लिये वह कहते हैं कि यह तो एक तिकड़म है। यही मैं कह रहा था कि यही राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास है। इसी तरह के भाषण मान्यवर, यह बाहर भी होते हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि राजनीति इसमें है, श्रीमन्, यह बिल्कुल सही है। यह कहा गया

कि "कांग्रेस वालों का पोल खुल गई । नारे लगाये गए "हरिजन नहीं घुसने पायेंगे"– इसके "नारे लगे। ब्राह्मणों का नाश हो", मन्दिर के दरवाजे टूट के रहेंगे "कांग्रेस की पोल खुल गई" यह सब नारे लगे। क्या यह गलत है धक्कम-धक्के हुए, यह क्या गलत बात है। नहीं हुए हैं? एक अदालत का इंजंक्शन है, पुलिस वहाँ है इस वास्ते कि उस इंजंक्शन की रक्षा हो, हम चाहें या न चाहें, उसकी रक्षा हो। उस रक्षा को करने को कौन कहे उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने की चेष्टा की गई। कोशिश इस बात की की गई कि कांग्रेस गवर्नमेंट की बदनामी हो, कहा गया, देखो कहते हैं कि हरिजनों के पक्षपाती हैं, लेकिन इन पर पुलिस डंडे चलाती है। एक परिस्थिति ऐसी पैदा करके जिसमें कि पुलिस उसके लिये बाध्य हो और फिर उसका इस प्रकार उपयोग करें, उसके विरुद्ध प्रचार करें घूम-घूम कर यह एक राजनीतिक स्वार्थ साधन करने की चेष्टा है श्रीमन्, जिसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री ने संकेत किया था और मैं आपसे कहता हूं कि वह मुनासिब बात उन्होंने कही । हमारे प्रस्ताव का जिक्र किया । देश की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति को देखते हुये आवश्यक है कि हरिजनों के अधिकार को स्वीकार किया जाय इसमें आपको राजनीति की क्या गन्ध मिली ? राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति यहां की जरा आप बात सुनें, बीच में टोंक टाक करना बहुत अच्छी बात नहीं हुआ करती बाबू राजनारायण सिंह जी . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप जरा उनको बोलने दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुये इस प्रकार का झगड़ा जो आज लोग उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र आज स्थापित है, जो विधान ने आज घोषणा की है, जो आज साम्य और समता की बात की जा रही है उसे देखते हुये इस प्रकार की दकियानूसी बात करना सर्वथा अनुचित होगा। देश के लिये भी और उनके लिये भी अहितकर होगा। यह उस प्रस्ताव का अर्थ है। लेकिन मान्यवर, आज इस बिल के द्वारा जंगले की बात मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है और वह यह कि जो अधिकार सवर्ण को है, वही हरिजन को है। दर्शन करने जायगा सवर्ण तो हरिजन भी जायगा, जहां से दर्शन सवर्ण करेगा वहीं से दर्शन हरिजन करेगा। . जो अधिकार हरिजन को है वही सवर्ण को है, और जो अधिकार सवर्ण को हैं वही अधिकार हरिजन को भी हैं। यह एक साम्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह है इसका अर्थ और लक्ष्य। अब जंगला लगाने की जहां तक बात है तो बहुत सी जगह ऐसी व्यवस्था है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं स्वयं उन व्यक्तियों में से हूं कि देवता के दर्शन होने चाहिये, स्पर्श नहीं होना चाहिये। मैं जहां जाता हूं तो दर्शन करता हूं, स्पर्श नहीं करता हूं। किसी देव मंदिर में जाता हूं; तो देवता के दर्शन करता हूं, स्पर्श नहीं करता हूं। नर्वदा के दक्षिण के जितने मंदिर हैं, बहुत से शंकर जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं और भी अनेक मंदिर हैं लेकिन कहीं भी मूर्ति स्पर्श करने की व्यवस्था नहीं है। बद्रीनाथ में भी नहीं है, दर्शन ही करते हैं ।

हमारे यहां बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें मूर्ति दर्शन की व्यवस्था है। मार्कन्डेश्वर का मंदिर है, वहां पर लोग कोशिश करते हैं पूजन करने की। मैं निवेदन करूं कि इसमें पचासों आदमियों के मस्तक फूटते हैं। लोग लोटा में पानी लेकर चढ़ाने के लिये जाते हैं और जल चढ़ाने की चेष्टा में दूसरे दर्शनार्थियों के सिर पर ही पटक देते हैं। मुझसे पूछा जाय तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी मंदिर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि देवता के दर्शन किये जायं। मालूम नहीं कि हम किस स्थिति में हैं, नहाये हैं या नहीं, पवित्र हैं या नहीं, प्रत्येक को दर्शन करने का अधिकार है। यदि पूजन करना है तो जो व्यक्ति वहां पर व्यवस्था करने के लिये है, वही पूजन कर दे, मेरी स्वयं की यही राय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अधिकार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सवर्ण को है वही हरिजन को है, जो अधिकार हरिजन को नहीं वही सवर्ण को भी नहीं है इसमें समता प्रत्यक्ष है। इसमें संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है यदि करते हैं तो वह केवल एक भ्रांतिमात्र है।

मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि हम हिन्दू धर्म के स्वरूप को बदलना नहीं चाहते हैं तो ठीक ही कहा। आप किसी चीज की एक बात को ले लें और उसके तत्व को न लें तो यह ठीक नहीं है जिसे अंग्रेजी में डिस्टार्शिन कहते हैं। मंदिर में जो व्यवस्था चलती है चलनी चाहिये। मंदिर में पुजारी आरती करता है। अब आप कह दें कि पुजारी तो पंडित है, आज से हरिजन को रखना होगा। यह आप मांग कर दें तो इस समय ठीक नहीं है। आप ले आइये कि मंदिर के पुजारी हरिजन रखे जायेंगे। अभी तो ब्राह्मण रखे जाते हैं और लोग भी रखे जा सकते हैं। हिन्दुओं को अधिकार है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन यह चीज इस बिल की परिधि में नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जो पुराने कानूनों के कारण लागू नहीं हो पा रही हैं। आज हमारे हाथ पैर बंधे हुये हैं। इसलिये हम ऐसी चेष्टा करें कि हमारे हाथ पैर खुल सकें और ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कानून की रक्षा और हमारे संविधान की रक्षा हो सके। इसमें संदेह की कोई जरूरत नहीं है। विश्वनाथ जी का मंदिर इस प्रकार से है, यदि दस आदमी एक साथ जाकर दर्शन करें तो कठिनाई हो। मैंने दक्षिण के मंदिरों को देखा है, मैं भी एक यह कल्पना करता हूं कि विश्वनाथ का मंदिर एक ऐसा हो जाय तो विशाल प्रांगण हो। श्रीमन्, आप तो गये होंगे, आप जरा उन गलियों का ख्याल कीजिये कि अगर ऊपर से पत्थर गिर जाय तो आदमी मर जाय, और दो चार मामले ऐसी हो चुके हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय कि मंदिर विशाल हो जाय और उसकी संकीर्णता दूर हो जाय तो क्या बात हो गयी? सारे हरिजनों के आन्दोलन को लेकर जो आज तक चलते रहे वे हरिजनों को मंदिर प्रवेश से रोकने वाले हैं, इस प्रकार का संदेह मुख्य मंत्री पर, कांग्रेस पर या इधर बैठे हुये लोगों पर करना मैं समझता हूं कोई बड़े न्याय की बात नहीं है।

आपको तो शिकायत इस बात की हुई कि मुख्य मंत्री जी ने हमारे ऊपर आक्षेप किया और यह डेढ़ घंटे के आपके सारे व्याख्यान में रहा क्या है सिवाय आक्षेप के? आप कहें कि तुम नेतृत्व करो। अरे, हम तो नेतृत्व कर ही रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का नेतृत्व थोड़े ही करेंगे कि अनुगामी आप बनिये और नेतृत्व हम करें। कमलापति त्रिपाठी के कंधे पर राजनारायण जी का मस्तिष्क तो नहीं रखा जा सकता। हम तो अपने ढंग से नेतृत्व करेंगे और कर रहे हैं। हल करेंगे इस समस्या को हम जरूर। हरिजनों के समता के अधिकार के लिये हम जरूर लड़ेंगे। आपसे निवेदन यह है कि आप आयें, सहयोग दें, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आक्षेप की दृष्टि से नहीं, सामाजिक सुधार और सामाजिक आन्दोलन एक विकास के ढंग से चलते हैं, गतिशील होते हैं। उनकी प्रगति शनैः शनैः होती है। गांधी जी ने कम से कम यही उपदेश हमको दिया। महात्मा जी ने हरिजनों के वास्ते आपको स्मरण होगा कि १९३२-३३ में मैकडोनल्ड एवार्ड के संबंध में जान की बाजी लगा दी थी और बड़ा भारी अनशन किया था। सारा देश कांप उठा था। राजनीतिक अधिकारों के लिये उन्होंने यहां तक किया। मंदिर प्रवेश के बारे में कभी उन्होंने कोई अनशन नहीं किया और सदा यह कहते रहें कि उन्हें अधिकार है मंदिर प्रवेश का और बराबर यह कहते रहे कि तुम्हारा मंदिर प्रवेश के आन्दोलन का स्वरूप ऐसा हो जो समाज में किसी प्रकार की विशृंखलता, अव्यवस्था या अशांति न उत्पन्न करे, प्रत्युत सामाजिक आन्दोलन और क्रांति का स्वरूप यह हो कि पग-पग तुम आगे बढ़ते चलो, लोगों की धारणायें बदलते चलो, उनके हृदय का परिवर्तन करते चलो। अगर किसी समय तुम्हारे ऊपर वह कठोर हो जायं तो उस कष्ट को बरदाश्त करो और उनके हृदय के अन्तर को स्पर्श करने की चेष्टा करो। यही हम करते रहे हैं। आपका यह कहना

कि हम कोर्ट के उस आदेश को तोड़ डालेंगे, उस सरकार को तोड़ डालेंगे जिस सरकार का यह आदेश है, तो आप सब को तोड़ सकते हैं, लोगों का मस्तक भी आप तोड़ सकते हैं। लेकिन व्यवस्था के ढंग से कोई सामाजिक आन्दोलन इस प्रकार से चल नहीं सकता। देश में जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति हमारी हो रही है उसकी आधार पीठिका यह रही है कि हम शांति व्यवस्था से चलते हैं। उसका सामाजिक और धार्मिक आन्दोलन भी उसी स्वरूप में चलायेंगे। हम उस स्वरूप में उसको चलाना चाहते हैं। हमने जो आर्थिक क्रांति इस देश में की है उसको दुनिया देखती है और यहां की जनता भी देखती है।

श्री राजनारायण---६ हजार रुपये मासिक का खर्च है एक मंत्री पर।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी तो आधा घंटा के ऊपर दो ही मिनट हुये हैं। दो, तीन मिनट मैं और लूंगा। हमने वह आर्थिक क्रांति किसी तलवार के जोर से नहीं की, किसी कानून को तोड़ कर या किसी क्लास को लिक्विडेट करके नहीं की। ऊपर से नीचे तक हम समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं, हमारा पथ बना हुआ है, हम उस ढंग से चलेंगे और उस ढंग से चल कर हमें एक के बाद दूसरी सफलता ही मिली है। तो इस ढंग से हम चलेंगे और आर्थिक क्रांति का चरम लक्ष्य जो होता है उसे हम प्राप्त करेंगे। और देखता हूं कि पदे पदे सामाजिक क्रांति उसी पथ से धीरे-धीरे होती जा रही है। हमने देखा कि दस वर्षों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हरिजन भाइयों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते रहे हों और अब भी जो उन्हें अस्पृश्य समझते हों, लेकिन देखता हूं कि किसी ढंग पर उनका मतपरिवर्तन कर के उनका विचारपरिवर्तन करने का हमने उनमें परिवर्तन किया है और कुछ नहीं तो इतना तो वे स्वीकार करके बैठ गये हैं कि समय पलट, पलटे जगत्। वे अपना समाधान अपने द्वारा स्वयं कर लेते हैं। जिस परिस्थिति के अन्दर यह सब हो गया हम उसी परिस्थिति को उत्पन्न करना चाहते हैं। हम न तो कोई मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं, न कोई कानून और विधि का उल्लंघन करना चाहते हैं, न कोई ऐसा संघर्ष उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की अव्यवस्था अथवा अशांति उत्पन्न हो सके। यह है हमारा दृष्टिकोण और यही इस विधि का लक्ष्य है कि समान अधिकार है और उसी समान अधिकार के लक्ष्य को लेकर और इस दृष्टिकोण को लकर हम जिन कानूनों को लागू करना चाहते हैं उन्हें किन्हीं परिस्थितियों में हम लागू नहीं कर रहे हैं। हम उन परिस्थितियों को उभाड़ना चाहते हैं। हमें हरिजनोद्धार का ज्यादा सबक देने की जरूरत नहीं है। हमने हरिजन आन्दोलन चलाये हैं, नेतृत्व किया है। मैं नहीं समझता कि आज तक जो अधिकार हमारे भाइयों को प्राप्त हुये हैं वह सिवाय इधर के नेतृत्व के संघर्ष में और कहां प्राप्त हुआ है? उनके संघर्ष में प्राप्त होता रहा है और भविष्य में भी उन्हीं के संघर्ष में प्राप्त होगा। यही मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र में कहा है कि उसी नेतृत्व में यह आन्दोलन सफल होगा। मंदिर प्रवेश का अधिकार भी होगा, धर्म भी रहेगा और समानाधिकार भी प्राप्त होगा। यही उनके कहने का अर्थ रखता है और उनका कहना सर्वथा उपयक्त रहा है।

अन्त में आपके द्वारा मैं भी अपील करना चाहता हूं, आपके द्वारा इस भवन से बाहर के अपने उन आदरणीय व्यक्तियों से भी जिनकी मैं श्रद्धा करता हूं परन्तु आज जो हरिजन आन्दोलन के विरोधी हैं और हरिजनों को समान अधिकार देने के विरोधी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। वह युग है और देश की आज की परिस्थिति ऐसी है कि यह प्रतिक्रियावाद होगा यदि इस प्रकार वे हमारे हरिजनों के आन्दोलन में बाधक होंगे। इससे धर्म को क्षति पहुंचेगी। हमारे धर्म का यह स्वरूप नहीं है। तत् समः परमात्मने नमः। यह असाम्प्रदायिक रहा, यह संस्कृति असाम्प्रादायिक रही इसमें एकता और स्नेह और यदि एकता

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अनेकता में परिवर्तित हुई तो उसके परिहार का उपदेश है यही इसकी भित्ति है। इसके विपरीत रूढ़ियों और परम्पराओं के चक्कर में फंस करके आज की प्रगति के आन्दोलन को जो जो रोकेंगे वे अपनी हानि करेंगे। और देश की हानि करेंगे, मैं अपने उन भाइयों से भी जो इस प्रकार की कटुता, संघर्ष और अशांति उत्पन्न करके और एक राजनीतिक दृष्टि से उसमें किसी दल विशेष पर आक्षेप और प्रत्याक्षेप करने की चेष्टा करते हैं उनसे भी आपके द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक क्रांति के प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हममें और आपमें मतभेद नहीं है किन्तु हमारी नीयत पर आक्रमण करना और अविश्वास करना चाहें तो यह हमारे साथ अन्याय है। चलें आप और हम चलें जिस प्रकार हमने राजनीतिक क्रांति सफल की है, आर्थिक क्रांति की सफलता की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे ही सहस्त्रों वर्षों की इस पुरानी दुनिया को जो रूढ़ियों और परम्पराओं के चक्कर का अभिशाप है धीरे-धीरे उसके बंधन को ढीला कर दें और आइये फिर ऐसे नये समाज की रचना करें जो हमारी कल्पना के, हमारे आदर्शों के और हमारे विचारों के अनुकूल हो।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के पीछे कितने आधारभूत उद्देश्य निहित हैं और इसकी भूमिका कितनी विस्तृत है यह तो इसी से स्पष्ट हो गया कि हमने अभी इस सदन में कई महान् और प्रभावशाली सदस्यों के मुखारविन्द से शब्दों की स्रोतस्विनी का पान किया। इतना मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि हमारे विचार से केवल इस विधेयक के उपस्थित करने से ही इस मूल समस्या का हल नहीं हो जाता। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय राजनारायण जी ने और अभी-अभी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने यह भाव व्यक्त किये कि सन् १९४७ से हम कानून बनाते आ रहे हैं, सन् १९४७ में हमने सोशल डिसएबिलिटीज़ ऐक्ट पास किया, सन् १९५५ में हमने अनटचेबिलटी आफेंस ऐक्ट बनाया। उसके पहले सन् १९५१ में हमने संविधान को लागू किया और आज हम फिर इस विधेयक को यहां पारित कर रहे हैं, लेकिन समस्या अपने स्थान पर यथास्थित है, वह क्यों है? श्रीमन्, मेरे विचार से यह समस्या केवल विधेयक पास करने से ही पूर्ण नहीं हो जाती। यह तो एक ऐसा आन्दोलन है जो आन्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में आज से कई वर्ष पूर्व चला और हमें दुख तो यह है कि वह आन्दोलन गांधी जी की मृत्यु के बाद, उनके देहावसान के पश्चात् इस राजनीतिक दलदल में लुप्त सा हो गया है। अगर हमें हरिजनों को वास्तव में केवल मंदिर प्रवेश ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अधिकार देने हैं, यदि हमें इस देश की छुआछूत, पिछड़े और अग्रिम छोटे और बड़े के भेद को दूर करना है तो एक इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति की आवश्यकता होगी कि जिसमें हमने जितने अधिकार सुरक्षित किये हैं वह सभी अधिकार प्रत्येक नागरिक की इच्छा से, स्वतः उस की इच्छा से पूर्ण हो सकें। इस प्रकार सरकार के द्वारा जो एक सामाजिक न्याय होता वह पूरा नहीं हो सका है और इसलिये आज धर्म संघ जैसी प्रतिक्रियावादी संस्थायें इस प्रकार के आन्दोलन में आज रुकावट डाल रही हैं।

जैसा कि बनारस के माननीय मित्र ने पहले कहा, मैं तो यह समझता हूं कि हमने इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं केवल सरकार को ही इस संबंध में दोष नहीं देता। मैं इस बात को कहता हूं कि सरकार के द्वारा इस केस के संबंध में ठोस कदम जितने ज्यादा उठाये जाने चाहियें थे, उतने नहीं उठाये गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी आपत्ति सरकार के सामने थी कि सुप्रीम कोर्ट में उसने उस समय रिट दाखिल नहीं किया जिस समय कि सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट को क्लेम करते हुये मुंसिफ के कोर्ट में इंजंक्शन के लिये प्रार्थना की गई थी और उस पर तीन साल तक कोई फैसला नहीं हुआ। क्या संविधान के अनुसार सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का रिट नहीं कर सकती थी? अगर वह रिट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट सब कोर्टों के ऊपर एक बड़ा कोर्ट है और जो विधान के द्वितीय भाग में अनुच्छेद १७ है उसके संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी शक्ति दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कोई भी रूलिंग, उसका कोई भी मत सभी कोर्टों पर लागू होता है। मैं इसमें सरकार की नीयत पर किसी प्रकार का शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल सूचना के लिये जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने ऐसी कौन सी रुकावट थी कि सरकार के एडवोकेट जनरल ने दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में क्यों नहीं रूलिंग लेने की चेष्टा की कि हमारे ला का इस तरह का इन्टरप्रेटेशन किया जा रहा है? पार्ट सेकिंड, विधान का दूसरे भाग के अनुच्छेद १७ का इस प्रकार उल्लंघन हो रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी रूलिंग देनी चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इस प्रकार की अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट अवश्य कोई रूलिंग देता और अगर वह कहता कि अनुच्छेद १७ का उल्लंघन हो रहा है और इसलिये कोर्ट को कोई इंजंक्शन नहीं देना चाहिये तो बनारस में जो कुछ हुआ है वह न होता। यह बात सही है कि सरकार कोई जुडिशल आदेश नहीं दे सकती थी, यह बात भी सही है कि वहां के मुंसिफ को भी सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती, यह बात ठीक है कि सरकार को न्यायाधीश के फैसलों को मानना पड़ता है, लेकिन यह बात भी सही है कि संविधान के अनुसार सरकार को और किसी भी नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं कि वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर विधान के अनुच्छेद १७ का इंटरप्रेटेशन करा सकता है।

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह विधेयक हमारी मंशा को विधान के रूप में भी पूरा नहीं करता और यह केवल एक ऐसी घोषणा को दोहराता है जिसको कोटि-कोटि कंठ २६ जनवरी, १९५१ को दोहरा चुके हैं। उसी को फिर से यहां पर रखा गया है। इसका नाम मंदिर प्रवेश अधिकार घोषणा विधेयक रखा गया है। अधिकारों की घोषणा तो हम २६ जनवरी, १९५१ में कर चुके हैं। २६ जनवरी को जिस समय संविधान में प्रतिज्ञाओं को दोहराया था उस समय हम अधिकारों की घोषणा कर चुके हैं, जिस समय कि इस संविधान की उस धारा पर दस्तखत हुये कि इस देश में किसी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं रहेगी। तो अब तो मंदिर प्रवेश उसका केवल अंशमात्र है और अस्पृश्यता निवारण घोषणा एक अंश मात्र है। आज हम उन अधिकारी को अधिकारों की घोषणा के तौर पर दोहरा रहे हैं। आप इस विधेयक की घोषणा को दोहरायें, या आप आज हरिजनों के लिये उद्देश्य और कारणों के अनुसार शासन दिलाने के लिये कोई विधेयक पास कर लें, लेकिन यह प्रश्न पास करने का नहीं है। जो अधिनियम ५५ में पास हुआ उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि यह अधिनियम सन् ५५ का लागू रहेगा। यह उस अधिनियम की धारा में लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार के कितने ही पहले के कानून बनाये हुये हों वह आगे के लिये लागू नहीं होंगे। यह अनटचेबिलिटी ऐक्ट सेंटर का लागू रहेगा इसमें केवल एक नयी बात है और वह यह है कि जो इस समय मुंसिफ की अदालत में इंजंक्शन है वह जरूर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा और कोई बात इस विधेयक में नहीं है। बल्कि इससे एक खतरा प्रतीत होता है कि वह धर्म धुरन्धर और रूढिवादी मित्र जो आज तक अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर पाये हैं जिसमें हम सभी लोग हैं चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों, या प्रजासोशलिस्ट पार्टी के हों या और हों जिनको अभी तक हम अपने मत का नहीं बना पाये हैं वे कल को फिर दूसरे मुन्सिफ के कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश अधिकार घोषणा विधेयक, १९५६ को पास करने का अधिकार इस सरकार को नहीं है। वह फिर इन्टरिम इन्जकन्शन ला सकते हैं। समस्या वही रहती है, जिस प्रकार कानूनी शब्द सोशल डिसएबिलिटी ऐक्ट के विषय में उन्होंने कहे इस विधेयक को पास करने का अधिकार असेम्बली को नहीं है और अनटचेबिलिटी ऐक्ट पास करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है उसी प्रकार से वह तीसरा इन्जेकशन भी ला सकते हैं कि इस मंदिर प्रवेश बिल को पास करने का अधिकार असेम्बली को नहीं है। फिर यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। सत्याग्रह चलता रहता है। अगर हम न्यायाधीश के अनुसार जुडिशियल कोई हल निकाल सकें तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। जब एडवोकेट जनरल सेल्स टैक्स विधेयक की पैरवी करने के लिये हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हो सकते हैं तो क्या कारण है कि हमारे एडवोकेट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जनरल इस मामले की पैरवी करने के लिये बनारस की कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते ? जिस कानून के संबंध में राज्य सरकार यह समझती है कि यह कानून महत्व का है और बहुत महत्व उसकी दृष्टि में वह कानून रखता है और इसमें महत्व का कानूनी प्रश्न निहित होता है तो सरकार उसके लिये उसको भेजती है और उसने भेजा भी है लेकिन इस मामले में सरकार ने अवश्य असावधानी बरती है और शायद सरकार ने इस मामले को कम महत्व का समझा है। अगर यह सरकार चाहती तो एडवोकेट जनरल को वहां भेज सकती थी और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला उठ सकता था।

दूसरी बात यह है कि आप देखें संविधान के अनुसार यह है या नहीं। इस संविधान की धारा ३५ में लिखा हुआ है कि--

"Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have power to make laws for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part".

इसके बारे में कानून पार्लियामेंट बनावेगी और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनावेगी। इसमें कोर्ट के लिये वैधानिक आपत्ति अधिक हो सकती है। तो हमारा उद्देश्य वैसा का वैसा ही रह जाता है, चाहे हम उच्चकोटि के आर्यसमाजी, सनातनधर्मी, या आस्तिकवादी या नास्तिकवादी हों, समस्या वैसी की वैसी ही रह जाती है। केवल बनारस के विश्वनाथ के मंदिर में ही हरिजन प्रवेश से काम नहीं चल सकता। आज हमारे देश में ३३ करोड़ देवीदेवता हैं, तमाम पहाड़ों की चोटियों में, गुफाओं में और पत्थरों में देवीदेवता हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं, जिन्हें आज समाजवाद और प्रगतिशीलता को पूरा ज्ञान नहीं है। उन्हें हमें इसके लिये तैयार करना है और आगे बढ़ाना है। हमारे सिंचाई मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही यह सब कुछ हो सकता है और होगा। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्री जी याद रखें कि जिस समय हम सब लोग कांग्रेस में थे, चाहे राज नारायण जी हों या हम। पी० एस० पी० वाले हों, उस समय कांग्रेस में यह राष्ट्रीय मंत्र था। आज भी अगर हम कांग्रेस से अलग हैं तो हरिजन उद्धार के विषय में हम नहीं बदले हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी या कोई और राजनीतिक आक्षेप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर परस्पर आक्षेप करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। यह प्रश्न ऐसा है जिसे हमें समाजवादी दृष्टिकोण से सोचना है। हमारे भारत का समाजवाद ऐसा नहीं है जिसमें हम सब नास्तिक हों। आज रूस में भी जहां यह कहा जाता है कि वहां देवालयों को दूसरे काम के लिये इस्तेमाल करते हैं वहां भी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस देश में जो धर्म की और सांस्कृतिक खराबियां हमेशा से रही हैं, हमें ऐसा काम करना होगा कि सबकी वे खराबियां दूर हों। आज सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जहां आज हरिजन नहीं जा सकते हैं। वही आन्दोलन नहीं हो रहा है। केवल चन्द मंदिरों में हरिजन प्रवेश से काम चलने वाला नहीं है। गांधी जी के नेतृत्व में भी कई बार सन् ३५ में ३१ में, जब उन्होंने भारतवर्ष का दौरा किया मंदिर प्रवेश हुआ। लेकिन एक दिन जलूस घुस गया और बाद में कुछ नहीं। तो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक दिन के मंदिर प्रवेश से हरिजनों को पूरा अधिकार नहीं मिल जाता है। हमको तो सारे समाज को ऐसा बनाना होगा कि हरिजन रोजाना मंदिर प्रवेश कर सकें। यह नहीं कि एक दिन मुख्य मंत्री या किसी एम० एल० ए० के या डिप्टी कमिश्नर के साथ हरिजन मंदिर प्रवेश करने पहुंच गये। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह विधेयक जिस काम को हम चाहते हैं उसे पूरा करने वाला नहीं है। हमें अपने दिलों को टटोलना होगा। इस संबंध में हमें राजनीतिक भेदभाव छोड़कर काम करने के लिये तैयार होना चाहिये। यह सवाल कांग्रेस का अकेले नहीं है यह सवाल सोशलिस्ट पार्टी का नहीं पी० एस० पी० का नहीं, यह तो समान रूप से सभी दलों के लोगों का सवाल है। हरिजन और गैर हरिजन सब लोगों के लिये कलंक की बात है। ऐसे रूढ़िवादी लोग हर पार्टी में मौजूद हैं जो इन बातों में विश्वास करते

हैं। पार्टी के अन्दर और पार्टी के बाहर हमें अपने हृदयों का मंथन करना होगा और इस प्रकार से कार्य करना होगा जिससे इस विधेयक को पूरा-पूरा बल मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा विश्वास है कि जब तक हम सब इसके लिये तैयार न होंगे प्रयत्न न करेंगे तब तक हमारा वह उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--मान्यवर, मैं इस वादविवाद और इस विधेयक को भली भांति समझने का प्रयास करता रहा और मैं इसे हर्ष के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इससे सहमत हूं। मान्यवर, परन्तु दुख मुझे यह होता है कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विधेयक को रक्खा है उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में वे सफल भी होंगे या नहीं। मान्यवर, मुझे ताज्जुब हुआ जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जैसे सदस्य ने एक बात इस भवन में कही। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कमी थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रूलिंग न करायी। वह रूलिंग किस तरह से होती। एक टेम्पोरेरी इंजंक्शन अपीलेबिल होता है। उसके लिये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन उनका यह भ्रम है क्योंकि सरकार के लिये यह भी चारा नहीं था। रिट तो एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी रेमेडी होती है। जब कोई और रेमेडी नहीं होती तब उसका प्रयोग होता है। जब इस प्रकार का इंजंक्शन मौजूद हो तो फिर हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट रिट को स्वीकार नहीं कर सकती। माननीय नारायण दत्त जी का यह कहना कि सरकार को चाहिये था कि वह रूलिंग प्राप्त करे, एक आश्चर्य की बात है और विधानतः यह गलत है, जो नहीं हो सकता था और जो सम्भव नहीं था। मान्यवर, अब मैं केवल आशा यह करूंगा कि माननीय राजनारायण जी का उत्तर कल दूं। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय कामलापति त्रिपाठी जी से यह अवश्य अनुरोध करूंगा आपके द्वारा कि यह सच है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि सन् ५५ में यह इंटरिम इंजंक्शन हुआ, तो मैं आपके द्वारा इस सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि यह कोई अद्वितीय बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि उनको इसमें संदेह हो तो माननीय मंत्री महोदय जो जस्टिस के हैं या जो उनके एडवोकेट जनरल हैं या जो उनके लीगल रिमेंम्बरेंसर हैं उनको बुला कर पूछें कि दीवानी मुकदमे में आर्डिनरिली कितना वक्त लगता है। जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह देख रहे थे और उनको आश्चर्य हो रहा था और वे समझ रहे थे कि इसमें एक अनोखापन है, मैं आपके द्वारा उनको यह बतला देना चाहता हूं कि अगर सन् ५५ में यह आज्ञा दी गयी और आज सन् ५६ में कोई चीज अदालत के प्रति सोची जाय या यह देखा जाय कि कोई असाधारण सी बात हो गयी है तो मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अदालत दीवानी में एक नहीं हजारों तरह की मजबूरियां होती हैं। अगर सी० पी० सी० को देखा जाय तो अदालत अगर चाहे भी तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वह फैसला नहीं हो पाता। मैं मुंसिफ को जानता नहीं हूं, मुझको उससे कोई प्रेम नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि अगर कहा जाय कि मुंसिफ द्वारा या उस अदालत द्वारा कोई अन्धेर हो रहा है और इंजक्शन सूट के इतिहास में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कोई विशेषता है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह ठीक है श्रीमन्, अपनी जगह पर कि उनके पास कोई चारा था तो यह कि वे अपील कर सकते थे उस आर्डर के खिलाफ। यह भी सच है जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी चाहते थे कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाते, लेकिन यह समझ में नहीं आ सका कि वे कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाते।

श्रीमन्, इस सदन में बैठ कर उस पर निर्णय देना या यह समझना कि सरकार ने गलती की या सरकार जानबूझ कर बदनीयती से यह टालमटोल करती रही जैसा कि माननीय राजनारायण जी संकेत करते रहे, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी जगह पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

जुडिशिअरी को उचित सम्मान देना होगा और यह सच है जैसा कि माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशिअरी पृथक-पृथक रहे, यह एक अच्छी चीज है। मैं तो श्रीमन्, यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह गलत उदाहरण होगा कि सिर्फ एक अदालत के फैसले के लिये आप बिल लावें, एक विधेयक लावें। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये एक मामूली सी कठिनाई के लिये दूसरे ऐसे उपाय हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर माननीय मंत्री महोदय उस देश के बारे में कुछ और प्रकाश डाले होते तो हम उस पर कुछ और भी कह सकते थे और यह कहना श्रीमन्, कि माननीय राजनारायण अपनी जगह पर हैं, एक दूसरी चीज है .....

श्री अध्यक्ष---अब आप कल अपना भाषण जारी रखें, अब हम उठते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुंसिफ द्वारा जो निषेधाज्ञा जारी हुई है उसकी प्रतिलिपि मुझे नहीं मिली है। आज तो नहीं मिल सकी, लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि कल मुझे वह अवश्य मिल जाय। क्योंकि उसका इस विधेयक के संबंध में बहुत महत्व है।

श्री अध्यक्ष---(माननीय मुख्य मंत्री से) क्या वह मौजूद है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह अभी मौजूद नहीं है।

श्री राजनारायण--उसको ट्रंककाल करके मंगा लिया जाय एक लाइन का तो है।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसकें बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१ अगस्त, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४५ पर)

१९५६-५७ सीजन में खनिज पदार्थों के अन्वेषण के विषय में डाइरेक्ट रेट आफ जियोलाजी तथा माईनिंग का सामयिक कार्य-क्रम।

१--देहरादून क्षेत्र में खनिज पदार्थों का अनुसंधान।

लाइम स्टोन, जिप्सम, फासफैटिक राक्स एवं ग्लास सैन्ड्स की खानों के संबंध में जो कार्य हो रहा है, उसे विस्तृत किया जायेगा।

२--गढ़वाल जिले में खनिज पदार्थ का अनुसंधान।

तांबा, लोहा, लाइमस्टोन तथा जिप्सम के संबंध में जो कार्य पूर्व से ही उन्नतिशील अवस्था में है, उसे विस्तृत किया जायेगा।

३--अल्मोड़ा जिले में खनिज पदार्थ का अनुसंधान।

अल्मोड़ा जिले के दूंगी धर रिजर्व फारेस्ट में हाल में मालूम की गयी तांबे की खान का व्यापक कार्य।

४--अल्मोड़ा जिले में ग्रेफाइट तथा गंधक की खान का अन्वेषण।

५--बांदा जिले में खनिज पदार्थ का अनुसंधान।

हाल में मालूम किये गये कल्क तूफा (culc tufa) तथा रेफ्रैक्ट्री क्लेज (refractary clays) की खानों का व्यापक कार्य।

६--रिहन्द डैम क्षेत्र में खनिज पदार्थों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

७--मिर्जापुर जिले में कैराहाट लाइमस्टोन का अनुसंधान।

सीमेंट बनाने के विषय में इस लाइम स्टोन की उपयुक्तता।

८--बुन्देलखंड क्षेत्र तथा झांसी जिले में खनिज पदार्थों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

९--हल्द्वानी तथा काठकगोदाम के समीप लाइन स्टोन का अनुसंधान।

१०--मिर्जापुर जिले में कोटा को कोयले की खान की ड्रिलिंग।

यह कार्य इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के सहकार्यता से किया जायेगा।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ

जिला नियोजन समिति, इलाहाबाद द्वारा १९५४–५५ और

कार्य	कार्य की संख्या	केन्द्र अनुदान से ५४–५५ और ५५–५६ में व्यय			कार्य की संख्या
		१९५४–५५		१९५५–५६	
		रु०	आ० पा०	रु०	आ० पा०	
१—पानी पीने की योजना ..	२७८	४,६८३	० ०	१,०५,७३५	८ ०	१०८
२—खेती वाड़ी की उन्नति के हेतु स्थाई योजना ..	३	..		३,७३९	० ०	६
३—सफाई की स्थाई योजना ..	६	३२५	० ०	१,८५५	० ०	५
४—गांवों की सड़कें तथा पुल और पुलिया	१०	६,९८४	० ०	५,७९६	० ०	१३
५—स्कूल भवन तथा शाफाखाने	२५	१०,०५०	० ०	२४,६४०	३ ०	४
६—बीज गोदाम ..	१०	१३,६००	० ०	१७,७९८	० ०	..
७—पंचायत घर ..	४१	२०,०१६	० ०	१९,०६४	० ०	२१
८—क्रीड़ा स्थल ..	१५	..		८,५५९	० ०	..
९—सड़कों पर लालटेन ..	..	..		..		५०
१०—हरिजन घरों की मरम्मत ..	..	..		..		..
योग ..	३८८	५५,६५८	०	१,८७,१८६	११ ०	२०७

जिला नियोजन समिति पास इलाहाबाद के पास बचे हुये धन का विवरण

सेल्प हेल्प योजना	१–४–५५ को बैलेन्स			एलाटमेन्ट्स					
				१९५४–५५			१९५५–५६		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—डिस्केशनरी ..	९,४३३	१४	९	१३,२५०	०	०	..		
२—डेवलपमेंट अनुदान ..	३७,७४०	१४	०	३९ ७५०	०	०	..		
३—श्रमदान ..	..			१०,०००	०	०	..		
४—केन्द्रीय पीने के पानी की योजना	..			८५,०००	०	०	८२,१०२	०	०
५—लोकल डेवलपमेंट वर्क्स	८६,८६२	०	०	५०,०००	०	०	१,४०,०००	०	०
६—हरिजन के हेतु पानी पीने की योजना ..	१३,३३५	०	०	५,४३०	०	०	१२,०००	०	०
७—हरिजनों के हेतु मकानों के लिये विशेष अनुदान	१२,०९०	०	०	१,५००	०	०	८,८००	०	०
८—फूलपुर मेल्हानी सड़क	..			३३,३३३	०	०		..	
९—सँकसन वर्क ..	१,२०,९००	..	..	..				..	
१०—बाढ़ क्षेत्र में मकानों का निर्माण	..			..			१०,०००	०	०
११—सामुहिक जुरमाने का धन	..			..			१०,०६५	०	०
१२—अन्य अनुदान ..	१,१०,१६७	११	१०	३८,३२४	०	०	३२,८००	०	०
योग ..	३,९०,५२९	८	७	२,७६,५८७	०	०	२,९५,७६७	—	

'ख'

१४६ पर)

१९५५–५६ में स्वीकृत कुयें पर व्यय किये गये धन की सूची।

सेल्प हेल्प योजना से ५४–५५ और ५५–५६ में व्यय	कार्य की संख्या	हरिजन के पानी पीने के योजना के धन से ५४–५५ तथा ५५–५६ में व्यय	कार्य की संख्या	हरिजनों के मकानों के लिये अनुदान से ५४–५५ तथा ५५–५६ में व्यय
१९५४–५५	१९५५–५६	१९५४–५५ १९५५–५६	१९५४–५५	१९५५–५६
रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० रु०		रु०
५,४४९ ० ०	१६,६५५ ० ० ४०	३,७२३ ५,१००	..	..
	४,४९१ ७ ० ..		..	..
४७५ ० ०	४३० ० ० ..		..	..
६,१४८ ० ०	१,३५० ० ० ..		..	..
१,१६६ ० ०	१५० ० ० ..		..	..
—	० ० ..		..	..
९,७४७ ० ०	१६,९२० ० ० ..		..	..
० ०	२,१३१ ८ ० ..		..	..
—			५३	५,३०० १,८१८
२२,९८५ ० ०	४२,१२७ १५ — ४०	३,७२३ ५,१००	५३	५,३०० १,८१८

बचे हुए धन का विवरण

योग	व्यय		बैलेंस	
	१९५४–५५	१९५५–५६	३१–३–५६ को	
रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
२२,६८३ १४ ९	१३,८२३ १५ ३	५,८७५ ३ ३	२,९८४ १२ ३	
७७,४९० १५ ०	२२,९८५ ० ०	४२,१२७ १५ ०	१२,३७७ १५ ०	
१०,००० ० ०	९,९८० ० ०	४४६ १५ ०	५७२ ७ ०	
१,६७,१०२ ० ०	२,५५० ० ०	१,०८,८६८ ८ ०	२४,८८५ ८ ०	
२,७६,८६२ ० ०	५३,१०८ ० ०	७८,३१८ ३ ०	१७६,२३३ १३ ०	
३०,७६५ ० ०	३,७२३ ० ०	५,१०० ० ०	२२,३४३ ९ ०	
२२,३९० ० ०	५,३०० ० ०	१,८१८ ० ०	१५,२७२ ० ०	
३३,३३३ ० ०	..		३३,३३३ ० ०	
१,२०,९०० ० ०	..	१,१४,१८१	६,७१९ ० ०	
१०,००० ० ०	..	..	१०,००० ० ०	
१०,०६५ ० ०	..	..	१०,०६५ ० ०	
१,८१,२९१ ११ १०	९०,७१५ ४ ०	४६,२६० ५ ६	४३,९१४ ९ ४	
९,६२,८८३ ८ ७	२,०२,१८५ १३ ४	४,०२,९९६ १ ९	३,५८,७०१ ९ ७	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७–२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

सूची

राजकीय चिकित्सालय	दवाओं के निमित्त सहायता १९५३–५४	१९५४–५५
	रु०	रु०
१––जिला अस्पताल, उरई, जालौन ..	.. ५,०५०	५,८००
२––स्त्री अस्पताल, उरई ..	.. ३,८२०	३,८२०
३––स्त्री अस्पताल, कौंच ..	.. १,०००	१,१००
४––पुलिस अस्पताल, उरई ..	.. १,२००	१,२००
५––मेल पुरुष अस्पताल, कुदारी .	.. १,१३२	१,२३२
६––मेल (पुरुष) अस्पताल, माधोगढ़	.. १,५००	१,५००
७––मेल (पुरुष) अस्पताल, पिन्डारी	.. १,५००	१,५००
८––मेल (पुरुष) अस्पताल, भिन्ड	.. १,५८०	१,५००
९––लोकेन्द्र अस्पताल, जगमनपुर	.. १,५००	१,५००
१०––मेल (पुरुष) अस्पताल, नदीगांव	.. १,५००	१,५००
११––मेल (पुरुष) अस्पताल, कदौरा	.. ५,०००	५,०००
आयुर्वेदिक		
१––हरदोई ..	.. ५००	५००
२––कोटरा ..	.. ५००	५००
३––रूरा अड्डा ..	.. ५००	५००
४––हदरूख	.. ५००	५००
५––उभारी ..	.. ५००	५००
६––डकोर	.. ५००	५००
७––कुठौद	.. ५००	५००
८––उदनपुर ..	.. ५००	५००
यूनानी		
१––मुसमरिय ..	.. ५००	५००
२––कदौरा भवनी ..	.. ५००	५००

*टिप्पणी––इन रकमों में आकस्मिक व्यय के लिये दिया हुआ रुपया भी निम्नलिखित है।

सहकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय	वार्षिक सहायता
जिला बोर्ड के चिकित्सालय	रु०
एलोपैथिक	
मेल चिकित्सालय, कौंच ..	.. १,३५०
मेल चिकित्सालय, कालपी ..	.. १,०००
मेल चिकित्सालय, जालौन	.. ६००
आयुर्वेदिक व यूनानी	
बीआली	.. ६०७ ८ आना
जऊ सरीकतां ..	.. ६०७ ८ "

*टिप्पणी––यह सहायता आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई अथवा बन्द की जा सकती है।

विधान परिषद

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६

किसी ऐसे बीमाकर्त्ता (insurer) के, जिसके नियंत्रित व्यापर का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, अधीनस्थ लाभ का कोई पद, उस पद पर आसीन किसी व्यक्ति के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए, उसे अनर्ह न करेगा, इस आशय की घोषणा करने का

विधेयक

यह घोषित करना आवश्यक है कि किसी ऐसे बीमाकर्त्ता (insurer) के, जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, अधीनस्थ लाभ का कोई पद, उस पद पर, आसीन किसी व्यक्ति के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये, उसे अनर्ह न करेगा;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) पद "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ वही होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ में पद "Gentral Government" को दिया गया है, और

(ख) पद "नियंत्रित व्यापार" और "बीमाकर्त्ता" का अर्थ वही होगा जो लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्राजिन्वस) ऐक्ट, १९५६ में क्रमशः पद "Controlled business" और "insurer" को दिया गया है।

अधिनियम ९, १९५६।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता सम्बन्धी अनर्हता का निवारण।

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे बीमाकर्त्ता (insurer) के अधीन, जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबन्ध लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्राविजिन्स) ऐक्ट, १९५६ के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, लाभ के किसी पद (office of profit) पर आसीन हो, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने, अथवा रहने के लिये अनर्ह (disqualified) न होगा और न उसके सम्बन्ध में यही समझा जायगा कि वह एतदर्थ कभी अनर्ह रहा था।

उद्देश्य तथा कारण

लाइफ इंश्योरेंस (इमर्जेन्सी प्राविजन्स) ऐक्ट, १९५६ में जीवन बीमा का प्रबन्ध, उसके राष्ट्रीयकरण होने तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गयी है। उक्त ऐक्ट की धारा १५ में इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी बीमाकर्त्ता (insurer) के अधीन, जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबन्ध उक्त ऐक्ट के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो, लाभ के किसी पद पर आसीन हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने, अथवा होने के लिए अनर्ह न होगा अथवा उसके सम्बन्ध में यह न समझा जायगा कि वह कभी इस प्रकार अनर्ह रहा है।

यह कहा गया है कि राज्य विधान मंडल के सदस्य भी इसी प्रकार की अनर्हता से ग्रस्त हो सकते हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद ९१ (१) (क) के अनुसार अधिनियमित विधि द्वारा दूर किया जाना चाहिये।

अतः उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४३ एल० ए०-१९५६—७९६।